खण्ड-106, अंक-4
बुधवार, 29 श्रावण, शक संवत् 1874
(20 अगस्त, 1952 ई0)

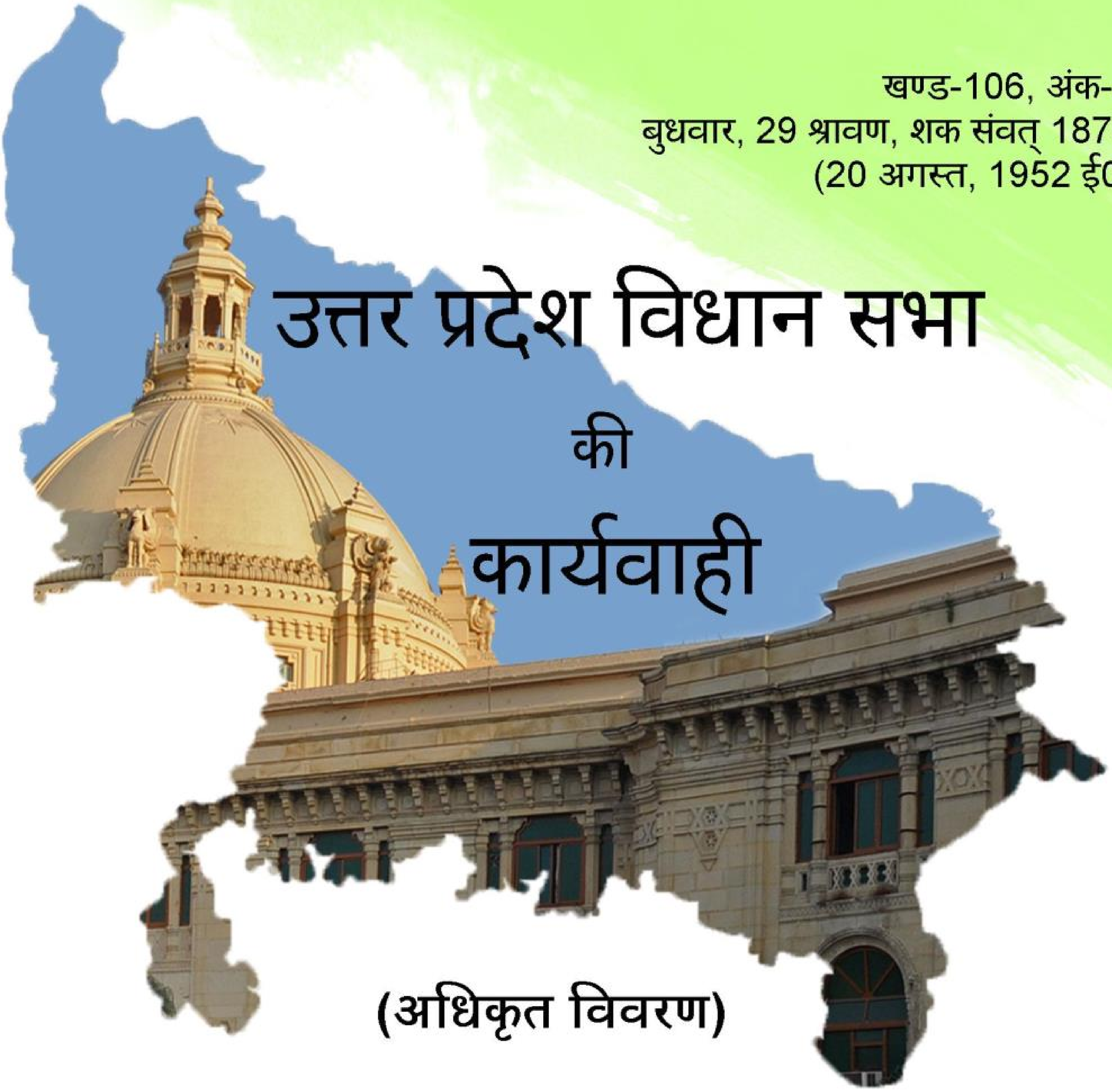

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 106 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, २० अगस्त, १९५२

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३६०)

अक्षयवर सिंह, श्री
अज़ीज़ इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अब्दुल मुईज़ खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली ज़हीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेश प्रताप सिंह, श्री
अशरफ़ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतज़ा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फ़त सिंह चौहान, श्री
ऐज़ाज़ रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करण सिंह यादव, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालिका सिंह, श्री
कालीचरण टण्डन, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किन्दर लाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्ण चन्द्र गुप्त, श्री
कृष्ण शरण आर्य, श्री
केदार नाथ, श्री
केवल सिंह, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
खयाली राम, श्री
खुशीराम, श्री
खूब सिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलज़ार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री

घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री
चन्द्र सिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह निरञ्जन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहराल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
ज़ोरावर वर्मा, श्री
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकी नाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शन राम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाज़िम अली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायणदीन, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फ़ज़लुल हक़, श्री
फ़तेह सिंह राणा, श्री
फूल सिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री

बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बूनन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मित्तल, श्री
बालुन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजू राम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन मिश्र, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूदअली खाँ, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुजफ़्फ़र हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफ़िज़
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद फ़ारुक़ चिश्ती, श्री
मुहम्मद मञ्जूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्र प्रताप सिंह, राजा
राज किशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र , श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
राम अधार तिवारी, श्री
राम अधीन सिंह यादव, श्री
राम अनन्त पाण्डेय, श्री
राम अवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनाथ तिवारी, श्री

रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विचित्र नारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विश्वम्भर नाथ पांडेय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार पाण्डेय, श्री
शिव कुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पाण्डेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण बाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
सच्चितानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सत्यनाराण दत्त, श्री
सत्यानन्द, श्री
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरुज्राम, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेश प्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्यबली पाण्डेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र बाजपेयी, श्री
हरि सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

प्रश्नोत्तर

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

आयुर्वेदिक व यूनानी चिकित्सा प्रणाली पुनःसंगठन समिति की रिपोर्ट पर कार्यवाही

*१—श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि आयुर्वेदिक यूनानी पुनःसंगठन समिति, उत्तर प्रदेश, की कब नियुक्ति की गयी थी और उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को कब प्रेषित की, तथा उसकी सिफारिशों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

अन्न मंत्री के सभा सचिव (श्री बनारसी दास)—आयुर्वेदिक व यूनानी चिकित्सा प्रणाली पुनःसंगठन समिति, उत्तर प्रदेश, की नियुक्ति ६ मार्च, १९४७ को की गयी थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट २४ सितम्बर, सन् १९४८ ई० को सरकार को प्रेषित कर दी थी।

समिति ने अपनी रिपोर्ट में आयुर्वेदिक व यूनानी चिकित्सा प्रणालियों के शिक्षण एवं कर्याभ्यास से संबंधी विषयों, इन प्रणालियों पर आधारित चिकित्सा संबंधी सहायता एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य के संगठन के संबंध में तथा इन प्रणालियों के सर्वांगीण पुनरुत्थान के लिये विस्तृत सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। समिति की अधिकांश सिफारिशें सरकार ने स्वीकार कर ली हैं तथा शेष विचाराधीन हैं।

समिति की सिफारिशों को मानकर आयुर्वेदिक व यूनानी चिकित्सा प्रणालियों के उन्नति के लिये जो कुछ सरकार ने किया उसका वर्णन संलग्न तालिका में दिया हुआ है जिसकी एक प्रतिलिपि सदस्यों की मेज पर है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २७६ पर)

श्री नवलकिशोर—क्या उक्त समिति की रिपोर्ट, सरकार ने प्रकाशित करायी है, यदि हां तो क्या सरकार उसकी एक प्रति भवन के सामने प्रस्तुत कराने के लिये तैयार है ?

अन्न मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—रिपोर्ट तो प्रकाशित नहीं करायी है और यदि माननीय सदस्य उसे देखना चाहते हैं तो वह उन्हें दिखलायी जा सकती है।

आयुर्वेदिक व यूनानी महाविद्यालयों के पुनःसंगठन की विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर कार्यवाही

*२—श्री नवल किशोर—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आयुर्वेदिक व यूनानी महाविद्यालयों के पुनर्संगठन की विशेषज्ञ समिति की कब नियुक्ति की गयी थी तब तथा उसकी रिपोर्ट सरकार को कब प्राप्त हुई और उस समिति की सिफ़ारिशों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री बनारसी दास—आयुर्वेदिक व यूनानी महाविद्यालयों के पुनर्संगठन की विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति ६ अक्टूबर, १९४९ ई० को की गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट ३० जून, सन् १९५० ई० को प्रेषित कर दी थी।

समिति की सिफ़ारिशों को मान कर सरकार ने जो कार्यवाही की उनका वर्णन संलग्न तालिका में दिया हुआ है। जिसकी एक प्रति सदस्यों की मेज पर भी रक्खी है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २७८ पर।)

*३—श्री नवलकिशोर—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस प्रदेश मे किसी आयुर्वेदिक व तिब्बी एकैडेमी (Academy) की स्थापना की गयी है ? यदि हां, तो कब ?

श्री बनारसी दास--जी हां। आयुर्वेदिक व तिब्बी एकेडेमी, उत्तर प्रदेश की स्थापना सरकारी आज्ञा पत्र संख्या ५७१८-बी-५२-आर/सी—१९४९, दिनांक २८ फरवरी, १९५० ई० के आधीन की गयी थी। काम तुरन्त ही प्रारम्भ हो गया था।

श्री नवलकिशोर--उक्त एकेडेमी को सरकार ने क्या क्या कार्य सौंपे थे और उसमें कहां तक सफलता मिली है ?

श्री बनारसी दास--उक्त एकेडेमी को सरकार ने शिक्षणक्रम प्रकाशन और विदेशी भाषाओं से संबंधित पुस्तकों के अनुवाद तथा अन्य खोज के कार्य सौंपे थे।

श्री नवलकिशोर--सरकार ने इस एकेडेमी पर कितना व्यय किया है तथा इस वर्ष इस पर कितना रुपया व्यय करने का विचार है ?

श्री बनारसी दास--अब तक इस एकेडेमी पर तीन हजार रुपया व्यय हुआ है और इस साल के बजट में ८ हजार तथा ३ हजार रु० रेकरिंग और नानकेरिंग ग्रांट के रूप में दिया गया है।

गोरखपुर की महाराजगंज और फरेंदा तहसीलों में भुखमरी

*४--श्री गंगाधर शर्मा (जिला सीतापुर)--क्या यह सच है कि जिला गोरखपुर की तहसील महराजगंज और फरेंदा में भुखमरी से २,००० व्यक्ति पिछले ३ मास में मरे हैं और सैकड़ों रोज मर रहे हैं।

अन्न मंत्री के सभा सचिव (श्री बलदेव प्रसाद आर्य)--जी नहीं।

श्री गंगाधर शर्मा--क्या सरकार को ज्ञात है कि भूखमरी के इस प्रकार के समाचार प्रांत के कतिपय दैनिक समाचार पत्रों में छप रहे हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--हां, कुछ समाचार अवश्य अखबारों में आये।

श्री गंगाधर शर्मा--सरकार ऐसे पत्रों के खिलाफ कोई कार्यवाही करने को सोच रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--पत्रों के खिलाफ़ कोई कार्यवाही करने का तो विचार है नहीं। समय समय पर इस प्रकार की सूचनाएं अख्बारों में छपती रहती हैं। सरकार भी अपनी विज्ञप्तियों द्वारा इस बात को जाहिर कर देती है कि ये बातें सत्य नहीं हैं।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)--क्या सरकार मेहरबानी करके बतलायेगी कि महाराजगंज तहसील अन्न अभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित हो गयी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--महराजगंज और करीब करीब उसके और तहसीलें भी ऐसी हैं जहां पर अन्न की कमी है और उस अन्न की कमी को रफा करने के लिये सरकार प्रयत्न करती रही है और आज भी कर रही है।

श्री रामकुमार शास्त्री--क्या सरकार मेहरबानी करके बतलायेगी कि इस अन्न अभाव ग्रस्त क्षेत्र में सरकार के कोई माननीय मंत्री जी भी वहां पर पधारे थे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--हां, माननीय माल मंत्री उधर गये थे और मैं भी मई के महीने में उधर गया था।

श्री रामकुमार शास्त्री——क्या उन्होंने अपनी यह राय दी थी कि वहां पर लोग काफी तकलीफ में हैं और कई कई रोज तक लोग अन्न के कारण अपने पलंग पर बीमारी की स्थिति में रह रहे हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त——नहीं ऐसी तो राय नहीं दी थी । जहां तक उनकी राय का संबंध है उनकी राय और मेरी राय बिलकुल मिलती जुलती थी । मैं भी उन क्षेत्रों में गया था और मैंने भी लोगों को परेशानी की अवस्था में देखा था ।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)——क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर में कुछ लोग भूख से मरे हैं या नहीं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त——उत्तर तो दे दिया गया है कि सरकार के पास कोई इत्तिला नहीं है कि लोग अभी भूख से मरे हैं ।

श्री हरिश्चन्द्र बाजपेयी (जिला लखनऊ)——क्या सरकार की यह सूचना सरकारी कर्मचारियों द्वारा दी गयी सूचना पर ही आश्रित है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त——सरकार की सूचना सरकारी और गैरसरकारी व्यक्तियों, दोनों पर आश्रित है क्यों कि शायद माननीय सदस्य को यह भली भांति स्मरण होगा कि थोड़े दिन हुये उन क्षेत्रों के जो प्रतिनिधि इस भवन में बैठे हुये हैं उन्होंने भी यह बात जनता को ज्ञात कराई थी कि जो बातें भुखमरी के संबंध में निकल रही हैं वे सत्य नहीं हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)——क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि इन गैरसरकारी सूचानाओं में ग्राम सभाएं और अदालती पंचायतें भी शामिल हैं ?

श्रीचन्द्रभानु गुप्त——मैं व्यक्तियों और संस्थाओं के नाम तो नहीं गिना सकता हूं क्यों कि हर व्यक्ति और संस्था से तो मैंने पूछा नहीं है ।

श्री हरिश्चन्द्र बाजपेयी——इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर जब इतना मतभेद है तो क्या सरकार गैरसरकारी जिम्मेदार सदस्यों द्वारा जांच कराने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त——सरकार तो इस बात की आवश्यकता नहीं समझती । इस बात का फैसला तो जनता कर ही रही है । समय समय पर चुनाव होते रहते हैं । जो व्यक्ति सरकार की बात को नहीं मानते हैं वह जनता में जा कर बताएं कि सरकार झूठ बोलती है और जनता उसका उत्तर दे दे और शीघ्र ही इसका उत्तर मिल जायगा ।

श्री भगवानदीन मिश्र (जिला बहराइच)——क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि पर्याप्त मात्रा में अन्न वहां पहुंच जाने पर भी किसानों में जो क्रय शक्ति का अभाव है उसके लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त——सरकार ने बहुत से स्थानों पर टेस्ट वर्क्स खोलने के आदेश दिये हैं । और कई जगह पर टेस्ट वर्क्स चल भी रहे हैं ।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)——क्या माननीय अन्न मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उन्होंने किन लोगों से जांच करायी है इस भुखमरी के संबंध में ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त——मैं पहले उत्तर दे चुका हूं ।

श्री गेंदा सिंह—क्या माननीय अन्न मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह उन्हीं अधिकारियों ने जांच की है जिन अधिकारियों ने वहां की फ़सल के संबंध में जांच की थी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां । उन अधिकारियों में से भी कुछ होंगे ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार बताने की कृतपा करेगी कि टेस्ट वर्क योजना के अन्दर क्या क्या कार्य हो रहे हैं ?

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—टेस्ट वर्क योजना के अन्दर हर जिले में मुख्तलिफ किस्म के काम हो रहे हैं। ज्यादातर तो सड़कों का बनाना हो रहा है और किसी किसी जगह जो पुराने बांध थे उनकी मरम्मत हो रही है और किन्हीं जगहों पर नाले खादने की कोशिश की जा रही है । तालाब आज कल खोदे नहीं जा सकते हैं लेकिन जब तक बारिश नहीं हुई थी तब तक खास तौर से बस्ती जिले में बहुत से तालाब खोदे गये और आजमगढ़ जिले में पंचायत-घर बनवाना और कंकड़ खोदना आदि काम इस स्कीम में शामिल हैं ।

तारांकित प्रश्न

हरिजन बस्ती बनाने के लिए बलिया नगरपालिका को सहायता

*१—श्री राम अनन्त पाण्डेय (जिला बलिया)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि बलिया नगरपालिका को उसने हरिजन बस्ती बनाने के लिये कितनी सहायता दी थी ?

स्वशासन मंत्री (श्री मोहन लाल गौतम)—बलिया नगरपालिका को हरिजन बस्ती बनाने के लिये ३५,००० रुपया का अनुदान, और ४७,२७३ रुपया का ऋण दिया गया था।

*२—श्री राम अनन्त पांडेय—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि नगरपालिका ने हरिजन बस्ती बनाने के लिये कितनी बोरी सीमेंट और कितने टन लोहे की परमिट प्राप्त की ?

श्री मोहनलाल गौतम—इस कार्य के लिये बलिया नगरपालिका ने १५८५ बोरे सीमेंण्ट तथा ६ टन १७ हन्डरवेट लोहे का परमिट प्राप्त किया ।

श्री राम अनन्त पांडेय—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह जो हरिजन बस्ती बनायी गई है म्युनिसिपैलिटी ने ठेके पर बनवायी है या खुद बनवायी है ?

श्री मोहनलाल गौतम—इसके लिये नोटिस चाहिये।

श्री राम अनन्त पांडेय—क्या सरकर यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो हरिजन कालोनी बनी है उसमें कितनी सीमेंट लगा और कितना लोहा लगा ?

श्री मोहनलाल गौतम—इसका ब्यौरा मेरे पास नहीं है।

श्री हरदयाल सिंह पिपल (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस तरीके से जो हरिजन बस्तियां बनायी गयी हैं उनमें कितनी हरिजन फेमीलीज रह रही हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम—इसके लिये मेरे पास आंकड़े नहीं हैं।

श्री गेंदा सिंह—क्या माननीय स्वशासन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस वक्त मकानों का नक्शा बना था उस वक्त इस बात का ख्याल नहीं किया गया कि कितने आदमी रह सकते हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम---मझे इसकी सूचना नहीं है ।

सिकन्दराराऊ नगरपालिका द्वारा हाकिम परगना को बिदाई पार्टी देने पर व्यय

*३---श्री नेकराम शर्मा---क्या यह सत्य है कि सिकन्दराराऊ म्युनिसिपैलिटी ने २५० रु० खर्च करके हाकिम परगना को ३ अप्रैल, ५२ को एक विदाई पार्टी दी थी ?

श्री मोहनलाल गौतम---म्युनिसिपल बोर्ड के धन से हाकिम परगना को कोई बिदाई पार्टी नहीं दी गई थी, उन्हें बोर्ड की ओर से केवल एक अभिनन्दन पत्र भेंट किया गया था जिसमें २०५ रुपया १२ आना खर्च हुआ था ।

श्री रामकुमार शास्त्री---क्या सरकार मेहरबानी करके बतलायेगी जो लगभग २०० रुपये अभिनन्दन पत्र में खर्च किये गये हैं वे अभिनन्दन पत्र की छपाई में खर्च हुये हैं या दीगर अखराजात भी उसमें है ?

श्री मोहनलाल गौतम---यह तो अनुमान मैं कर सकता हूं कि सिर्फ छपाई में २०० रुपये खर्च नहीं हो सकते, और अखराजात भी शामिल हैं ।

श्री नेकराम शर्मा---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि अभिनन्दन पत्र देने से पूर्व बोर्ड से उसकी स्वीकृति ले ली गयी थी ?

श्री मोहनलाल गौतम---इसकी मुझे नोटिस चाहिये ।

श्री नेकराम शर्मा---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इन एस० डी० एम० साहब की क्या सेवायें थीं जिसकी वजह से उनको अभिनन्दन पत्र दिया गया है ?

श्री मोहनलाल गौतम---इसकी मुझे सूचना नहीं है ।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में कोई ऐसा रूल या कायदा है जिससे मालूम हो कि किन सज्जनों को अभिनन्दन पत्र दिया जाना चाहिये या दिया जा सकता है ?

अध्यक्ष---यह आपका सवाल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के बारे में है। इसकी मैं इजाजत नहीं देता ।

श्री नेकराम शर्मा---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि एस० डी० एम० साहब को पार्टी दी गयी या नहीं ?

श्री मोहनलाल गौतम---इसकी मेरे पास कोई सूचना नहीं है। जहां तक म्युनिसिपल बोर्ड का ताल्लुक है, उसने कोई पार्टी नहीं दी, यह मैं पहले जवाब दे चुका हूं ।

अलीगढ़ प्रदर्शनी में जिलाधीश के नाम के द्वार का निर्माण

*४---श्री नेकराम शर्मा---क्या यह सत्य है कि सिकन्दराराऊ म्युनिसिपैलिटी ने ५,००० रुपये खर्च करके गत अलीगढ़ की नुमाइश में जिलाधीश के नाम का दरवाजा बनवाया था ?

श्री मोहनलाल गौतम---नुमाइश में एक दरवाजा बनाने के लिये सिकन्दराराऊ म्युनिसिपल बोर्ड ने ५,००० रुपया का अनुदान दिया था। यद्यपि बोर्ड ने जिलाधीश के नाम पर ही इस दरवाजे को बनाने का निश्चय किया था किन्तु जिलाधीश ने उसके साथ अपना नाम जोड़ने से इन्कार कर दिया ।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहानपुर)---क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ५ हजार रुपये जो दरवाजा बनाने में खर्च हुये हैं उससे सिकन्दराराऊ की जनता को क्या फायदा पहुंचा ?

अध्यक्ष---इसकी मैं इजाजत नहीं देता ये म्युनिसिपैलिटियां स्थानीय स्वतंत्र संस्थायें हैं। माननीय मंत्री जी इतने डिटेल में उत्तर देने के जिम्मेदार नहीं हैं। तो प्रश्न जब पूछे जायें तो इस हिसाब से पूछे जायं कि गवर्नमेंट का क्या संबंध उसमें आता है।

*५-७-श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---[२२ अगस्त, १९५२ के लिये संख्या ४२-४४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

बनारस के पंचायत राज अफसर का परगना पन्द्रहा का दौरा

*८-श्री बेचनराम गुप्त (जिला बनारस)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि पंचायत राज आफिसर, बनारस ने कितनी बार परगना पन्द्रहा का दौरा किया ?

श्री मोहनलाल गौतम---पंचायत राज अफसर बनारस ने परगना पंद्रहा का एक बार दौरा किया।

श्री बेचनराम गुप्त---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि पंचायत राज्य आफिसर ने किस तारीख को और किस गांव में परगना पंद्रहा का दौरा किया था ?

श्री मोहनलाल गौतम---इसकी मुझे सूचना चाहिये।

श्री हरदयाल सिंह पिपल---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि पंचायत राज्य आफिसर के दौरे में कितना व्यय हुआ ?

श्री मोहनलाल गौतम---नियमों के अनुसार जो दौरा होता है, मुझे अंदाज नहीं कि उससे ज्यादा व्यय हुआ।

*९-श्री बेचनराम गुप्त---क्या वर्तमान पंचायत राज आफिसर, बनारस ने ग्राम सभाओं का आम जलसा कभी किया ?

श्री मोहनलाल गौतम---जी हां। कुसुमुरा, दाबूपुर तथा अनेई ग्राम सभाओं में दिनांक १५-२-५२, २३-२-५२ तथा १६-३-५२ को क्रमशः आम जलसे किये गये।

*१०-श्री श्रीपति सहाय (जिला हमीरपुर) (अनुपस्थित)---[देखिये आगे पृष्ठ २२३ पर]

*११-श्री राजनारायण (जिला बनारस) (अनुपस्थित)-[देखिये आगे पृष्ठ २२३ पर]

*१२-१४-श्री श्रीपति सहाय (अनुपस्थित)---[२२ अगस्त, १९५२ के लिये संख्या १८-२० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*१५-श्री गंगा प्रसाद सिंह (जिला बलिया)---[२२ अगस्त, १९५२ के लिये संख्या २१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

स्थानीय निकायों के निर्वाचन के सम्बन्ध में पूछताछ

*१६-श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (जिला बाराबंकी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि म्युनिसिपल बोर्डों के निर्वाचन जो अधिक समय से नहीं हुये हैं, कब तक होंगे ?

श्री मोहनलाल गौतम---म्युनिसिपल बोर्डों का निर्वाचन सरकार शीघ्र कराना चाहती है और इस सबंध में काम भी शुरू हो रहा है। यद्यपि अभी तारीखें निश्चत नहीं की गई हैं, पर सरकार चाहती है कि यदि संभव हो तो अगले जाड़ों में ये चुनाव हो जायं।

*१७-श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (जिला बाराबंकी)---क्या टाउन एरिया और नोटिफाइड एरिया के निर्वाचन भी म्युनिसिपल निर्वाचन के साथ ही होंगे?

श्री मोहनलाल गौतम---सरकार पहले म्युनिसिपल बोर्डों के निर्वाचन कराने का विचार कर रही है। उसके बाद दूसरे स्थानीय निकायों के निर्वाचन का काम हाथ में लिया जायगा।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल जिला बाराबंकी)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि कितना काम हो गया है और कितना समय और तैयारी के लिये लगेगा?

श्री मोहनलाल गौतम---अभी म्युनिसिपल बोर्डस् का अमेंडिंग बिल तैयार हो रहा है जो इस सदन में आयेगा उसके पास हो जाने के बाद और जो जरूरी कार्यवाही है वह होगी। इसके बाद यह होगा और इसके संबंध में हमारे कार्यालय में काम शुरू हो गया है।

श्री हरिश्चन्द्र बाजपेयी---क्या यह सही है कि सरकार डिस्ट्रिक्ट बोर्डस् के चुनाव के संबन्ध में नियमों के परिवर्तन के संबन्ध में विचार कर रही है?

श्री मोहनलाल गौतम---यह इन प्रश्नों का सप्लीमेंट्री तो नहीं है लेकिन हां डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट के संशोधन पर विचार हो रहा है?

श्री ऐजाज रसूल (जिला हरदोई)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि म्युनिसिपैलिटी अमेंडिंग बिल इस सेशन में ला रहे हैं?

श्री मोहनलाल गौतम---मेरी ओर से तो कोशिश यही हो रही है कि वह इसी सैशन में लाया जाय।

आगरा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सम्बन्ध में सरकारी जांच

*१८-श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)---क्या स्वाशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के संबंध में पिछले दो वर्षों में जो मैजिस्टीरियल इन्क्वायरी हुई, उसका क्या परिणाम हुआ?

श्री मोहनलाल गौतम---गत दो वर्षों में जिला बोर्ड, आगरा के संबंध में मैजिस्टीरियल जांच हुई, उनमें अधिकांश आरोपों में कोई तथ्य नहीं मिला। उनमें से एक आरोप के संबंध में अभी जांच जारी है। जिन एक या दो आरोपों के संबंध में शासन ने जिला बोर्ड को कोई आदेश देना उचित समझा वह आदेश तथा समय दे दिया गया।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह इंक्वायरी किन आदमियों के संबंध में और किसके विरुद्ध हुई थी?

श्री मोहनलाल गौतम---यह इंक्वायरी दस आरोपों के संबंध में हुई थी जिसमें प्रेसीडेंट, सेक्रेटरी, एक क्लार्क और मेम्बर शामिल थे।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी---क्या यह सही है कि बोर्ड के सदस्यों के द्वारा एक स्मृतिपत्र महामान्य राज्यपालके समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसमें अध्यक्ष के विरुद्ध विभिन्न प्रकार

की अनियमिताओं के अतिरिक्त अन्याय, सरकारी आदेशों की अवहेलना, बोर्ड के धन का अपव्यय और दुरुपयोग, जातीय आधार पर कर्मचारियों की नियुक्तियां और बरखास्तगी तथा बोर्ड की मीटिंगों की झूठी कार्यवाही लिखने के गंभीर आरोप थे ?

श्री मोहनलाल गौतम--प्रेसीडेंट को दो आरोपों के संबंध में हिदायत दे दी गई। एक तो यह कि जो स्टाक था उसका स्टाक रजिस्टर सही तौर पर नहीं था उसके वैरीफिकेशन के लिये कह दिया गया और दूसरा आरोप यह था कि अपने मकान पर मीटिंग की थी। उनको हिदायत दे दी गई कि मीटिंग मकान पर न किया करें, दफ्तर में किया करें।

श्री नेकराम शर्मा--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि मैजिस्टीरियल इंक्वायरी में यह बतलाया गया है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के प्रेसीडेंट के हाथ में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के फंड्स सेफ नहीं हैं ?

श्री मोहन लाल गौतम--मैं अभी इस पोजीशन में नहीं हूं कि इन सब डिटेल्स का उत्तर दे सकूं।

आजमगढ़ जिला बोर्ड के अध्यक्ष के निर्वाचन का स्थगन

*१९--**श्री राम सुदर पांडेय** (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिला बोर्ड के अध्यक्ष का चुनाव जो ४ जुलाई, सन् १९५२ को होने वाला था क्यों स्थगित किया गया ?

श्री मोहनलाल गौतम--जिस विज्ञप्ति में ४ जुलाई, सन् १९५२ ई० को चुनाव करना निश्चित किया गया था, वह समयाभाव से गजट में उक्त तिथि से पहले न प्रकाशित हो सकी, इस कारण आजमगढ़ जिले बोर्ड के अध्यक्ष का निर्वाचन स्थगित कर दिया गया था।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय शिक्षा मंत्री २ जुलाई और ५, ६ अगस्त को आजमगढ़ जिला बोर्ड के अध्यक्ष के चुनाव की कनवेंसिंग में सरकारी कार और चपरासी के साथ गये थे ?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)--मेरे जाने से कंवेंसिंग का कोई संबंध नहीं था।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या यह सच है कि जिला बोर्ड के सम्मानित सदस्य श्री तेज बहादुर सिंह के यहां जिला बोर्ड के सभी सदयों की मीटिंग थी उसमें आप सम्मिलित थे ?

अध्यक्ष--इस तरह के प्रश्न की इजाजत मैं नहीं देता। किसी व्यक्ति को ऐड्रेस करके प्रश्न नहीं किया जा सकता।

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार बतलायेगी कि माननीय शिक्षा मंत्री जिस दिन कनवेंसिंग में लगे हुये थे.....

अध्यक्ष--यह शिक्षा मंत्री का प्रश्न नहीं है, स्वशासन मंत्री का प्रश्न है। बीच में शिक्षा मंत्री वहां गये थे तो उस संबंध में पूछा जा सकता था लेकिन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के बारे में आप प्रश्न स्वशासन मंत्री से पूछ सकते हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय--२ जुलाई और ५, ६ अगस्त को माननीय शिक्षा मंत्री जिला बोर्ड के चुनाव की कनवेंसिंग में आजमगढ़ गये थे या नहीं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—मैंने उत्तर दे दिया कि मैं आजमगढ़ गया था ।

अध्यक्ष—इस कार्य के लिये नहीं गये थे यह उत्तर दे चुके ।

*२०—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि बिना गजट हुये ही तिथि की जानकारी जिला बोर्ड के सदस्यों को कैसे हो गयी ?

श्री मोहनलाल गौतम—कमिश्नर ने उक्त विज्ञप्ति की एक प्रति, जो गोपनीय नहीं थी, संबंधित अधिकारियों को अग्रिम सूचना देने के हेतु जिलाधीश को भेज दी थी। और उन्होंने यह सूचना अन्य व्यक्तियों के अलावा जिला बोर्ड के कार्यालय को भी भेजी थी। अतः निर्वाचन में उत्सुकताया आकांक्षा रखने वाले सदस्यों को इसकी सूचना अन्य स्थानों के अलावा जिला बोर्ड के कार्यालय से भी मिल गई होगी ।

राशनिंग के साथ साथ खुला बाजार

*२१—**श्री नारायण दत्त तिवारी**—क्या अन्न मंत्री यह बतलाने कीकृपा करेंगे कि १ जुलाई, १९५२ से घोषित सम्पूर्ण राशनिंग पूर्ववत् जारी रखते हुये खुले बाजार की नीति को वे किस प्रकार व्यवहारिक रूप में लागू कर रहे हैं ।

श्री बनारसी दास—सम्पूर्ण राशनिंग को पूर्ववत् जारी रखने की कोई घोषणा नहीं की गई थी। पहली जुलाई से प्रचलित वितरण की नई योजना सम्पूर्ण राशनिंग की योजना से भिन्न है। नई योजना का विस्तृत विवरण ३० जून, १९५२ को रेडियो पर दिए गए भाषण में दिया जा चुका है। यह भाषण खाद्य तथा रसद विभाग के वार्षिक कार्य-विवरण के जिसकी प्रतियां माननीय सदस्यों को १६ जुलाई को दी गई थीं परिशिष्ट 'ख' में उद्धृत है।

नमक, गुड़, तेल आदि की व्यवस्था के संबंध में सरकारी नीति

*२२—**श्री नारायण दत्त तिवारी**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नमक, गुड़, तेल की व्यवस्था के सम्बन्ध में सरकार ने अपनी नीति को कोई नया रूप दिया है ?

श्री बनारसी दास—जी नहीं, नमक, गुड़, मिट्टी के तेल अथवा अन्य तेलों के सम्बन्ध में, १ जुलाई, १९५२ के पश्चात् कोई नया रूप नहीं दिया गया है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या सरकार को मालूम है कि पूर्वी जिलों में समुद्र से पैदा होने वाले नमक के भेजे जाने के बारे में बड़ा भारी असन्तोष है ?

श्री बनारसी दास—कुछ समय से सरकार ने नई नीति निर्धारित की है कि कुछ जिलों में केवल एक ही प्रकार का नमक भेजा जाय जिससे ब्लैक मार्केटिंग का अन्देशा न हो।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जहां तक इस प्रश्न के उत्तर का सम्बन्ध है समुद्री नमक जहां पर भेजा जाता है उसे लोग बहुत ज्यादा पसन्द नहीं करते, परन्तु पहले जितना सांभर नमक का कोटा हमको मिलता था, उसको बहुत कम कर दिया गया है और इस कारण हमने अपने यहां विभिन्न प्रकार के नमक मंगाना प्रारम्भ किया है और एक जोनल स्कीम के मातहत जिलों में तीनों प्रकार का नमक भेजा जाता है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गुड़ को प्रान्त से बाहर भेजने के बारे में जो सरकार की नीति थी क्या वह उस पर पुनर्विचार कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—हमारे यहां गुड़ के बारे में कोई रुकावट नहीं है। अब केन्द्रीय सरकार उसको विभिन्न क्षेत्रों में भेजने की चेष्टा कर रही है। हमने कोई रुकावट इधर नहीं डाली कि गुड़ प्रान्त से बाहर न जाय।

राशनिंग तथा कंट्रोल सम्बन्धी प्रशासन के अन्तर्गत कर्मचारी

*२३—श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि राशनिंग और कंट्रोल सम्बन्धी प्रशासन में कुल कितने कर्मचारी, किस किस पद पर, अलग अलग काम करते रहे हैं और उनका भविष्य क्या है?

श्री बनारसी दास—राशनिंग और कंट्रोल सम्बन्धी प्रशासन से सम्बन्धित पदों और कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार है :

१—गजटेड अधिकारी	२१०
२—इन्स्पेक्टरेट	२,६३९
३—मिनिस्टीरियल	३,९८९
४—इनफीरियर	३,९३६
योग	१०,७७४

इनके भविष्य के सम्बन्ध में बताना अभी पूर्व समय है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इन कर्मचारियों के भविष्य के सम्बन्ध में कब तक बतलाना सम्भव होगा?

श्री हुकुम सिंह (उद्योग मंत्री)—केवल भविष्य में ही बतलाया जा सकता है।

सीमेंट और लोहे पर से नियंत्रण हटाने के सम्बन्ध में सरकार की निति

*१०—श्री श्रीपति सहाय—(अनुपस्थित) क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि सीमेंट और लोहा पर से नियंत्रण कब तक हटेगा?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इन दोनों वस्तुओं पर मौलिक नियंत्रण केन्द्रीय सरकार का है और वही इसका उत्तर दे सकती है।

चकिया में चावल के यातायात पर से प्रतिबन्ध हटाना

*११—श्री राजनारायण (अनुपस्थित)—क्या सरकार चकिया के चावल पर लगे हुए प्रतिबन्ध को हटाने जा रही है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—१ जुलाई, १९५२ से सभी खाद्यान्नों के मूल्य पर से नियंत्रण और राज्य की सीमा के अन्दर यातायात पर से प्रतिबन्ध हटाए जा चुके हैं। यही स्थिति समानतः चकिया के चावल की भी है।

अतारांकित प्रश्न

मसूरी म्युनिसिपल बोर्ड की आर्थिक दशा तथा चुनाव

१—श्री नरदेव शास्त्री (जिला देहरादून)—क्या स्वशासन मंत्री जानते हैं कि मसूरी ७, ८ वर्षों से आर्थिक संकट का अनुभव कर रही है? उसकी स्थिति का

यथार्थ रूप जानने के लिए क्या वे कोई समिति बनायेंगे जो वहां की स्थिति को समझ कर सरकार को ऐसे उपाय सुझावे जिससे उसकी दशा सुधरे ?

श्री मोहनलाल गौतम--मसूरी म्यूनिसिपल बोर्ड की आर्थिक स्थिति इस समय दूसरे किसी भी बोर्ड से खराब नहीं है। अवक्रमण (supersession) के बाद उसमें बहुत सुधार हो गया है। म्यूनिसिपल बोर्डों का निर्वाचन सरकार शीघ्र ही कराना चहती है; इसलिये इस बोर्ड के सम्बन्ध में जांच पड़ताल करने के लिये इस समय किसी कमेटी का नियुक्त करना ठीक नहीं होगा।

२--**श्री नरदेव शास्त्री**--क्या स्वशासन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मसूरी म्यूनिसिपल बोर्ड के नये चुनाव कब होंगे ? क्या माननीय मंत्री इस बात का ध्यान रक्खेंगे कि उस बोर्ड का चुनाव तब हो जब मसूरी का सीजन हो ?

श्री मोहनलाल गौतम--अभी निर्वाचन की तारीखें निश्चित नहीं हुई हैं। तारीखें निश्चित करने में मसूरी के सीजन का ध्यान रक्खा जायगा।

श्री झारखन्डे राय की सदन में पुलिस-गुप्तचरों द्वारा निगरानी के कारण विशेषाधिकार की अवहेलना के सम्बन्ध मे शिकायत

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)--कल मैंने आपकी सेवा में एक "ब्रीच आफ प्रिविलेज" (विशेषाधिकार अवहेलना) की लिखित शिकायत की थी कि मेरे पीछे बराबर सी० आई० डी० लगी रहती है। यहां भी, जब मैं लखनऊ में, हाउस की बिजनेस के लिये आता हूं तब भी मेरे पीछे सी० आई० डी० लगी रहती है और इस हाउस के अन्दर भी वह बराबर गैलरी में मेरे लिये बैठी रहती है। इसकी बाबत मैंने आपकी सेवा में लिखकर दिया था। मैं जानना चाहता हूं कि आपने इसके बारे में क्या फैसला किया है और कहां तक आप मेरी रक्षा करना चाहते हैं।

अध्यक्ष--इस तरह की मेरे पास सूचना माननीय झारखंडे राय ने दी थी। मैंने उसकी तहकीकात के लिये माननीय गृह मंत्री के पास आज ही उसको भेजा कि यह बात कहां तक सही है। उनका उत्तर आ जाने के बाद मैं निर्णय दूंगा। मैं समझता हूं कल तक उनका उत्तर आ जायगा। जहां तक पुलिस विभाग का सम्बन्ध है मेरे पास यह इत्तला आई थी कि इस किस्म का पुलिस का कोई भी गुप्तचर उनके पीछे यहां पर नहीं रहता है। लेकिन मैंने उसको स्पष्ट करने के लिये और इसलिये कि वह बहुत जिम्मेदारी का जवाब होगा, गृह मंत्री के पास उसको भेज दिया है कि वह जवाब कहां तक सही है। उसका उत्तर आ जाने के बाद मैं कोई फैसला दूंगा।

जमींदारों, ठेकेदारों तथा बड़े बड़े-किसानों के अत्याचारों के सम्बन्ध में कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना

अध्यक्ष--अब आज एक काम रोको प्रस्ताव फिर आया है और उसमें कई बातें हैं। जमींदार अत्याचार कर रहे हैं, ठेकेदार, बड़े बड़े किसान, तीनों को मिला कर उनके अत्याचारों का जिक्र किया गया है और कुछ उसके परिणाम में हत्याओं का भी जिक्र है। तो जिसको 'स्पेसिफिक' कहते हैं, यह प्रस्ताव स्पेसिफिक यानी निश्चित, नहीं है। निश्चित विषय इसमें स्पष्ट नहीं होता है।

दूसरी बात यह है कि यह अर्जेन्ट नहीं है, बहुत आवश्यक नहीं दिखाई देता, क्योंकि बहुत सी शिकायतें इकट्ठी मिला कर करने पर उसकी जल्दी की जरूरत स्पष्ट नहीं होती। इसलिये मैं इसको अवैधानिक करार देता हूं।

हां, यह जरूर है कि इस तरह के प्रस्ताव आने से कुछ तो काम रुक ही जाता है और इस प्रकार माननीय सदस्य का काम तो हो गया।

१९ जुलाई, १९५२ को श्री भूपाल सिंह खाती द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना के सम्बन्ध में श्री मदनमोहन उपाध्याय की शिकायत

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक ब्रीच आफ प्रिविलेज का सवाल उठाना चाहता हूं। तारीख १९ जुलाई को इस सदन में माननीय भूपाल सिंह खाती ने एक बयान दिया था।

अध्यक्ष--मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--मैं कुछ सफाई चाहता था इसलिये मैंने आपके सामने रखा है, क्योंकि मैं समझता हूं कि...

अध्यक्ष--आप पहले उसके लिये नोटिस दें, फिर सवाल कर सकते हैं। सडनली सरप्राइज (अकस्मात् आश्चर्यान्वित) करके आप उसका उत्तर मुझसे नहीं ले सकते हैं।

सदन के सम्मुख कोई प्रश्न न होनें पर वैधानिक प्रश्न उठाने के सम्बन्ध में अध्यक्ष की व्यवस्था

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--क्योंकि आज माननीय अर्थ मंत्री यहां मौजूद हैं मैं एक बहुत महत्वपूर्ण वैधानिक बात उठाना चाहता हूं। बान गंगा प्रोजेक्ट निर्माण के लिये कांटेंजेंसी...

अध्यक्ष--यह कौन सी वैधानिक आपत्ति है?

श्री नारायण दत्त तिवारी--माननीय अर्थ मंत्री जी यहां मौजूद हैं इसलिये मैं प्वाइंट आफ आर्डर (वैधानिक प्रश्न) उठाता हूं।

अध्यक्ष--जब तक कोई प्रश्न सदन के सामने न हो तब तक कोई वैधानिक प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। मैं माननीय सदस्य को वैधानिक प्रश्न की नई व्याख्या पुरःस्थापित करने की इजाजत नहीं देता हूं।

आप कृपा करके अपने स्थान पर बैठ जायं।

स्थाई समितियों के निर्वाचन का स्थगन

अध्यक्ष--मैंने स्टैंडिंग समितियों के चुनाव की सूचना दी थी कि नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि २५ अगस्त और पत्रों की परीक्षा की तिथि २६ अगस्त और २९ तारीख को नाम वापस लेने की तिथि और उसके बाद चुनाव होगा। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से मेरे पास यह पत्र आया है--

"With reference to your letter.....I am directed to say that the revision of the rules for the elections, constitution and procedure of

[अध्यक्ष]
the Standing Committees to advise Ministers and Government is already under the consideration of Government and therefore to request the election of 10 members for each of the 22 Standing Committees may please be postponed for the present."

[आपके पत्र के संदर्भ में.... मुझे यह कहने का आदेश हुआ है कि सरकार को एवं मंत्रियों को परामर्श देने के लिये स्थायी समितियों के निर्वाचन, विधान तथा प्रकृया के लिये नियमों का संशोधन पहले ही सरकार के विचाराधीन है, अतः २२ स्थायी समितियों में से प्रत्येक समिति के लिये १० सदस्यों के निर्वाचन की प्रार्थना इस समय स्थगित कर दी जाय ।]

यानी यह दरख्वास्त दी है कि इस चुनाव को स्थगित कर दिया जाय क्योंकि उसके नियमों में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता सरकार समझती है।

ऐसी अवस्था में चुनाव नहीं होने चाहिये क्योंकि कमेटियां बदल जायंगी ऐसी सम्भावना दिखलाई देती है। इसलिये यह चुनाव स्थगित किये जाते हैं और नियमों में परिवर्तन होने के बाद कोई दूसरी तारीख मुक़र्रर की जायगी।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)---श्रीमान्, इस भवन की कार्यवाही हिन्दी में होनी चाहिये। परन्तु सरकार का यह पत्र हिन्दी में न आकर अंग्रेजी में आया है इस पर मुझे आपत्ति है और सरकार को अंग्रेजी में पत्र नहीं रखना चाहिये।

अध्यक्ष---श्री वीरेन्द्रशाह ने जो आपत्ति की है उसके विषय में मैं भी उचित समझूंगा कि अध्यक्ष के नाम जो पत्र सरकार की ओर से आया करें वह हिन्दी में आया करें। भविष्य में इस बात का ध्यान रखा जाय।

उत्तर प्रदेश ज़मींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली में प्रस्तावित संशोधनों पर विचार

अध्यक्ष---अब ९ जुलाई, १९५२ ई० को मेज पर रखी गई १९५२ ई० की उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली में प्रस्तावित संशोधनों पर विचार जारी होगा।

श्री ज्वाला प्रसाद सिन्हा (जिला गोंडा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि नियम ९९ निकाल दिया जाय।

इसका कारण यह है कि नियम ९९ में यह है कि "खानिक विचारक मंडल, इंडियन एवीडेंस ऐक्ट, १८७२ तथा कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ के निदेशों का अनुसरण करेगा जहां तक कि उनका सम्बन्ध नोटिसों, सम्मनों और अधिपत्रों के तामील करने, फरीकों के बयान लेने, साक्ष्य मांगने और प्रस्तुत करने तथा वाद व्यय दिलाने से है।"

मैं यह प्रार्थना करूंगा कि जहां तक सिविल प्रोसीजर कोड का ताल्लुक़ है उसके बारे में तो मेरी श्री ब्रजवासी लाल जी से बातचीत हुई और उन्होंने सन्तोषप्रद

उत्तर भी दिया परन्तु जहां तक इंडियन एवीडेंस ऐक्ट का सम्बन्ध है उसका रखना बिल्कुल ठीक नहीं है और वह इसलिये कि ऐक्ट और जहां कहीं इन रूल्स में रखा गया है उसका मतलब यह है कि वह जनरल क्लाजेज ऐक्ट की रू से सब कार्रवाइयों पर लागू होगा क्योंकि इसमें लागू होगा तो हम यह बहस कर सकते हैं कि इंडियन एवीडेंस ऐक्ट और जितनी कार्यवाही इन नियमों की रू से होगी वह अपील तक लागू नहीं होगी । इसलिये मैं यह कहूंगा कि इसमें इंडियन एवीडेंस ऐक्ट न रखा जाय। वह तो हर एक मामले में लागू होगा जहां कहीं भी कोई मामला किसी अदालत या कम्पैनसेशन आफ़िसर के यहां पेश होगा वह तो हर जगह लागू होगा ।

इसके सम्बन्ध में मैं एक बात और कहना चाहता हूं श्रीमान् जी, आपके द्वारा माननीय माल मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि वह यह न समझें कि विरोधी दल वालों की तरफ से चाहे कोई बात कितनी ही सुन्दर क्यों न कही जाय मगर चूंकि वे विरोधी दल के हैं, वे बैरी हैं, इसलिये उनकी बात नहीं माननी चाहिये : मैं तो कुछ दिनों से गीता के श्लोक भी नहीं पढ़ता था, क्योंकि इस सदन के कांग्रेस बैक बेंचर्स को गीता का नाम सुनते ही हंसी आती है। हंसी आये तो आये मगर उसकी हंसी उड़ाना ठीक नहीं है---क्योंकि मेरे दिल को दुःख होता है--क्योंकि

"दिल ही तो है न संगो ख़िश्त दर्द से भर न आये क्यों,
रोयेंगे हम हज़ार बार कोई हमें रुलाये क्यों।"

गीता में है--

"निखेदः सर्वभूतेषु सः य मामेत पांडवः"
"ईश्वरः सर्व भूतानां, हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति"

मैं हरएक के दिल में परमात्मा को देखता हूँ ।

यह देखिये गांधी जी की तस्वीर सामने टँगी है और उनके हाथ में गीता है। आप लोग देख लीजिये ।

श्री रामनरेश शुक्ल (ज़िला प्रतापगढ़)---क्या मैं पूछ सकता हूं कि यह विषय के अन्दर है ?

अध्यक्ष---वह अपनी मजबूरी जाहिर कर रहे हैं ।

श्री ज्वालाप्रसाद सिन्हा---मुझे उन माननीय सदस्य की सेवा में यह निवेदन करना है कि मैं असंगत बात कभी नहीं कहता और न सदन का समय आवश्यकता से अधिक कभी लेता हूं। मैं उपाध्यक्ष महोदय और अध्यक्ष महोदय का बहुत कृतज्ञ हूं कि वह कभी हंसी नहीं उड़ाते हैं। कांग्रेस के बैक बेंचर्स ही हंसी उड़ाते हैं। ऐसी बात नहीं होनी चाहिये। मुझसे कई मर्तबा लोगों ने कहा कि अब आप गीता के श्लोक नहीं पढ़ते मगर मैं क्या करूं कि अभी मैंने ऐसा किया तो लोगों ने हंसी उड़ाई। मैं महात्मा गांधी को ही कोट करता हूं जिनके नाम पर आप लोग यहां आये हैं और हमको तो यह देख पड़ता है कि जैसे हमारे पुराने मन्दिरों और मठों के जो गुरू लोग थे..

अध्यक्ष---माननीय सदस्य बहुत विस्तार से व्याख्यान न करें ।

श्री ज्वालाप्रसाद सिन्हा---मैं तो यह कहूंगा कि मुझे बैरी न समझें और जो बात हम माक़ूल और ठीक कहते हैं उसे सरकार मान ले। वह यह न करें कि चूंकि यह बात विरोधी दल

[श्री ज्वाला प्रसाद सिन्हा]

वालों की और से आई है इसलिये अवश्य अनुचित होगी और अस्वीकार कर दें । यह उनको नहीं सोचना चाहिये कि विरोधी दल वाले गलत बात कहते हैं । अगर कोई बात ठीक कही जाय तो उसे मान लेना चाहिये और इसी में देश की भलाई है ।

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय सदस्य ने पेश किया है वह अगर स्वीकार न किया जाय तो कोई हर्ज नहीं है । यानी यदि नियम ९९ रहे तो कुछ सफ़ाई हो जाती है और हर्ज कुछ है नहीं । हो सकता है कि यह ग़ैर-जरूरी हो लेकिन माननीय सदस्य ने गीता का पवित्र नाम लिया है और गीता की दुहाई दी है और गीता का आदर किसके हृदय में नहीं है ? क्या मेरे हृदय में नहीं है ? और उन्होंने शेर भी सुनाया । मैं शेर सुना नहीं सकता लेकिन मैं उनकी कद्र करता हूं । उन्होंने सबसे बढ़ कर बात यह कही है कि जो लोग संशोधन पेश करते हैं उनको गवर्नमेंट के पीछे वाले लोग बैरी मानते हैं । यह उनका ख़याल है, ऐसा कभी नहीं है लेकिन अगर मैं इसको अस्वीकार करता हूं तो वे समझेंगे कि उनको बैरी माना गया इसलिये केवल इसी डर की वजह इसे मैं इस संशोधन को स्वीकार करता हूं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय ज्वाला प्रसाद जी ने जो संशोधन हमारे सामने पेश किया है कि नियम ९९ निकाल दिया जाय, यह बहुत ही असंगत है । अध्याय ६ जो खान और खनिज पदार्थों के सम्बन्ध में है उसके नियम ९९ और नियम १०१ को देखने से यह पता चलता है कि नियम ९९ नियम १०१ का पूरक है । जब तक नियम १०१ है तब तक नियम ९९ भी अति आवश्यक है ।

अध्यक्ष--अभी नियम १०१ स्वीकार नहीं किया गया है इसलिये आप उसका हवाला नहीं दे सकते ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--मेरे कहने का मतलब यही है कि नियम ९९ का निकाल देना असंगत होगा, क्योंकि अगर हम नियम १०१ को देखें तो उसमें लिखा हुआ है "कलेक्टर इस विषय को निर्णय के लिये खानिक विचारक मंडल को सौंप देगा और सभी संगत लेखपत्र भी उसी के पास भेज देगा ।" जब झगड़े तय करने के लिये खानिक विचारक मंडल के पास जायेंगे तो वह नोटिस, सम्मन और अधिपत्रों को तामील करने, फरीकों के बयान लेने, आदि की कार्यवाही करेगा । इन कानूनी बातों को देखते हुए मुझे आशा है कि हमारे माननीय श्री ज्वाला प्रसाद जी अपने इस संशोधन को वापिस ले लेंगे ।

श्री चरण सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम ९९ में इंडियन एवीडेंस ऐक्ट और सिविल प्रोसीजर कोड दो कानूनों का जिक्र किया गया है कि जो भी कार्यवाही होगी वह इन दोनों कानूनों के तहत होगी ज्वाला प्रसाद जी ने जो संशोधन पेश किया उनका कहना यह है कि यह नियम अनावश्यक है । अगर यह नियम न भी रखा जाय तो सिविल प्रोसीजर कोड के अधीन सब कार्यवाही होगी ही, और जितनी भी जुडीशियरी की कार्यवाही होगी वह सब इंडियन एवीडेंस ऐक्ट के मातहत होगी । इसलिये इसको निकाल दिये जाने से कोई कानूनी नुक्स नहीं आता सिर्फ एक तशरीह हो जाती है । इंडियन एवीडेंस ऐक्ट और सिविल प्रोसीजर कोड तो दोनों लागू हैं ही । नारायण दत्त जी का ख्याल है कि अगर यह नियम निकाल दिया जायगा तो वह लागू नहीं रहेंगे लेकिन यह बात नहीं है वे तो जनरली (साधारणतया) लागू हैं ही ।

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि नियम ९९ निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि नियम १०६ के प्रारम्भ में निम्नांकित जोड़ दिया जाय--

"ज० वि० अ० की धारा १२२ के निर्देशों के अनुसार समिति के निर्वाचित सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सीमित मतदान (लिमिटेड वोटिंग) प्रथा के अनुसार होगा।"

अध्यक्ष महोदय, हमारे जमींदारी विनाश अधिनियम तथा इन नियमों में जहां भूमि प्रबन्धक समिति (लैंड मैनेजमेंट कमेटी का जिक्र) है, वह एक बहुत ही अहम कमेटी है। करीब करीब मध्यवर्ती के सारे अधिकार उसके सुपुर्द हो जाते हैं। उसको जमीन को तकसीम करने का, पट्टे पर देने का, साथ ही साथ मुकदमों में हिस्सा लेने का और मुकदमों में जवाब देने का सारा अधिकार है। और जहां तक गांव पंचायत राज ऐक्ट के नियमों के लागू होने के बाद, सदन के सभी सदस्यों का आम तजुर्बे का सवाल यह है कि गांवों में पार्टीबाजियां बड़े जोरों से हो गयी हैं और सिर्फ अदालती पंचायतों में ही नहीं बल्कि गांव सभाओं में भी उनका असर पड़ रहा है। अगर कोई ऐसा प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाता तो उसका नतीजा यह होगा कि ये भूमि प्रबन्धक समितियां सिर्फ बहुमत दल की समितियां हो जायंगी और चूंकि उनको जमीनों का बंटवारा करना है, मुकद्दमों को भी वादी प्रतिवादी की हैसियत से देखना है इसलिये अगर किसी बहुमत दल के सदस्यों की वे समितियां रहेंगी तो उसका नतीजा यह होगा कि वे न्याय नहीं कर सकेंगी और इसीलिये मैंने यह सुझाव पेश किया है कि उनकी वोटिंग का ऐसा नियम बनाया जाय जिसमें अल्पमत के लोगों को भी उनमें आ जाने का मौका मिल जाय ताकि सब लोग मिल जुल कर न्याय कर सकें।

पंचायत राज ऐक्ट के अधीन जो चुनाव का ढंग है आम तौर से वह एक साधारण ढंग है। उसमें हाथ उठवा कर वोट लिया जाता है और जिसको सब से ज्यादा संख्या में वोट मिलते हैं वही शख्स चुना जाता है। हमने जो सुझाव इसमें पेश किया है उसमें अल्पमत वालों के लिये भी गुंजायश है और यह मांग हमारी बहुत पुरानी थी अगरचे कि हमारी सरकार ने, जहां तक विधान सभा और पार्लियामेंट का सवाल था इसको अस्वीकृत कर दिया था क्योंकि वहां पर अधिकार की बात थी। लेकिन इसमें जहां भूमि समिति के सम्बन्ध में सवाल है वहां पर तो इस प्रकार का प्रतिबन्ध अवश्य होना चाहिये तो हमने जो सुन्दर संशोधन पेश किया है इससे अल्पमत वाले भी अधिकार में आ जाते हैं और उनको भी एक मौका मिलता है कि वे भूमि प्रबन्धक समति में आ जायं। इसलिये हम सरकार से यह आशा करते हैं कि वह इस सुन्दर सुझाव को स्वीकार करेगी और जैसा राजस्व मंत्री जी ने अभी विरोधी दल के सदस्य श्री ज्वाला प्रसाद सिन्हा का संशोधन मंजूर करके एकनमूना पेश किया है उसी तरह से वे हमारे इस सुन्दर संशोधन को भी मान कर हमें अनुगृहीत करेंगे।

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य)--माननीय अध्यक्ष महोदय, गांव सभाओं के चुनाव के सम्बन्ध में जो पंचायत राज ऐक्ट है, उस समय भी काफी विचार विमर्श हुआ और गांव पंचायत राज्य ऐक्ट के मातहत गांव

[श्री द्वारका प्रसाद मौर्य]

सभाओं और पंचायतों वगैरह का चुनाव हुआ और उस चुनाव के अधीन गांव सभाओं का कार्य हो भी रहा है। केवल गांव पंचायत और गांव सभाओं तक ही नहीं बल्कि हमारे यहां इस देश में डेमोक्रेसी के सम्बन्ध में और भी चुनाव होते चले आ रहे हैं। अभी हाल ही में हमारी इस विधान सभा और विधान परिषद् वगैरह का भी चुनाव हुआ है। तो विधान सभा के चुनाव में भी हमने देखा कि चुनाव का ढंग जो अपनाया गया था उसमें जनता का प्रतिनिधित्व रहा और विचार विमर्श के बाद ही उस प्रणाली को स्वीकार किया गया। तो अब जब कि एक ढंग विधान सभा के चुनाव का स्वीकार किया गया अब उसके विरुद्ध गांव सभा और गांव पंचायत में अगर इस प्रस्तावित संशोधन के अनुसार चुनाव किया जाय तो यह विशेष विचारणीय हो जायगा कि गांव सभा में वैसा चुनाव हो भी सकता है या नहीं, सुविधाजनक है या नहीं। गांव सभा में चुनाव का सीधा सादा तरीका होना चाहिये। बहुत घुमा फिरा कर चुनाव करने की बात गांव वाले समझ भी नहीं सकते। और जिस तरह से प्रस्ताव किया जा रहा है उस ढंग पर अगर चुनाव हो तो उसका हिसाब लगाना उसका निर्णय देना यह बड़े झगड़े की चीजें हैं। गांव सभाओं में तो सीधा सादा हाथ उठा कर चुनाव करवा लिया जाता है और गांव वाले जिस पर विश्वास रखते हैं उसको चुनते हैं। अगर इस प्रकार का चुनाव, गांव सभा, गांव पंचायत और प्रबंधक समिति में इंट्रोडयूस (प्रचलित) किया जाय तो एक बड़ी कठिनाई पड़ेगी और चुनाव वहां असम्भव हो जायगा। गांव वाले अभी इस प्रकार की क्षमता नहीं रखते कि इस तरह के चुनाव को समझ सकें।

इन सारी कठिनाइयों को देखते हुए मैं नहीं समझता कि आपका प्रस्ताव किस प्रकार से स्वीकार किया जाय। हमने बड़े बड़े चुनावों में जिनमें पढ़े-लिखे लोग रहते हैं और भाग लेते हैं, चुनाव का नतीजा निकालने के लिये बड़े बड़े माहिर लोग भी हैं उसमें भी बहुमत की चुनाव प्रणाली को स्वीकार किया तो गांव सभाओं में जहां हाथ उठा कर चुनाव किया गया है उसमें इस प्रकार का संशोधन ठीक बैठता नहीं। गांव की हालत को देखते हुए, सारे लिमिटेशंस को देखते हुए यह नामुनासिब है और आशा है प्रस्तावक महोदय अपने इस संशोधन को वापस लेंगे।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी मौर्य जी ने जो बातें पेश कीं उनसे मुझे ऐसा मालूम होता है कि सीमित मतदान प्रणाली के बारे में उन्होंने विशेष अध्ययन नहीं किया है। इस प्रणाली में बहुत पेचीदगी में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आम तौर पर अगर कहीं सौ वोटर हैं और दस जगहें हैं और ६० वोटर एक तरफ के हैं और ४० वोटर दूसरी तरफ के हैं तो जितनी जगहें होती हैं उतने ही वोट एक वोटर को देने का अधिकार होता है। लेकिन इस प्रणाली में हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि हाथ उठाते वक्त ऐसा प्रतिबन्ध लगा दिया जाय कि दस मर्तबा हाथ उठाने का नहीं, एक वोटर को ५, ६, ७ मर्तबा ही हाथ उठाने का अधिकार होगा। उसका नतीजा यह होता है कि दस जगहों में बहुमत दल जो है, ६ या सात मर्तबे ही हाथ उठाने से उतने ही सदस्यों को चुन सकता है और बाकी सदस्य स्वतः अल्पमत के आ जाते हैं। यह उनका कहना है कि यह प्रणाली बड़ी पेचीदी है यह बात ग़लत है।

उन्होंने कहा कि बड़े बड़े चुनावों में, विधान सभा और पार्लियामेंट के चुनावों में स्वतंत्र मतदान काम में लाया गया था, कोई दूसरी चुनाव प्रणाली काम में नहीं लायी थी, लेकिन काउंसिल आफ स्टेट और अपर हाउस के चुनाव में आपने दूसरी प्रणाली अख्तियार की। जहां तक विधान सभा और पार्लियामेंट के चुनाव का प्रश्न है वह तो डेमोक्रेसी के उसूलों में ठीक भी हो सकता है, क्योंकि डेमोक्रेसी का यह

तरीका है कि जो पार्टी बहुमत में होती है वही शासन करती है। लेकिन जो लैंड मैनेजमेंट कमेटी गांव में है वह हैसियत नहीं रखती जो प्रान्त में विधान सभाओं को और देश में पार्लियामेंट को होती है, बल्कि उसको तो एक निष्पक्ष और इम्पार्शल बाडी (संस्था) होना चाहिये जो सबके साथ न्याय कर सके और उसको अधिकार भी आपने बहुत महत्वपूर्ण दे रखे हैं। ऐसी हालत में मैं यह दोबारा उम्मीद करूंगा राजस्व मंत्री से कि इस प्रणाली को स्वीकृत करें और अल्पमत की रक्षा करें जिसकी सरकार की ओर से बार बार घोषणा होती रहती है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो हम यह समझने के लिये मजबूर होंगे कि आपकी घोषणाएं सिर्फ घोषणाएं हैं, उनका कोई अर्थ नहीं है और आप भूमि रिफार्म कमेटी को एक ऐसी चीज बनाना चाहते हैं जो बहुमत के हाथ में रहेगी। मैं फिर नम्र निवेदन करूंगा कि इस उचित संशोधन को आप स्वीकार कर लें और भूमि प्रबन्धक समितियों को पार्टी बाजी का अखाड़ा होने से बचाएं।

श्री चरण सिंह—अध्यक्ष महोदय, यह संशोधन अगर स्वीकार कर लिया गया तो गांव का जीवन अशान्तमय हो जायगा। यह कहना कि अगर यह अस्वीकार किया गया तो तो पार्टीबाजी बढ़ जायगी, यह बिल्कुल ग़लत बात है। बल्कि स्वीकार करने से होगा यह कि बिरादरी वार उसमें लोग आयेंगे। लैंड मैनेजमेंट कमेटी के जो मेम्बर्स बनेंगे वह हर बिरादरी के हर मुहल्ले के और हर गांव गोत्र के और तरह तरह के जितने भी वर्गीकरण हो सकते हैं उनके नाम पर वहां लोग जायंगे : फ्रांस और जर्मनी में इस प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन (आनुपातिक प्रतिनिधित्व) पर प्रयोग हो चुका है। फ्रांस की गवर्नमेंट की जो दशा है वह हमारी आंखों के सामने है। ९ महीने वहां मंत्रिमंडल का औसत है। नौ, साढ़े नौ महीने से अधिक वहां मंत्रिमंडल चलता नहीं है। प्रपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन में जितने भी छोटे छोटे इंटेरेस्ट हैं, उनको रिप्रेजेंट करने वाली पार्टीज हैं उनमें दो दो चार-चार आदमी आते हैं। नतीजा यह होता है कि ओवरह्वेलमिंग मैजारिटी (सर्वथा बहुमत) रखने वाली पार्टी लेजिस्लेचर में नहीं आती है। लिहाजा कई-कई गुट और पार्टीज की गवर्नमेंट बनती है। उसमें कोई पार्टी किसी बिल पर मसविदे पर, प्रस्ताव पर मत इकट्ठा करने के लिये कोलीशन गवर्नमेंट बनाती है। बाद में दूसरे प्रस्ताव पर भिन्न मत होने पर दूसरी पार्टीज से मिल कर कोलीशन गवर्नमेंट बनाती है। वहां कोई नीति मुस्तकिल १०-५ साल तक नहीं चल सकती है। नतीजा यह है कि वहां का सार्वजनिक जीवन क्षुब्ध रहता है और अशान्त रहता है।

हमारे गांवों में जहां कि अब तक शान्तमय जीवन व्यतीत होता आया है ऐसी व्यवस्था वहां कर दी जाय तो वहां बड़ी उथलपुथल मच जायगी। मैजारिटी का जो सिस्टम वहां रखा गया है उससे भी वहां एक प्रकार का अन्देशा रहता है। जो पार्टी हार जाती है उसको नदामत रहती है। जो हमारी पहले परम्परा चल रही थी कि सर्वसम्मति से वहां चुनाव होते थे और वहां का वातावरण मधुर रहता था, अब अगर मैजारिटी भी न रख कर प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेण्टेशन कर दें तो यह कानून जहर हो जायगा, विषमय साबित होगा।

हालांकि न तो हमारे प्रस्तावक मित्र को हमारी बात में यकीन है और न किसी सही बात को वह सही कहने के लिये तैयार हैं और उनका हमेशा यह ख्याल रहता है कि हमारी पार्टीबाजी की नीति है और जो हम ऐलान करते हैं उन पर अमल नहीं किया जाता है, लेकिन मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वह इस पर विचार करें और गांव वालों से जाकर पूछ लें अपनी कांस्टिटयूएंसी में कि यह हानिकर होगा या नहीं। अगर इस उसूल को मान लिया गया तो वह बड़ा ग़लत उसूल होगा

[श्री चरण सिंह]

और गांव के लिये मुजिर साबित होगा। मैं मजबूर हूं कि मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता।

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि नियम १०६ के प्रारम्भ में निम्नाँकित जोड़ दिया जाय---

"ज० वि० अ० की धारा १२२ के निर्देशों के अनुसार समिति के निर्वाचित सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सीमित मतदान (लिमिटेड वोटिंग) प्रथा के अनुसार होगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं। नियम १११ की दूसरी पंक्ति में शब्द "अधिकार नहीं होगा" के स्थान पर शब्द "अधिकार होगा" रख दिये जायं।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---आन ए प्वाइंट आफ आर्डर (मैं एक विधान का प्रश्न प्रस्तुत करता हूं)। मैं श्रीमान् का ध्यान जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा १९८ (२) की तरफ दिलाना चाहता हूं जो इस प्रकार है:---

"जो व्यक्ति गांव सभा द्वारा धारा (१) के अधीन दी गयी आज्ञा से असन्तुष्ट हो वह परगना अधिकारी के सामने आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है, परगना अधिकारी अपील की ऐसी रीति से सुनवाई और निर्णय करेंगे जो नियत की जाय।"

तो नियत के अन्तर्गत यह कहा गया है कि गांव सभा या गांव पंचायत को पुनरीक्षण का अधिकार नहीं होगा और संशोधन के जरिये यह कहा जा रहा है कि गांव सभा और गांव पंचायत को पुनरीक्षण का अधिकार होगा। जो रूल में प्रोवाइड किया गया है वह तो ऐक्ट के अनुसार एक क्लैरिफिकेशन (स्पष्टीकरण) है कि ऐक्ट में यह कहा गया है कि उसकी अपील का अधिकार परगना अधिकारी को होगा।

अध्यक्ष---कृपया आप ऐक्ट की धारा दोहरा दें।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---ऐक्ट में यह है। धारा १९८ सब क्लाज (२) "जो व्यक्ति गांव सभा द्वारा धारा (१) के अधीन दी गयी आज्ञा से से असन्तुष्ट हो वह परगना अधिकारी के सामने आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है, परगना अधिकारी अपील की ऐसी रीति से सुनवाई और निर्णय करेंगे जो नियत की जाय।"

अध्यक्ष---"गांव सभा के निर्णय से असन्तुष्ट हो" क्या ये शब्द ऐक्ट में हैं?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---मैं इसे वापस लेता हूं, मुझे भ्रम हो गया था।

श्री अवधेश प्रताप सिंह---अब मैं नियम पढ़ रहा हूं:---

"गांव सभा या गांव पंचायत को भूमि-प्रबन्धक-समिति के किसी ऐसे निर्णय के पुनरीक्षण का अधिकार नहीं होगा जो भूमि के बन्दोबस्त और प्रबन्ध या नियम ११५ के अधीन नियत अन्य कार्यों के सम्बन्ध में हो।" माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे इस संशोधन का अभिप्राय यह है कि गांव सभा या गांव पंचायत को भूमि प्रबन्धक समिति के निर्णय पर पुनरीक्षण करने का अधिकार नहीं दिया जाता है तो यह एक प्रकार से अवैधानिक और अन्याय है। इसके लिये बहुत कानूनी अड़चनें हैं जो मैं श्रीमान् के सामने अभी उपस्थित करूंगा।

मैं इसके सम्बन्ध में ऐक्ट पढ़ना चाहता हूं। इस वक्त मेरे पास जमींदारी एबालिशन ऐक्ट की हिन्दी में प्रतिलिपि नहीं है, इस कारण मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा कि अंग्रेजी में पढ़ूं—

"Notwithstanding anything contained in the U. P. Panchayat Raj Act, 1947, a Gaon Panchayat shall, under the provisions of section 29 of the said Act, establish a Committee, constituted as hereinafter provided, for each circle within its jurisdiction for the purpose of carrying out the duties relating to the settling and management of land and such other functions as may be prescribed."

[यूनाइटेड प्राविंसेज़ पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ में किसी बात के रहते हुए भी, उक्त अधिनियम की धारा २९ के निदेशों के अधीन प्रत्येक गांव-पंचायत आगे चल कर की गयी व्यवस्था के अनुसार अपने अधिक्षेत्र के प्रत्येक मंडल के लिये एक समिति भूमि के प्रबन्ध और बन्दोबस्त से सम्बन्ध रखने वाले कर्त्तव्यों का पालन करने तथा ऐसे अन्य कार्यों के लिये, जो नियत किये जायं, स्थापित करेगी।]

यह अधिकार जो गांव पंचायत को दिया गया है यह धारा १२१ जमींदारी एबालिशन ऐक्ट के अनुसार है। अब श्रीमान् जी का ध्यान मैं सेक्शन २९, यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिससे कि आपको उसके काम्पलीकेशन्स (जटिलताएं) समझने में थोड़ी सी सुविधा हो।

"नियत शर्तों की पाबन्दी के साथ कोई गांव पंचायत अपने नियत कर्तव्य या किसी प्रकार के कर्तव्यों को पूरा करने में सहायता करने के लिये एक कमेटी बना सकती है और ऐसी कमेटी को अपने ऐसे अधिकार दे सकती है जो ऐसी सहायता देने के लिये आवश्यक हों।"

श्रीमन्, मैं आपका ध्यान और आपके द्वारा सदन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि ये जो शब्द हैं "नियत शर्तों की पाबन्दी के साथ वह अधिकार दे सकती है और ऐसे अधिकार दे सकती है जो ऐसी सहायता देने के लिये आवश्यक हों"। अब श्रीमन्, आपके सामने मैंने जितने अधिनियम के नियम थे उनको पेश कर दिया है। अब मैं आपके द्वारा माननीय माल मंत्री से यह पूछना चाहूंगा कि क्या वह यह समझते हैं कि दफा २९ यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट के अनुसार ऐसे अधिकार भी दे सकते हैं जिससे कि लैंड मैनेजमेंट कमेटी सब प्रकार से सर्वाधिकारी मानी जाय? और इसी के सिलसिले में मैं फिर आपका ध्यान नियम ११५ जमींदारी एबालिशन रूल्स की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा।

"भूमि प्रबन्धक समिति निम्नलिखित कार्यों का सम्पादन करेगी—

(क) धारा १८७ और १९७ के अधीन भूमि उठाना।

(ख) निम्नलिखित का प्रबन्ध :—

(१) अकृषिक भूमि किन्तु इसके अन्तर्गत वह भूमि नहीं है जो समय विशेष पर किसी खाते या बाग़ की भूमि हो, और

(२) गांव की सीमा के भीतर के बन।

(ग) एक दूसरे से दूर दूर उगे हुये वृक्षों का रक्षण और उनका निस्तारण।

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

(घ) तालाबों और पोखरों का रक्षण तथा उनसे सिंचाई करने के अधिकारों के प्रयोग का नियमन।

(ङ) मालगुजारी की वसूली में सहायता पहुंचाना।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप देख सकते हैं कि लैंड मैनेजमेंट कमेटी की एबसोल्यूट पावर्स मानी जाती हैं और दफा २९ पंचायत राज ऐक्ट के अनुसार कोई भी कमेटी बनाई जा सकती है तो उसके अधिकार सीमित होंगे। लेकिन इस ऐक्ट के अनुसार जो आपकी लैंड मैनेजमेंट कमेटी बनेगी उसके एब्सोल्यूट पावर्स होंगे। म तो यह कहता हूं कि यह नियम बनाने का अधिकार सरकार को है ही नहीं क्योंकि यह चीज ऐक्ट से असंगत है और ऐसी स्थिति में जब यह कहा जाता है कि पंचायत राज हैं, मैं फिर संशोधन पर वापिस आता हूं, "गांव सभा का या गांव पंचायत को भूमि प्रबन्धक समिति के किसी ऐसे निर्णय के पुनरीक्षण (रिवीजन) का अधिकार नहीं होगा" अध्यक्ष महोदय मैं यह १११ नियम पढ़ रहा था। आगे चलकर भविष्य में कोई कठिनाई उपस्थित न हो इसलिये मैं इसी सिलसिले में आपके समक्ष जमींदारी एबालीशन ऐक्ट का सेक्शन १२२ उपस्थित करना चाहता हूं। इससे पता चलेगा कि कमेटी का कांस्टीटयूशन किस तरह से होने वाला है। मैं आपकी इजाजत से सेक्शन १२२ पढ़ता हूं।"

"The Committee established under section 121 shall consist of all the members for the time being of the Gaon Panchayat from the circle for which it is established :

Provided firstly that, where the number of such members is less than ten, the members of the Gaon Sabha from the circle concerned shall elect from amongst the members of the Gaon Samaj such number as will make the total number of members of the committee ten :"

[धारा १२१ के अधीन स्थापित समिति में गांव पंचायत के उस समय वाले ऐसे सब सदस्य होंगे जो उस मंडल के हों, जिसके लिये समिति स्थापित की गयी हो,

किन्तु पहला प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसे सदस्यों की संख्या दस से कम हो, तो गांव सभा के ऐसे सदस्य, जो तत्सम्बन्धी मंडल के हों, गांव समाज के सदस्यों में से इतने सदस्य चुन लेंगे जिन्हें मिला कर समिति के सदस्यों की संख्या दस हो जाय।]

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---आपको हिन्दी में पढ़ना चाहिये था।

श्री अवधेश प्रताप सिंह---मेरे पास हिन्दी की कापी नहीं है इसलिये मैं माननीय अध्यक्ष की आज्ञा से अंग्रेजी में पढ़ रहा हूं और कमेटी के कांस्टीटयूशन के बारे में पढ़ रहा हूं। मेरा यह कहना है कि इस समय यदि सुधार नहीं हुआ तो अदालत की कसौटी पर आपका यह नियम ठहर नहीं सकता और लैंड मैनेजमेंट कमेटी के जितने प्रबन्ध होंगे वह सब अदालतों द्वारा ठुकराये जायंगे जो इस हाउस के सदस्यों के लिये महान् कलंक की बात होगी और लोगों को हम लोगों के ऊपर संदेह उत्पन्न होने लगेगा कि ऐसी साधारण सी जो बात हमें समझनी चाहिये थी और ऐसी बात नहीं रखनी चाहिये थी जो अदालत में एक तिल के लिये भी न ठहर सके। तो यह नियम बेमानी हो जायगा।

गांव सभा और गांव पंचायत की आज लैंड मैनेजमेंट कमेटी बनती है। उसके सदस्य कितने होंगे। वह गांव पंचायत के होंगे। यदि दस नहीं हुए तो गांव समाज से निर्वाचन करके इस संख्या की पूर्ति की जायगी। गांव समाज के लोग होंगे, गांव पंचायत निर्वाचन करेगी। कहा यह जाता है कि एबसोलूट अधिकार गांव पंचायत को हैं और वह गांव पंचायत १० मेम्बर्स से कम एक कमेटी बना देगी। जहां तक इस नियम का ताल्लुक है उसमें गांव समाज नहीं आता पर यह अधिकार ऐसी लैंड मेनेजमेंट कमेटी, एक बाडी को दिया जाता है और कांस्टीट्यूशनल बाडी जो है वह ठुकराई जाती है। डेमोक्रेटिक सेटअप (लोकतांत्रिक व्यवस्था में) इसका कोई नमूना नहीं मिलेगा। यह जबरदस्ती की बात होगी कि कांस्टीट्यूशनल बाडी को ठुकरा कर एक ग़लत तरीक़ा अख्तियार किया जा रहा है। इसका, क्या परिणाम होगा। श्रीमान्, आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री जी को यह बतलाना चाहता हूं कि निर्णय यही किया गया था कि गांव पंचायतें अपना हर कार्य स्वयं करेंगी और आपने यह अधिकार उनको दिया था, लेकिन जहां आपने यह अधिकार दिया वहां हम यह नहीं समझते थे कि पंचायती अदालतों में जहां घूसखोरी है, अदालत, सरपंच, मेम्बर सब घूस लेते हैं उनकी बनाई हुई यह लैंड मेनेजमेंट कमेटी क्या करेगी। पहले एक जमींदार था अब यह काम दसियों जमींदारों के सुपुर्द किया जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो लीगल और कांस्टिट्यूशनल डिफिकल्टी (वैधानिक कठिनाई) है इसके लिये मैं आपसे सविनय प्रार्थना करूंगा और आप के द्वारा माननीय मंत्री से भी अनुरोध करूंगा कि लीगल एडवाइजर्स से या एडवोकेट जनरल से या किसी से वह इस पर परामर्श कर लें और यदि उनकी सम्मति यह हो कि नियम अवैधानिक घोषित नहीं किया जायगा तब तो यह अधिकार रहे, इसको वह हाउस के सामने लावें वर्ना मैं इस्तदुआ करूंगा कि वह इसको वापस ले लें, क्योंकि यह कमेटी जिस पंचायत राज्य ऐक्ट की धारा २९ के मुताबिक बनाई जा रही है उसमें कहीं भी यह अधिकार नहीं दिया गया है जिससे इस कमेटी की नियुक्ति या निर्वाचन हो सके जिसमें सब अधिकार उसके ही सुपुर्द कर दिये जायं और वह बाडी जो कि अपने अधिकार को दे उसके लिये कोई गुंजइश बाकी न बचे। मेरी समझ में तो यह असंगत बात है जिस पर माननीय मंत्री को अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिये। यदि उनको कुछ कठिनाई है तो हर तरह से मैं उसको साफ करने को तैयार हूं और यह भूल हुई इस कारण से कि जब यह ऐक्ट बन रहा था तो उस समय माननीय मंत्री ने यह ध्यान नहीं दिया कि सेक्शन २९, यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट में क्या लिमिटेशंस हैं, क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं। उसमें जो प्रतिबन्ध था उसका ध्यान नहीं रखा गया। यह किया गया जिसकी वजह से यह कठिनाई हो रही है। मैं पंचायत राज्य ऐक्ट की धारा २९ की ओर पुनः आप का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं क्योंकि इसी धारा के अनुसार यह लैंड मेनेजमेंट कमेटी बनाई जाने वाली है।

"नियत शर्तों की पाबन्दी के साथ कोई गांव पंचायत अपने नियत कर्तव्य या किसी प्रकार के कर्तव्यों को पूरा करने में सहायता करने के लिये, एक कमेटी बना सकती है और ऐसी कमेटी को अपने ऐसे अधिकार दे सकती है जो ऐसी सहायता देने के लिये आवश्यक हों।" सहायता करने के लिये, माननीय अध्यक्ष, न कि जो कुछ अधिकार हैं उनको छीनने के लिये या हस्तान्तरित करने के लिये यह कमेटी बनाई जाय। इस कमेटी को अधिकार दिये जा सकते हैं सहायता देने के लिये, यह कहीं नहीं होता कि किसी कमेटी को एब्सोलूट पावर्स दे दी जायं।

अध्यक्ष—आपने सेक्शन १२१ भी तो पढ़ा है उस में शब्द "नाटविथस्टैंडिंग" आया है।

श्री अवधेश प्रताप सिंह—श्रीमान्, आज्ञा दें तो मैं पढ़ दूं।

"Notwithstanding anything contained in the U. P. Panchayat Raj Act, 1947.

(यूनाइटेड प्राविंसेज पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ में किसी बात के रहते हुये भी.....)

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

इसके मानी यह हैं कि ऐक्ट में कहीं और असंगत बात पाई जाय तो उसका ख्याल न किया जाय, लेकिन जो पावर दी गयी है वह तो पंचायत राज ऐक्ट की धारा २९ के मुताबिक थी और उसी के मुताबिक अधिकार दिया जा सकता है और वह भी सीमित है। नाटविथस्टैंडिंग के माने यह नहीं हैं कि सेक्शन २९ वहां पर लागू है या उससे ताल्लुक रखता है। सेक्शन २९ से अगर यह ताल्लुक रखता है तो फिर यह एक विरोधाभास है। एक तरफ तो आप कहते हैं सेक्शन २९ के मुताबिक कमेटी बनाई जाय और दूसरी तरफ कहते हैं कि उसकी धारा के यह मुआफिक नहीं पड़ता है उसको डिलीट कर (हटा) दिया जाय। यह तो बिलकुल बेमानी बात है। यह हो सकता है कि आप से भूल हो जाय या हमसे भूल हो जाय या और कोई कठिनाई हो तो उसको बतलाया जाय। यही एक चीज थी जिसके ऊपर माननीय माल मंत्री अपने केस को निर्धारित करते हैं। अब मैं यह चाहता हूं कि माननीय माल मंत्री हमको बतलावें कि आप किस सेक्शन के मातहत लैंड मैनेजमेंट कमेटी फार्म कर सकते हैं और इन सब अधिकारों से उसको सम्पन्न कर सकते हैं और कौन से रूल्स इसके लिये हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय माल मंत्री जी अपना मत इस हाउस के सामने प्रकट करें ताकि आइन्दा चल कर कोई ऐसी बात पैदा न हो जाय जो किसी तरह से सुलझ न सके।

श्री नारायणदत्त तिवारी--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह एक माना हुआ सिद्धांत प्रजातंत्र देशों में और हमारे प्रदेश में इस सदन द्वारा माना गया है कि जब किसी कमेटी का चुनाव सदन या किसी और द्वारा किया जाता है तो उस कमेटी की रिपोर्ट या कार्यवाही अवश्य उस बाडी के पास आनी चाहिये कि जिसकी वह कमेटी है। धारा १२२ के अन्दर जो मैनेजमेंट कमेटी है वह गाँव पंचायत द्वारा चुनी जाती है और यह कमेटी गांव पंचायत की ही बहुमत या अल्पमत की होती है। इसलिये यह होना चाहिये कि जिस प्रकार सदन के द्वारा चुनी हुई कमेटी की रिपोर्ट हमारे सामने आती है और हम उसको स्वीकार करें या अस्वीकार करें उसी प्रकार से यह लैंड मैनेजमेंट कमेटी का फैसला सही हो या ग़लत वह सब गांव पंचायत के सामने आना चाहिये। मैं यह समझता हूं कि हमने इसको परम्परागत स्वीकार किया है और आज भी हम प्रजातंत्र देशों में इस प्रणाली को देखते हैं। इस कारण मैं यह समझता हूं कि इस संशोधन को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये इसके साथ-साथ और भी बातें हैं जिनकी वजह से मैं समझता हूं कि इसको स्वीकार करना चाहिये। नियम ११० में हम यह देखते हैं कि --

"गांव पंचायत या भूमि प्रबंध समिति अपने कर्तव्यों का पालन, कार्यों का सम्पादन और अपने अधिकारों का प्रयोग उसी प्रकार करेगी जैसा कि पंचायत राज नियमावली में नियत किया गया हो।"

अगर यह देखा जाय तो स्पष्ट मालूम होता है कि इस अध्याय ७ में जहां पर गांव पंचायत और गांव सभाओं का जिकर है वहां पर अगर उनको और अधिकार नहीं रखा है तो यह अधिकार जरूर है कि वह ११० के अन्दर भूमिप्रबन्धक समिति का कार्य भी करे और उसके कामों पर अपना विचार प्रकट करे। इसी ख्याल से वह इसमें रखा गया है कि वह इनके ऊपर अपना विचार करे। इसके साथ ही साथ जो नियम १११ है उसमें भूमि प्रबंधक समिति का अधिकार क्या है यह देखना है। इसमें अधिकार बतलाये गये हैं कि जो भूमि के बन्दोबस्त और प्रबन्ध या नियम ११५ के अधीन नियत अन्य कार्यों के संबंध में हो। अगर हम नियम ११३ में जो बहियां बतलाई गई हैं उन सब की जांच करेंगे तो कितना आवश्यक होगा जो कि भूमि के बन्दोबस्त, प्रबन्ध और अन्य कार्यों के संबंध में होंगे। मैं नियम ११३ से इन बहियों के नाम पढ़ना चाहता हूं। १ रोकड़ बही, २ रसीद बही, ३ कार्यवाही का रजिस्टर, ४ मांग और वसूली का रजिस्टर और ५ जमा करने का रजिस्टर। अगर हम नियम १११ जैसा है वैसा ही मान लें तो मैं कहूंगा

कि यह जितनी बहियां और रजिस्टर हैं इन सब में गांव पंचायत को उनका निरीक्षण तक करने का अधिकार नहीं रहेगा । अगर इस तरह का वादविवाद आया तो गांव पंचायत इस नियम १११ के अनुसार इन बहियों और रजिस्टरों की जांच करने के लिये लैंड मेनेजमेंट कमेटी को बाध्य नहीं कर सकती । यह बड़ी अड़चन हमारे सामने हैं । इसलिये मैं माननीय माल मंत्री से कहूंगा कि वह इस पर पुनः विचार करें।

इसके साथ साथ आप की आज्ञा हो तो मैं जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा १२७ की ओर माननीय माल मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और उसको मैं सदस्यों के विचार के लिये जरा पढ़ना चाहता हूं । धारा १२७ यह है कि "यदि किसी समय राज्य सरकार को यह संतोष हो जाय कि—

(क) गांव पंचायत या समिति ने इस अधिनियम के अधीन या द्वारा लगाये गये अपने कर्त्तव्यों का पालन या दिये गये कार्यों का सम्पादन किसी उपयुक्त कारण या अपदेश के न रहते हुए भी नहीं किया है,

(ख) ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि इस अधिनियम के अधीन या द्वारा लगाये गये कर्त्तव्यों का पालन या दिये गये कार्यों का सम्पादन करने में गांव पंचायत या समिति असमर्थ हो गई है या हो जा सकती है, या

(ग) और कारणों से ऐसा करना उपयुक्त या आवश्यक है, तो गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके वह प्रख्यापित कर सकती है कि इस अधिनियम के अधीन गांव पंचायत के कर्त्तव्यों, अधिकारों और कार्यों का पालन, प्रयोग और सम्पादन ऐसे व्यक्ति या आधिकारिक द्वारा ऐसी अवधि के लिये और ऐसे निरोधों के साथ, जो नियत किये जायं, किया जायगा।"

यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण है । इसमें हम चूंकि यह देखते हैं कि लैंड मेनेजमेंट कमेटी के कार्यों के लिये चाहे इसमें कितनी गलती हो या सम्पादन करने में असमर्थ हो या अन्य कारण हो तो गांव पंचायत को सरकार जिम्मेदार ठहरावेगी । तो माननीय सदस्य इस बात पर विचार करें कि अगर गांव पंचायत को लैंड मेनेजमेंट कमेटी के द्वारा पुनरीक्षण करने का अधिकार नहीं देते तो इस धारा में जो सरकार की मंशा है उसके अनुसार कार्यवाही किस प्रकार ठीक तरह से हो सकती है । क्योंकि उस में केवल समिति का ही जिक्र नहीं है बल्कि गांव पंचायत और समिति दोनों का है । लेकिन इस धारा के अनुसार सरकार गांव पंचायत को ही जिम्मेदार समझती है और समिति को जिम्मेदार नहीं समझती । समिति के कार्य के लिये भी और लैंड मेनेजमेंट कमेटी के कार्य के लिये भी वह गांव पंचायत को ही जिम्मेदार समझती है। मैं समझता हूं कि इस महत्वपूर्ण धारा का पालन करने के लिये यह अति आवश्यक है कि इस धारा के रहते हुए इस नियम का रहना अवैधानिक है । इसलिये इस संशोधन का स्वीकार होना बहुत जरूरी है । मौर्य जी ने जो दफा १९८ (२) पढ़वाई वह तो उन्हीं के खिलाफ़ जाती है । इसका अर्थ यह है कि समिति ग्राम सभा के लिये जिम्मेदार होगी और ग्राम सभा के फ़ैसले से असन्तुष्ट होगा वह कलेक्टर के पास जा कर अर्जी देगा । तो मैं माननीय मौर्य जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पहले ही प्वाइंट आफ़ आर्डर रेज (वैधानिक प्रश्न उठा) करके इस बात को हमारे सामने ला दिया । मुझे आशा है कि हमारे माल मंत्री जी उन प्रश्नों पर जो मैंने वैधानिक और धारा व्यक्त करने के लिये उठाये हैं, विचार करेंगे और विशेषकर धारा १२७ के महत्व को देखते हुए वह इस संशोधन को स्वीकार करेंगे। यह एक प्रजातांत्रिक संशोधन है और इस प्रणाली को और मजबूत करता है और इसके लिये मैं इस पर और भी जोर देता हूं और मुझे विश्वास है कि माननीय माल मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे।

श्री चरण सिंह---अध्यक्ष महोदय, जहां तक मैं समझता हूं इस संशोधन को पेश करते समय दो ही दलीलें दी गयी हैं। एक तो यह है कि लैंड मैनेजमेंट कमेटी को इतना बड़ा अधिकार दे देना ग्राम सभा के अधिकार को छीन लेने के बराबर है और यह कि यह क़ानून के भी खिलाफ़ पड़ता है। दूसरे यह कहा गया कि यह चीज़ डैमोक्रेटिक उसूलों के भी खिलाफ़ भी पड़ती है कि अपील के अधिकार गांव सभा को न देकर किसी अधिकारी को दिये जावें। जिन माननीय सदस्य ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया है उन्होंने यह बात उठायी कि लैंड मैनेजमेंट कमेटी का जिक्र १९८ में नहीं है बल्कि गांव सभा का जिक्र है और लैंड मैनेजमेंट कमेटी को यह अधिकार नहीं होना चाहिये क्योंकि यह दफ़ा १९८ के विपरीत पड़ता है। लेकिन इस संबंध में मैं माननीय सदस्य का ध्यान दफ़ा ११८, १२० और १२१ की ओर दिलाऊंगा। यों तो दफ़ा ११३ में गांव सभा का जिक्र किया गया है लेकिन दफ़ा १२० में यह है कि:--

"The Gaon Panchayat shall, for and on behalf of the Gaon Sabha, perform the functions and possess the powers and discharge the duties assigned, conferred or imposed by or under this Act or the rules framed thereunder."

[गांव सभा के लिये और उसकी ओर से गांव पंचायत ऐसे कार्यों का सम्पादन करेगी, उस को ऐसे अधिकार प्राप्त होंगे और वह ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगी, जो इस अधिनियम या इस अधिनियम के अधीन बने हुए नियमों के द्वारा या अधीन अभ्यर्पित, प्रदत्त, या आरोपित हों।]

यानी गांव समाज की ओर से गांव सभा को सारे अधिकार हासिल होंगे। गांव समाज एक प्रकार से नातफ़ंकशनिंग बाडी होगा। उसकी तरफ़ से काम चलाने का अधिकार गांव सभा को होगा। फिर ११८ में यह है--

"Subject to the provisions of this Act, the Gaon Sabha shall, as from the specified date, be charged, for and on behalf of the Gaon Samaj, with the general superintendence, management and control of all the lands....."

[इस अधिनियम के निदेशों को बाधित न करते हुए निर्दिष्ट दिनांक से गांव सभा को गांव समाज के लिये और उस की ओर से ऐसी सब भूमि के ..... सामान्य अधीक्षण, प्रबंध और नियंत्रण का भार सौंप दिया जायगा।]

गांव सभा को जो भी अख़्त्यार दिये गये हों उन सब पर गांव पंचायत अमल कर सकती है। तो चाहे इसमें कहीं गांव सभा आया हो या गांव पंचायत आया हो, सारे अधिकार गाँव सभा कि माने जावेंगे। क़ानूनन कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता है।

अब रही बात लैंड मैनेजमेंट कमेटी की। उसके लिये दफ़ा १२१ में लिखा है--

"Notwithstanding anything contained in the U. P. Panchayat Raj Act, 1947, a Gaon Panchayat shall, under the provisions of section 29 of the said Act, establish a Committee, constituted as hereinafter provided, for each circle within its jurisdiction....."

[यूनाइटेड प्राविंसेज़ पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ में किसी बात के रहते हुए भी, उक्त अधिनियम की धारा २९ के निदेशों के अधीन प्रत्येक गांव पंचायत आगे चल कर की गयी व्यवस्था के अनुसार अपने अधिक्षेत्र के प्रत्येक मंडल के लिये एक समिति .....स्थापित करेगी।]

खैर, मतलब यह है कि गांव पंचायत जिस तरह से भूमि का प्रबंध करने वाली कमेटी बनावेगी उस को यह अधिकार होंगे। गांव पंचायत की ओर से ही लैंड मैनेजमेंट कमेटी बनेगी। गांव सभा को जो अधिकार इस कानून के अन्दर जमींन के संबंध में मिलने वाले हैं उन सब अधिकारों का उपयोग वह लैंड मैनेजमेंट कमेटी के जरिये से ही करेगी। इसलिये लैंड मैनेजमेंट कमेटी की अपील गांव सभा या गांव पंचायत में हो यह हो नहीं सकता। लैंड मैनेजमेंट कमेटी जो भी काम करेगी वह गांव पंचायत की ओर से ही करेगी। इसलिये अगर उसके फ़ैसले के विरुद्ध अपील गांव पंचायत में होगी तो वह अधिनियम के बिलकुल विपरीत होगा। सेक्शन १२१ में दिया हुआ है:—

"Not with standing any thing.."

[किसी बात के रहते हुये भी.....]

कानून यह है कि जब कोई संघर्ष दो कानूनों में होता है या जिद होती है तो बाद का जो कानून होता है वह प्रिवेल करता है लेकिन यहां तो साफ़ ही कह दिया गया है कि गांव पंचायत एक कमेटी बनायेगी और उसको फलां फलां अधिकार होंगे। इसलिये उसके फ़ैसले के खिलाफ अगर गांव सभा को अपील की जायगी तो वह कानून के खिलाफ़ होगी।

एक बात यह भी कही गयी कि यहां भवन की जो कमेटियां होती हैं उनके फ़ैसले यहां भवन में विचार के लिये आते हैं, लेकिन यहां जो भी फ़ैसले होते हैं या कमेटी में जो भी फ़ैसला होता है वह लेजिस्लेटिव होते हैं। भवन को जो पावर्स हैं वे लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, लेकिन लैंड मैनेजमेंट कमेटी को जो पावर्स हैं वे ऐक्जीक्यूटिव पावर्स (सम्पादन शक्तियां) हैं। वह किसी जमींन को दे सकती है। उठा सकती है। आजकल जमीन की क़ीमत बहुत है, हमेशा से रही है और आगे बहुत ज्यादा होगी। गांवों में जमींन बहुत कम खाली पड़ी है जिसको अब आगे उठाया जा सकता है। लैंड मैनेजमेंट कमेटी में १० आदमी होंगे लेकिन गांव सभा में सैकड़ों और हजारों आदमी हो सकते हैं। हजारों आदमियों के सामने एक ऐक्जीक्यूटिव मामला जाय जिसमें वे राय दे सकें यह ऐक्जीक्यूटिव के उसूलों के खिलाफ है। इंतजाम से संबंध रखने वालों मामलों में जितने ही कम आदमी होंगे उतना ही अच्छा होगा। लेजिस्लेचर की दूसरी बात है वहां तो विचार करने का सवाल होता है, एक जाप्ता बनाने का सवाल होता है। लेजिस्लेचर अपनी तरफ से एक लीडर आफ़ दी हाउस चुनता है चीफ़ मिनिस्टर होता है और वह अपने साथियों को चुनता है, जो केबीनेट होती है। इस तरह से आप देखेंगे कि लेजिस्लेटिव को ऐक्जीक्यूटिव के अख्तियारात नहीं होते। इसलिये इंतजाम के मामले में जितने ही कम आदमी होंगे उतना ही अच्छा है। तो इसलिये इसकी अपील के लिये बजाय इसके कि हम गांव सभाओं में प्रोवीजन करते इसको हमने साफ तौर पर माना है कि गांव सभाओं में अपील नहीं जायगी, वैसे जा भी नहीं सकती। लेकिल उसको हमने साफ कर दिया है कि इसकी अपील गांव सभा और गांव पंचायत में नहीं जायगी। जहां हजारों आदमी हो सकते हैं, वहां कोई जमींन ए० को दें या बी० को दें, इस तरह का मामला अगर हजारों आदमियों के सामन जायगा तो वह मेरिट पर तय नहीं हो सकेगा। उसमें बहुत सी बातें पैदा हो जायगी और मैं समझता हूं कि उससे सारे गांव का वातावरण बिगड़ सकता है। इसलिये जानबूझ कर जो ऐक्ट बना है उसमें रखा गया है कि अगर गांव सभा के फैसले के खिलाफ किसी को एतराज हो तो हमने अल्फाज मे न अपील रखा है, न निगरानी रखा है। सिर्फ यह रखा है

"Any person aggrieved by an order of the Gaon Sabha passed under sub-section (1) may file an objection before the Sub-Divisional Officer who shall hear and decide the same in such manner as may be prescribed."

[श्री चरण सिंह]

[जो व्यक्ति गांव सभा द्वारा धारा (१) के अधीन दी गयी आज्ञा से असंतुष्ट हो वह परगना अधिकारी के सामने आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है परगना अधिकारी अपील की ऐसी रीति से सुनवाई और निर्णय करेंगे जो नियत की जाय ।]

कोई शख्स जिसको गांव सभा के फैसले के विरुद्ध कोई आपत्ति हो तो वह उस आपत्ति को सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा जो नियम बनाये जायेंगे उसके अधीन गांव सभा महज फंक्शन करेंगी। अगर किसी को कोई आपत्ति हो और उसे वह सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट के सामने रखेगा तो मैं समझता हूं कि यह डेमोक्रेटिक उसूल के खिलाफ नहीं पड़ेगा। उसूल तो दुनियां में बहुत होते हैं, लेकिन उनका एक लिमिटेशन (सीमा) होता है, वे हर जगह पर नहीं लागू हो सकते। अगर किसी घर में चार बच्चे हों और एक बाप हो तो चारों बच्चे मिल कर कोई ऐसी बात कहें जिसको मानना बाप ठीक न समझे तो क्या आप कहेंगे कि वह डेमोक्रेटिक घर नहीं है? क्या आप डेमोक्रेसी को घर में लागू करना चाहते हैं? उसूल का भी एक लिमिटेशन होता है। लेजिस्लेशन के लिये, कानून बनाने के लिये अधिक आदमी ठीक हो सकते हैं, लेकिन इन्तजाम करने का काम दो तीन या पांच आदमियों के हाथ में रहने पर ही अच्छा होता है। इन अल्फाज के साथ मुझे अफसोस है कि मैं इस संशोधन को स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—श्रीमान्, मैंने प्रश्न उठाया कि धारा १२७ के अनुसार यह अवैधानिक है।

अध्यक्ष—उसका जिक्र श्री अवधेश प्रताप सिंह जी अपने संशोधन में कर सकते हैं।

श्री अवधेश प्रताप सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है और खेद है कि हमारे माननीय माल मंत्री जी जो एक बड़े वकील हैं, आज कानून के ऊपर इस तरह से बहस करें। आज मैं उनसे कहता हूं कि यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट की दफा २९ के अधीन आप यह नहीं कह सकते। माननीय अध्यक्ष महोदय आप स्वयं देखेंगे कि आज तक दो, चार या १० मिनट जो भी वे बोले हों, लेकिन माननीय मन्त्री जी ने हमारे किसी भी प्रश्न का जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। मैं तो यह कहता हूं कि डेमोक्रेटिक सेटअप (लोकतांत्रिक व्यवस्था) की बात आप छोड़ दें, भारतवर्ष में तो अभी इसकी शुरुआत है कि हम यहां पर एक नयी बात कर रहे हैं लेकिन तो यह कहता हूं कि यह आपके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है। जिस पर आपने यह फरमाया कि नाट विद स्टैंडिंग का माने यह है कि यह यू० पी० ऐक्ट पर अप्लाई ही नहीं करता है। आपने कहा कि पुराने ऐक्ट में कहीं कम्पलीकेशन इन्वाल्वड् (जटिलता समाविष्ट) हो तो यह माना जायगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरियेउ नसे दरयाफ्त करना चाहता हूं कि क्या वे नहीं जानते हैं कि यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट की बेसिस पर ही यह लैण्ड मैनेजमेंट कमेटी नियुक्त होने जा रही है? चाहे उसका निर्वाचन हो या जो कुछ भी हो। नाट विथस्टैंडिंग का माने दफा २९ के उस पोर्शन तक जो उनके लिये लिबरल (उदार) हो वह तो अप्लाई (लागू) होगा और जो भाग उनके लिये कटु होगा वह अप्लाई नहीं होगा। यानी जो उनके मतलब की चीज है वह तो उनके लिये लागू होगी और जो उनके मतलब की चीज नहीं है वह उनके लिये नहीं लागू होगी। अगर इस तरह से किसी अधिनियम या नियम का इन्टरप्रीटेशन किया जायगा तो भगवान ही जान सकता है कि भारतवर्ष में जुडिशियरी किस तरह से अच्छा काम कर सकती है रहा यह कि, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि श्रीमान् पुनः इस पर ध्यान दें कि दफा २९ पंचायत राज ऐक्ट क्या कहता है।

उसी के अधीन लैंड मैनेजमेंट कमेटी बनायी जायगी। नाट विथ स्टैंडिंग के मतलब तो यह हैं कि तमाम सेक्शंस जो कि यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट के हैं जो कि कंट्रेडिक्टरी (विरोधी) हों, उस हद तक तो यह कहा जा सकता है लेकिन यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट के एक सेक्शन के अधीन उसके अन्तर्गत यह लैंड मैनेजमेंट कमेटी बनायी जा रही

है या तो यू० पी पंचायत राज ऐक्ट अमेंड किया जाय या जमींदारी अबालिशन ऐक्ट में जहां पर आप दफा २९ पर अपना केस निर्धारित करते हैं वह डिलिट किया जाय। यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट का वही सेक्शन है जिसके मातहत लैंड मैनेजमेंट कमेटी बनेगी और उसके लिये आप यह फरमाते हैं कि जो कंफ्लिक्ट में हो जो असंगत है वह अवैधानिक करार दे दिया जाय। मैं किस बात का जवाब दूं जब वह मेरे सवाल का जवाब ही नहीं है। यही एक रास्ता है कि या तो यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट संशोधित हो या यू० पी० जमींदारी अबालिशन एंड लैंड रिफार्म्स ऐक्ट संशोधित हो।

रहा यह कि हमारे माननीय सदस्य जो १२७ के बारे में कह रहे थे मैं उसको छोड़ता हूं। मैं तो वही दफा कहता हूं। दफा २९ जिसके अनुसार लैंड मैनेजमेंट कमेटी बनेगी। दफा १२७ में इसलिये छोड़ता हूं कि जब कि डियूटीज नहीं हैं तो ओब्लीगेशस नहीं होने चाहिये। हमारे माननीय सदस्य ने यह कोट किया था।

"If at any time a Gaon Panchayat or the Committee has failed without reasonable cause or excuse to discharge the duties or to perform the functions imposed or assigned by or under this Act.....

[यदि किसी समय गांव पंचायत या समिति ने इस अधिनियम के अधीन या द्वारा लगाये गये अपने कर्त्तव्यों का पालन या दिये गये कार्यों का सम्पादन किसी उपयुक्त कारण या अपदेश के न रहते हुए भी नहीं किया है....]

वह कह सकते थे कि कोई फंक्शंस दिये ही नहीं गये गांव पंचायत या गांव सभा को। वह तो दिये गये हैं लैंड मैनेजमेंट कमेटी को। लेकिन मैं तो इस पर बहस नहीं कर रहा हूं अपना केस मैं तो उसी सेक्शन पर बेस कर रहा हूं जिसके अन्तर्गत लैंड मैनेजमेंट कमेटी बनाना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष, यह एक बड़ा गम्भीर प्रश्न है। अगर मैं इसपर वैधानिक आपत्ति करता तो बहुमत दल द्वारा यह कहा जाता कि माननीय अध्यक्ष के अधिकार में नहीं है कि इसको अवैधानिक घोषित कर दें।

श्री चरण सिंह—आप की इजाजत से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। एक ही दलील है उसको बराबर माननीय मित्र दोहरा रहे हैं। और उसी दफा २९ को बार बार कह रहे हैं। केवल आपसे यह निवेदन है कि इतना रिपीटेशन (पुनरावृत्ति) जिससे सदन का इतना समय नष्ट हो, इस पर विचार करें।

श्री अवधेश प्रताप सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, कठिनाई तो यह है कि उसी बात को मैं न कहूं जो सबसे सीधी सादी है। उसी के पीछे आप छिप रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि अगर इसी तरह से आप नियम बनाते रहे, तो लैंड मैनेजमेंट कमेटी का जो नियम बनेगा उसके फैसलों का प्रतिबन्ध किसी भी नागरिक पर नहीं होगा न किसी पर लागू होंगे। ऐसे ऐक्ट या नियम बहुमत बना सकता है। लेकिन परिणाम यह होगा कि उसका कोई असर नहीं होगा। कोई बात कही जाय तो बहुमत दल न समझने की कोशिश करता है न सुनने को कोशिश करता है। मैं तो अपने को इतना गया गुजरा न समझूंगा कि मैं अपने को उनका बैरी कहूं। विरोधी और बैरी में बड़ा अन्तर है। अगर किसी बात पर जोर दिया जाता है तो कहते हैं कि रिपीटीशन (पुनरावृत्ति) कर रहे हैं। आप उसको मान लें या समुचित उत्तर दे दें। तो मैं चुप हो जाऊंगा।

मुझे तो कोई जरूरत नहीं है। मैं इस संशोधन को वापस लेना नहीं चाहता मैं तो विभाजन चाहूंगा इसके लिये।

श्री चरण सिंह--अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह दलील कि पंचायत राज ऐक्ट की धारा २९ के विपरीत पड़ती है, धारा १२१ जमींदारी लैंड रिफार्म ऐक्ट और वह अवैधानिक है, यह बात २६ दफा कही है। मेरी समझ में यह नहीं आता कि उसी बात को बार बार कहने से क्या मतलब हल हो सकता है। बुद्धि सबकी बराबर है, यकसां है। हमको यह चाहिये कि दो तीन बार कहने से दूसरा आदमी समझ ही गया होगा।

श्री अवधेश प्रताप सिंह--२६ दफा कहने के बाद भी आप नहीं समझे।

अध्यक्ष--आप डिस्टर्ब न करें (बाधा न डालें)।

श्री चरण सिंह--तीन दफा कहने से अगर नहीं समझा तो २६ दफा कहने से भी नहीं समझूंगा।

दफा २९ में यह है कि न्यायोचित शर्तों की पाबन्दी के साथ कोई गांव पंचायत अपने न्यायोचित कर्त्तव्य या कर्त्तव्यों को पूरा कराने में सहायता करने के लिये एक कमेटी बना सकती है और ऐसी कमेटी को अपने ऐसे अधिकार दे सकती है जो उसके लिये आवश्यक हों।

धारा १२१ में ये शब्द हैं, "यूनाइटेड प्राविंसेज़ पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ में किसी बात के रहते हुये भी, उक्त अधिनियम की धारा २९ के निदेशों के अधीन प्रत्येक गांव पंचायत आगे चलकर की गयी व्यवस्था के अनुसार अपने अधिक्षेत्र के प्रत्येक मंडल के लिये एक समिति भूमि के प्रबंध और बंदोबस्त से संबंध रखने वाले कर्त्तव्यों का पालन करने तथा ऐसे अन्य कार्यों के लिये जो नियत किये जायं, स्थापित करेगी।

आपका फरमाना यह है क्योंकि उसमें लिखा है कि उक्त अधिनियम की धारा २९ के निदेशों के अधीन मुकर्रर की जायंगी लेकिन धारा २९ में चूंकि यह लिखा हुआ है कि सहायता के लिये कमेटी बना सकती है और यह कमेटी सहायता के लिये नहीं बनी है बल्कि एक प्रकार से पंचायत के सारे अधिकार लैंड मैनेजमेंट कमेटी को दे दिये हैं, इसलिये यह अवैधानिक है। लेकिन इसमें कोई युक्ति नहीं है। धारा २९ का जब जिक्र किया गया है तो उसका मतलब यह है कि पंचायत राज ऐक्ट में जहां २९ में कमेटी बनाने का अधिकार दिया गया है तो पंचायत कमेटी बनायेगी लेकिन २९ में जो कमेटियां बन सकती हैं उतने ही अधिकार रहेंगे, इतने नहीं रहेंगे जितने दिये जा रहे हैं। लेकिन उसमें यह भी कह दिया गया है कि 'नाटविदस्टैंडिंग ऐनीथिंग कंटेंड इन पंचायत राज ऐक्ट अगर नहीं लिखा होता तो उससे कई हानि नहीं होती, अगर लिख दिया गया तो कोई खराबी नहीं होती। सेक्शन २९ में जहां कमेटी बनने की बात है उसके फंक्शंस क्या होंगे वह ऐक्ट में साफ साफ दे दिया गया। इसलिये अवैधानिकता की कोई बात आती नहीं। मैंने पहले शायद तफसील के साथ अर्ज किया नहीं था। जब 'नाटविदस्टैंडिंग ऐनीथिंग' लिख दिया गया और २९ का हवाला हो गया तो उसका असर खप्त नहीं होगा। २९ दफा से मतलब यह है कि उसी कमेटी से बनती है, इसलिये उसका हवाला दे दिया गया और नाटविदस्टैंडिंग कह करके कि अगर उस ऐक्ट में भी कोई विरोध हो तो वह अपील नहीं करेगा। तो सेक्शन २९ के मुताल्लिक यही मेरी राय है। यह गवर्नमेंट के लीगल ऐडवाइजर की राय है। हो सकता है कि आप की राय सही हो तो वह बात अदालत में तय हो जायगी लेकिन मेरी अपनी राय में कोई अवैधानिकता इसमें है नहीं और न अवैधानिकता पर कोई बहस हो सकती है। क्योंकि यह केवल राय का सवाल होता है। इन शब्दों के सार में इस संशोधन का विरोध करता हूं।

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि नियम १११ की दूसरी पंक्ति में शब्द "अधिकार नहीं होगा" के स्थान पर शब्द "अधिकार होगा" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि नियम ११५ के खंड (२) में शब्द "बन" के पश्चात शब्द "जो गांव समाज में निहित हों" जोड़े जायं और इसी नियम के खंड (ग) में शब्द "वृक्षों" के पूर्व शब्द "उन" और शब्द "निस्तारण (Disposal)" के पश्चात शब्द "जो गांव समाज में निहित हों" जोड़े जायं और शब्द निस्तारण के पूर्व शब्द "उनका" निकाल दिया जाय।

इस संशोधन के द्वारा केवल इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि वे ही बन जो गांव समाज में निहित हों। बकिया शब्दों को सुन्दर बनाने के लिये संशोधन है। मुझे आशा है कि इसमें कोई विरोध नहीं होगा।

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि नियम ११५ के खंड (२) में शब्द "बन" के पश्चात् शब्द "जो गांव समाज में निहित हों" जोड़े जायं और इसी नियम के खंड (ग) में शब्द "वृक्षों" के पूर्व शब्द "उन" और शब्द निस्तारण (Disposal)" के पश्चात शब्द "जो गांव समाज में निहित हों" जोड़े जायं और शब्द "निस्तारण" के पूर्व शब्द "उनका" निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अवधेश प्रताप सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से मैं निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं--

"नियम १३८ के उपनियम (२) की तीसरी पंक्ति में शब्द सुपरवाइजर कानूनगो के स्थान पर शब्द नायब तहसीलदार रख दिया जाय।"

मैं नियम पढ़ना चाहता हूं। जहां तक मेरे संशोधन का संबंध है वह नियम १३८ के उपनियम (२) से संबंध रखता है। अतः मैं उसी को पढ़ता हूं।

१३८ (२)--१०० रु० या उससे कम लगान वाले पट्टों का प्रमाणीकरण किसी माल न्यायालय द्वारा या किसी ऐसे माल अधिकारी द्वारा, जिसका पद सुपरवाइजर कानूनगो के पद से निम्न न हो और जिसके स्थानीय अधिक्षेत्र में वह भूमि अथवा उसका कोई भाग स्थित हो जिससे उक्त पट्टे अथवा प्रतिरूप का संबंध हो, किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना चाहता हूं और आप के द्वारा माननीय माल मंत्री से अनुरोध करूंगा कि जहां पर शब्द "सुपरवाइजर क़ानूनगो" है उस जगह पर शब्द "नायब तहसीलदार" कर दिया जाय। नायब तहसीलदार एक जिम्मेदार आदमी है। मैं सुपरवाइजर क़ानूनगो को कोई ग़ैरजिम्मेदार कहने का साहस न करूंगा। लेकिन मैं आप से यह बता दूं कि आज तक यह कहा जाता है कि जमींदारों ने रिश्वत ली और मैं इसको भी कह दूं कि जितना जमींदारों ने लिया उससे कहीं अधिक सुपरवाइजर क़ानूनगो साहब प्रमाणीकरण में ले लेते थे। अब उनकी आदत पड़ चुकी है और मेरी समझ में यह नहीं आता कि वह अपनी आदत कैसे छोड़ देंगे। मैं आप से सही कहता हूं कि जमींदारों से कहीं अधिक रुपया पटवारी और क़ानूनगो साहबान ने लिया है। पटवारी नम्बर देने में और क़ानूनगो उसके अटेस्टेशन (संवीक्षण) में। तो संभव है कि ऐसी बहुत सी बातें हों जिनको रोकने का आप प्रयत्न करते हैं पर उस मात्रा में नहीं रोक पाते जितनी कि आप चाहते हैं। ऐसी परिस्थिति में मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इसमें कोई कठिनाई नहीं है, इसमें कोई दलील का सवाल नहीं है कि सुपरवाइजर क़ानूनगो की जगह पर नायब तहसीलदार कर दिया जाय। यह एड-मिनिस्ट्रेशन (प्रशासन) के लिये और जनता के लिये, सब के लिये लाभकर प्रतीत होगा।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो धारा १५७ के अन्तर्गत पट्टे उठाने की बात कही गयी है उसमें क़ानून के अन्दर अविवाहिता स्त्री हो, नाबालिग हो,

[श्री द्वारका प्रसाद मौर्य]

जड़ हो या शारीरिक निर्बलता आदि के कारण जो पट्टे दिये जायगे उन पट्टों के जरिये जो असामी बनेंगे उनको जमीन में सिवाय एक असामी के हक़ के और कोई अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि एक बार जमीन उठा दी गयी तो फिर वह जमीन के मालिक हों जायं या उनसे जमीन निकल न सके । तो ऐसा कोई अधिकार उन पट्टों के जरिये उनको दिया नहीं गया । इसमें जो माननीय सदस्य को पुराना भय है कि सुपरवाइजर क़ानूनगो अगर पट्टा तसदीक़ करेंगे तो उसमें लोगों को परेशानी होगी या कोई नाजायज ढंग पर उनको दिक्क़तें उठानी पड़ेंगी वह निराधार है । तो सुपरवाइजर कानूनगो के जरिये से जब आसानी से तसदीक़ हो सकती है और उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी तो मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इस संशोधन को वापस लेंगें ।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी राजस्व मंत्री जी ने इस संशोधन के विरुद्ध दलीलें दी हैं उनको मैंने ग़ौर से सुना है। संशोधन केवल इतना है कि क़ानूनगो साहब के बजाय नायब तहसीलदार साहब के सुपुर्द यह काम कर दिया जाय। मैं यह नहीं समझ पाया कि सरकार को कठिनाई क्या पड़ती है । अगर कोई कठिनाई सरकार को पड़ती है तो फिर वैसी हालत में इस संशोधन को स्वीकार कर लेने में आपत्ति होती तो ठीक था । तो एक तो बात यह कि कठिनाई कोई नहीं मालूम हो रही है । दूसरी तरफ़ जो नुक़सान होता है उसकी ओर मैं माल मंत्री जी का और सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । २१ मई के बाद के पट्टों को रद्द कर देने का जब क़ानून इस सदन ने बनाया उसके बाद किस तरह से पट्टे तसदीक़ किये गये हैं और क़ानूनगो साहबान ने किस तरह से पट्टे तसदीक़ किये हैं, कम से कम माननीय मौर्य जी को जानकारी में आना चाहिये क्योंकि वह ऐसे हिस्से से आते हैं कि जिस तरफ का जितना ज्ञान मुझे है उतना ही उनको भी है । कानूनगो साहबान को, इस मौके पर लोग तो यह कहा करते हैं कि उनको फ़ुरसत नहीं मिली मामलात तय करने की और रुपया गिनने की। इसलिये उन्होंने एक दिन में दो दो ढाई ढाई हजार रुपया पट्टे तस्दीक़ कराने में लिये हैं। यदि उनको फ़ुरसत होती और वह लोगों से बातचीत कर पाते तो शायद इससे भी कहीं ज्यादा वसूल कर पाते । मैं ऐसा समझता हूं कि इसमें मुबालगा हो सकता है । लेकिन मैं आप के द्वारा राजस्व मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यह तो बड़ी भारी बात है कि इस तरह से एक मामूली १००-१५० गांव का हाकिम रोज दो ढाई हजार रुपया रिश्वत के कमाये खाये और सरकार को जानकारी तक न हो। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार को जानकारी प्राप्त करना चाहिये ।

इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सरकार का मंशा जहां तक मैं समझता हूं जमीन वालों को बेजमीन करने का नहीं है और छोटी जमीन वालों के सामने जितनी दिक्क़तें हैं अपनी जमीन बेचने की तो उतना ही ज्यादा मुनासिब है क्योंकि उनकी जमीन बची रहती है और उनकी जमीन किसी के हाथ में जल्दी नहीं जाती है । क़ानूनगो साहब बहुत ही नजदीकी हाकिम हैं और उनका सरोकार भी देहात के लोगों से रहता है और जब मामला रजिस्ट्री के लिये जाता है तो बड़ी देर से जाता है । कुछ देर लगती है रास्ते में और दूसरे कुछ लोग उनको रजिस्ट्री कराने से रोकते भी हैं और कभी कभी तो यह देखा गया है कि लोग स्टेशन से और यहां तक कि तहसील जा कर भी लौट आते हैं लेकिन कानूनगो साहब के यहां पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगेगी । नजदीक का मामला है, क़ानूनगो साहब ५ गांव तक में चले जाते हैं बल्कि वह पटवारी को रजिस्टर दे देते हैं और वह रजिस्टर लेकर गांव में चला आता है और निशानी अंगूठा वग़ैरह ले कर चला जाता है और वहां पर कानूनगो साहब दस्तखत कर देते हैं कि हमारे सामने फरीकेन आये और हमारे सामने यह कार्यवाही हुई ।

मैं इस पर वैसे ज्यादा जोर नहीं देता । मैं इस कमेटी का भी मेम्बर था और उस समय भी मैंने मंत्री जी का ध्यान दिलाया था। मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि सरकार को यदि कोई

कठिनाई हो क़ानूनगो साहब के हाथ में न देने से तो वह मालूम होनी चाहिये जिससे हम उस पर विचार करें और यदि नहीं है तो मैं समझता हूं कि सिर्फ एक सीढ़ी बढ़ जाती है । यदि कानूनगो साहब दस मील पर नहीं मिलेंगे तो बीस मील पर नायब तहसीलदार साहब मिलेंगे और जमीन वाले की जमीन बिक सकेगी। सौ रुपये के मामले को क्या मैं तो एक रुपये के मामले को भी बहुत मंहगा समझता हूं।

अध्यक्ष——यह सब पट्टों के लिये नहीं है बल्कि धारा ५७ के अधीन जो पट्टे हैं उनके लिये है।

श्री गेंदा सिंह——जो संशोधन सामने है मैं तो उसके लिये कह रहा हूं। मैं समझता हूं कि यह अधिकार नहीं दिये जाने चाहिये।

(इस समय १ बज कर २० मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)——माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस सिलसिले में अभी वादानुवाद चल रहा था वह केवल इस बात से संबंधित है कि यह जो नियम १५७ जमींदारी एबोलिशन ऐक्ट से संबंधित पट्टे हों उनकी रजिस्ट्री रजिस्ट्रार क़ानूनगो करे या और कोई उनकी रजिस्ट्री करे । बात बहुत छोटी सी है और इस संबंध में मेरे विचार से जिस सज्जन ने इस प्रश्न को उठाया वह उसके तथ्य को समझ नहीं पा रहे हैं। रजिस्ट्रार कानूनगो उसकी रजिस्ट्री करे या न करे यह प्रश्न इन नियमों के अन्तर्गत आता भी नहीं केवल प्रश्न यह है कि रजिस्ट्रार कानूनगो के नीचे का कोई अधिकारी रजिस्ट्री न करे और उसके ऊपर का ही कोई अधिकारी रजिस्ट्री करे । विरोध केवल यह है कि रजिस्ट्रार कानूनगो के संबंध में यह कहा जायगा, जैसा माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा, कि समय समय पर उनको रिश्वत लेने की आदत है और इन पट्टों के संबंध में वे गड़बड़ियों कर सकते हैं लेकिन मैं नहीं जानता कि रजिस्ट्रार कानूनगो के संबंध में कैसे यह बात कही जा सकती है । जैसे कल नायब तहसीलदार के लिये प्रस्ताव आये और यदि उनका नाम रख दिया जाय तो उनके बारे में भी यह चीज़ कही जायगी या नहीं और नायब तहसीलदार के स्थान पर यदि सब रजिस्ट्रार रख दिया जाय तो मैं तो नहीं जानता कि कौनसा भाग्यशाली जिला है जिसमें कि सब रजिस्ट्रार के संबंध में यह कहा जा सके कि सब रजिस्ट्रार के कार्यालय में सारा कार्य ऐसा होता है कि जिसमें भ्रष्टाचार की शिकायत न की जा सके। और इसके अतिरिक्त एक तीसरी बात यह है कि यह जो रजिस्ट्रार कानूनगो वाली बात है और उनका संबंध धारा १५७ के जिन पट्टों से है वे पट्टे हर प्रकार के पट्टे नहीं हैं, केवल विधवा, अपाहिज, बीमार व्यक्ति इस प्रकार के व्यक्तियों के जो पट्टे होंगे उनका संबंध धारा १५७ से है। इस प्रकार प्रत्येक प्रकार के पट्टे के किये जाने का प्रश्न भी इस नियम के अन्तर्गत उत्पन्न नहीं होता। ऐसी अवस्था में मेरा यह ख्याल है कि वे पट्टे जिनका संबंध १५७ धारा से है वे बहुत साधारण पट्टे होंगे, और उनके संबंध में भ्रष्टाचार का प्रश्न पैदा नहीं होता । ऐसी अवस्था में मैं आप के द्वारा उपाध्यक्ष महोदय, अपने मित्र महोदय से यह प्रार्थना करूंगा कि जो प्रस्ताव उन्होंने सदन के समक्ष पेश किया है यदि उसमें नायब तहसीलदार भी रख दिया जाय तो उसका भी कोई अर्थ नहीं है । नायब तहसीलदार और तहसीलदार के संबंध में भी उतने ही ज़ोर से वे बातें कही जा सकती हैं जो कि रजिस्ट्रार क़ानूनगो के संबंध में इस सदन के समक्ष रक्खी गयी हैं।

श्री अवधेश प्रताप सिंह——माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो मुझसे पहले बोल रहे थे उनको सुपरवाइजर क़ानूनगो और रजिस्ट्रार क़ानूनगो में शायद कोई अन्तर मालूम नहीं होता या शायद वह नहीं समझते कि यह सदन अच्छी तरह से समझ लेगा।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—आन ए प्वाइंट आफ़ एक्सप्लेनेशन सर, (श्रीमान् जी, मैं इसका स्पष्टीकरण करता हूं)। वाक़ई में मुझसे ग़लती हुई। अन्तर को मैं जानता हूं लेकिन गलती से मेरे मुंह से सुपरवाइज़र क़ानून के स्थान पर रजिस्ट्रार क़ानूनगो निकल गया।

श्री अवधेश प्रताप सिंह—जहां तक सुपरवाइज़र क़ानूनगो का सवाल है उसके ऊपर मैं कुछ न कह कर महज़ इतना कहना चाहता हूं कि बहुत सी दिक्क़तें वे ऐसी उत्पन्न कर देंगे जिनकी वजह से जो पट्टेदार हैं वे उनके पास जा भी नहीं सकेंगे। उनके पास एक बहुत ही सुन्दर साधन है। उसके लिये मैं आपको नियम १४० दिखलाना चाहता हूं। उस १४० नियम में यह है कि "यदि प्रमाणीकरण किसी सुपरवाइज़र क़ानूनगो द्वारा किया जाय तो वह अपनी अनुबन्ध रजिस्टर में लेख्य के प्रस्तुत किये जाने का दिनांक, उसका प्रकार, और निष्पादक का नाम तथा पता दर्ज करेगा तथा अपनी दैनन्दिनी में प्रमाणीकरण किये जाने का तथ्य दर्ज करेगा। यदि उसे निष्पादक के अभिज्ञान या लेख्य की शर्तों से निष्पादक की जानकारी तथा सहमति के संबंध में सन्तोष न हो, या यदि निष्पादक निष्पादन स्वीकार न करे, तो वह प्रमाणीकरण करने से इन्कार कर देगा और अपनी दैनन्दिनी में प्रस्तुत किये जाने का दिनांक, लेख्य का प्रकार, निष्पादक का नाम तथा पता और प्रमाणित करने से इन्कार करने के लिये अपने कारण दर्ज करेगा।"

इसमें सुपरवाइज़र कानूनगो साहब यह फरमायेंगे कि इस कठिनाई की वजह से मैं अटैच करने के लिये तैयार नहीं हूं। फिर अनपढ़ लोग वहां पर जायंगे और वह वहां पर बहस नहीं कर सकेंगे। कानूनगो साहब इतने होशियार होते हैं कि कोई न कोई हीला हवाला निकाल ही लेंगे। ऐसी हालत में मैं आप के द्वारा माननीय माल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि सुपरवाइज़र क़ानूनगो की जगह पर नायब तहसीलदार को रख दिया जाय तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। इसमें आप का एडमिनिस्ट्रेशन (प्रशासन) भी अच्छा होगा और आप का लाभ होगा और जनता के हित में यह होगा। लंच के पहले मौर्य जी ने यह कहा था कि इसमें कोई बात खास ऐसी नहीं मालूम होती है कि कोई दिक्क़त हो, लेकिन उनको यह समझना चाहिये कि देहात में आगे चल कर यह कठिनाई पैदा हो जायगी जब कि बहुत से देहात के लोग अपनी उचित मांग को उस तरह से उनके सामने नहीं रखेंगे और उनकी कोई सम्मति नहीं होगी।

श्री चरण सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, एक एक सुपरवाइज़र क़ानूनगो का हलका औसतन् ५०,५० गांव का पड़ता है और नायब तहसीलदार का हलका करीब करीब १७५ गांव सभाओं का पड़ता है। इस तरह से अगर यह काम उनके जिम्में कर दिया जायगा तो उनका काम बढ़ जायगा। अगर हमने यह किया कि नायब तहसीलदार से कम हैसियत का अफसर इसका अधिकारी न रहे और नायब तहसीलदारों को ही दिया गया तो उनका काम बहुत बढ़ जायगा क्योंकि जैसा मैंने अर्ज़ किया उनके हलके में करीब १७५ गांव सभायें पड़ती हैं।

दूसरा कारण यह है कि बहुत से तहसीलदारों का हल्का बहुत लम्बा है उनके गांव से तहसील का जो दफ्तर है वह ५०,५० मील की दूरी तक फैला हुआ है। तो नाबालिग, विधवा या वली को तहसील के हैड क्वार्टर तक जाने में बहुत कठिनाई होगी बनिस्बत सुपरवाइज़र क़ानूनगो के दफ्तर या मकान पर जाने के। सुपरवाइज़र क़ानूनगो आमतौर पर सब देहात में रहते हैं और ज्यादा से ज्यादा १५ मील की दूरी से ज्यादा उनका हलका नहीं होता है। तो इसमें उन लोगों को ज्यादा सहूलियत होगी। दोनों लैसर और लैसी को इसमें सहूलियत है। सुपरवाइज़र कानूनगो के यहां अपना अटैस्टेशन कर लेंगे बजाय इसके कि वह तहसील के हैडक्वार्टर में जायं।

तीसरी बात यह है कि हमने इसमें जो लब्ज़ लिखे हैं वह यह हैं :

"Leases of land the rental of which is Rs.100 or less may be attested by any revenue court or a revenue officer not inferior in rank to a supervisor kanungo....."

[१०० रुपये या उससे कम लगान वाले पट्टों का प्रमाणीकरण] किसी माल न्यायालय द्वारा या किसी ऐसे माल अधिकारी द्वारा जिसका पद सुपरवाइजर क़ानूनगो के पद से निम्न न हो, हो सकता है..]

क़ानूनगो से नीचे की हैसियत का अफसर न हो। इससे ऊंची हैसियत का अफसर होना चाहिये, उसके यहां अटैस्टेशन हो सकता है। अगर तजुर्बे ने यह बतलाया कि किसी तरह की कोई शिकायत आ रही है तो हम एक्जिक्यूटिव आर्डर के जरिये से नायब तहसीलदार, तहसीदार, असिस्टेंट कलेक्टर या कलेक्टर से कह सकते हैं कि बजाय सुपरवाइजर कानूनगो के वे लोग पट्टे की रजिस्ट्री करें नियम में केवल यह है कि इससे नीचे के अफसर अटैस्टेशन नहीं कर सकते हैं, यह नहीं है कि केवल सुपरवाइजर कानूनगो ही कर सकते हैं। तो इन शब्दों के होते हुये मेरी समझ में नहीं आता कि कौन सी कठिनाई है जिसकी वजह से संशोधन की आवश्यकता है।

रही भ्रष्टाचार की बात। तो अगर हमारे दोस्तों का यह खयाल है कि नायब तहसीलदार इससे ऊपर हैं तो मुझे इसकी बहुत खुशी है और मैं इसको खुश किस्मती समझता हूं, परन्तु जब भ्रष्टाचार पर व्याख्यान होते हैं तब तो पटवारी से लेकर सर्वोच्च अधिकारी तक इस लपेट से नहीं बच पाते। मैं आज यह बड़ी प्रसन्नता के साथ सुन रहा हूं कि क़ानूनगो के बाद एक लाइन खींची जा सकती है। खैर, इसलिये यह मन्शा तो एग्जिक्यूटिव आर्डर से भी पूरी हो सकती है क्योंकि हमने केवल इतना रखा है कि क़ानूनगो से नीचे का न हो। इन शब्दों के साथ मैं कहूंगा कि यह संशोधन वापिस ले लिया जाय वर्ना अगर वापिस नहीं लेते तो मैं इसका विरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष--क्या माननीय सदस्य अपना संशोधन वापस लेना चाहते हैं?

श्री अवधेश प्रताप सिंह--जी नहीं।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि नियम १३८ के उपनियम (२) की तीसरी पंक्ति में शब्द "सुपरवाइजर कानूनगो" के स्थान पर शब्द "नायब तहसीलदार" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम १५९ खंड १ उपखंड (ख) में "दसगुना" शब्द निकाल कर "साढ़े बारह गना" रख दिया जाने का प्रस्ताव करता हूं।

इस नियम में बतलाया गया है कि सीरदार की दशा में वृक्षों और उन्नति के मूल्य के सहित मौरूसी दर से किये गये मूल्यांकन का दसगुना किया जायगा और इसके पहले (क) में कहा गया है कि भूमि के मूल्य का निर्धारण भूमिधर की स्थिति में मौरूसी दर से लगाये गये मूल्यांकन का २५ गुना या देय मालगुजारी का ५० गुना, इनमें से जो भी अधिक हो किया जायगा। इसलिये इस नियम में यह साढ़े १२ गुने का संशोधन मैंने उपस्थित किया है। इस नियम से यह प्रतीत होता है कि सरकार अब भी भूमिधरी का रुपया वसूल करने पर ही तुली हुई है और इस नियम के द्वारा वह चाहती है कि जो लोग अभी सीरदार हैं और जिनके पास रुपया नहीं है वह लोग मजबूरन इस दशा में भी दसगुना देकर भूमिधर बनें।

दूसरी बात और भी खराब मालूम होती है कि जो लोग मौरूसी भूमिधर हैं यह बात समझ में नहीं आती है कि जो लोग भूमिधर हैं उन्हें तो २५ गुना और जो सीरदार हैं उन्हें १० गुना। अगर १२ १।२ गुना यानी आधा रखा गया होता तो यह कहा जा सकता था कि मौरूसी लोगों ने १० गुना लगान जमा करने के बाद अपने

[श्री राम सुन्दर पांडेय]

रुपये को ख़र्च किया तो उनके खेतों की कीमत ज्यादा हो गई लेकिन जिन्होंने नहीं १० गुना जमा किया तो उनके खेतों की कीमत कम से कम आधी तो हो ही सकती है। इससे यह लाभ होगा कि सारे प्रदेश में अधिक लोगों के सीरदार होने से उन्हें लाभ होगा। ३५ १।२ करोड़ रुपये की वसूली साबित करती है कि लोग सीरदार ही होना पसंद करते हैं। प्रदेश में और ख़ासतौर से जब पूर्वी जिलों में आर्थिक संकट है तो वहां के लोग १० गुना जमा करके भूमिधर कैसे बन सकते हैं और अपने खेतों की २५ गुनी क़ीमत कैसे वसूल कर पायेंगे, यह बात आज के ज़माने में अनोखी सी प्रतीत होती है। तो मैं कहना चाहता हूं कि सरकार इमानदारी से ग़रीब जनता का ख्याल करे और हमारे संशोधन को स्वीकार करे।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन को उपस्थित करते हुये हमारी सोशलिस्ट पार्टी के माननीय सदस्य ने अपनी बातें मिलाकर इस प्रकार कहीं कि सरकार किसानों का ख़याल नहीं करती, जनता बहुत ग़रीब है और इस प्रकार से सीरदारी की कम क़ीमत लगाना ठीक नहीं है। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह केवल जमीन के बटवारे के सम्बन्ध में ही नियम है। बटवारा करते समय जब ऐसी परिस्थिति होगी कि जमीन का बटवारा खाते का नहीं हो सकता है तो कुछ हिस्से को जमीन को बेचना होगा और उसका एक मूल्य निर्धारित होना चाहिये। सरकार उसे कम क़ीमत पर नहीं ले रही है बल्कि वह तो खातेदारों के अन्दर ही उसे निर्धारित मूल्य पर देना चाहती है। सीरदार को ट्रांसफर का राइट नहीं है और सभी जानते हैं कि ट्रांसफर का राइट न होने से किसी चीज का मूल्य कितना होता है। पिछले ज़माने में दखीलकारी या मौरूसी काश्तकार को ट्रांसफर का राइट नहीं था तो यदि वह अपनी जमीन को किसी दूसरे के हाथ निकालना चाहता था तो कितना रुपया उसे मिलता था यह सभी जानते हैं। यह भी सभी को मालूम है कि जिस जमीन के ट्रांसफर का हक़ होता है उसकी क़ीमत कितनी अधिक होती है। लेकिन इस नियम द्वारा भूमिधारी और सीरदारी का जो मूल्यांकन किया गया है उसकी आड़ में अपनी तमाम पुरानी बातें दोहरा डालीं कि सरकार भूमिधरी के द्वारा रुपया हासिल करना चाहती है, जनता ग़रीब है और सरकार उसे परेशान करना चाहती है। पता नहीं ये सब बातें उसके अन्दर कहां से आ गईं। अगर कोई अपनी भूमिधरी का रुपया जमा करके भूमिधर होना चाहे तो उसके लिये रोक नहीं है, अगर कोई जमा नहीं करना चाहता तो उसके लिये कोई जबरदस्ती नहीं है। कीमत निर्धारित करने से क्या आप यह समझते हैं कि सरकार सीरदारों के साथ ज्यादती कर रही है। इसमें कोई ज्यादती की बात पैदा नहीं होती। सीरदार की भूमि का मूल्यांकन किया गया कि उसके हिसाब से उसकी जमीन ट्रांसफर होगी उसमें किसी के नुक़सान या फायदे का सवाल पैदा नहीं होता। सरकार की ओर से कोई जबरदस्ती नहीं की जा रही है।

अगर कोई सीरदार भूमिधर बनने में अपना लाभ समझता है जो कई बार स्पष्ट किये जा चुके हैं कि उसके बनने से उनको क्या क्या हुकूक मिलने वाले हैं, तो अगर किसी के पास पैसा है तो वह भूमिधर क्यों न बनेगा। सीरदार के ट्रान्सफर करने के सिलसिले में जो कीमत रखी गई है वह किसी प्रकार से कम नहीं है। उससे किसी का नुक़सान नहीं होता। जिन काश्तकारों को बटवारे के सिलसिले में जितनी जमीन दी जायगी उसी के हिसाब से उसका मूल्य भी दिया जायगा। ऐसी कोई बात तो है नहीं कि सोशलिस्ट पार्टी वालों की कोई जमीन कांग्रेस वालों के हाथ में जा रही हो या किसी ऐसे आदमी के हाथ से जमीन जा रही हो जो सोशलिस्ट पार्टी के पक्ष का हो और जिसके हक़ में जा रही हो वह कांग्रेस के पक्ष का हो। लेकिन अगर वह दलील पहिले किसी उसूल के लिये दी गई हो तो मैं उसका विरोध करता हूं।

श्री राम नारायण त्रिपाठी——मुझे मौर्य्य जी से यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उनका भूमिधर और सीरदार में कोई भेदभाव करने का इरादा नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि जिस आदमी को भूमि बेंचने का अधिकार है उसकी जमीन की क़ीमत ज्यादा होनी चाहिये और जिसको यह अधिकार नहीं है उसकी जमीन को कीमत कम होनी चाहिये। मैं आपके द्वारा मौर्य जी से यह पूछना चाहता हूं कि चाहे सीरदार जमीन बेचना चाहे या न बेचना चाहे एक तो आप उस पर यह पाबन्दी लगाते हैं कि उसको बटवारे के सिलसिले में बेचनी ही होगी। दूसरी तरफ आप मूल्यांकन करते हैं तो भेदभाव रखते हैं इसका मतलब सिर्फ यही है कि यदि ऐसा कोई मौका आये तो तमाम सीरदार भूमिधर बनना पसंद करें ताकि उनको ढाई गुना कीमत ज्यादा मिल जाय। अगर यही बात थी तो आपने साफ साफ यह क्यों न कह दिया कि सरकार सबको भूमिधर बनाना चाहती है। लोगों के पास पैसा नहीं है, आपकी स्कीम को उन लोगों ने पसन्द भी नहीं किया, लेकिन आप बज़िद हैं कि किसी न किसी तरह से इसको करके ही रहेंगे। सीधे या टेढ़े जनता के ऊपर इस कानून को लागू करके ही रहेंगे। मैं फिर सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, जैसा कि हम पहिले भी कई बार कह चुके हैं कि आपने जो प्रतिकर देने का सवाल रखा वही सबसे बड़ी भारी ग़लती की। उसके बाद ही यह भूमिधरी का प्रश्न भी हमारे सामने आया और उसके संबंध में ही आपने और सब काम किये। एक ग़लती को छिपाने के लिये आप ५० ग़लतियां कर रहे हैं। हालांकि सीरदार और भूमिधर की चीजें बिल्कुल एक सी हैं, लेकिन आपने अपने नियमों में सीरदार की चीजों की कीमत कम रखी है। लेकिन साथ ही साथ इसी प्रलोभन की वजह से वे भूमिधर बनना चाहते हैं फिर भी सरकार बेजा तरीक़े से गरचें उसकी नीति असफल हो चुकी है तो भी वह सोचती है कि किसी न किसी तरह से, सीधे तरह से या टेढ़े तरह से कुछ भूमिधर बनावे। हम लोग बारबार कहते हैं कि यह ग़लत है। कल माननीय राजस्व मंत्री जी ने हमारे माननीय नेता आचार्य नरेन्द्रदेव जी के बारे में यह प्रश्न उठाया कि वे तो जमींदारों को प्रतिकर देने के पक्ष में थे। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, वह तसवीर का एक ही रुख था। आचार्य नरेन्द्र देव जी ने जो जमींदारी एबालीशन कमेटी के सामने बयान दिया था·····

श्री चरण सिंह——उपाध्यक्ष महोदय, तसवीर के बहुत से पहलू होते हैं। कल कुछ पहलू पर बहस हुई, आज कुछ पहलू पर बहस हो रही है, लेकिन हर पहलू पर हर समय बहस हो सकती है यह बात मेरी समझ में नहीं आती। कम्पेनसेशन देने की बात किस पार्टी ने कब कही। मैं समझता हूं कि इस तरह की बात करना इररेलिवेंट (असंगत) है। इस तरह की बातों से बहस का बहुत वाइड स्कोप (विस्तृत क्षेत्र) हो जायगा।

उपाध्यक्ष——माननीय सदस्य अपने संशोधन पर ही बोलें।

श्री राम नारायण त्रिपाठी——उपाध्यक्ष महोदय, मैं उसी पर आ रहा हूं। मैं तो यही सिद्ध कर रहा था कि सरकार जो कुछ कह रही है वह ग़लत कह रही है। माननीय आचार्य नरेन्द्र देव जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि प्रतिकर देने का भार देश के पूंजीपतियों पर पड़ना चाहिये था मगर वह बात माननीय राजस्व मंत्री ने बतलायी नहीं। अगर वह बात हमारे राजस्व मंत्री जी मान लेते या हमारी कांग्रेस सरकार मानती कि आड़े-आड़े छिप कर किसानों में भेदभाव करना, ग़लत काम है तो यह सवाल ही नहीं उठता। इसीलिये मैंने आचार्य नरेन्द्र देव जी का नाम लिया और यह भी मुनासिब समझा कि सदन को यह बतलाऊं कि आचार्य नरेन्द्र देव जी ने जो कहा था वह यह था कि प्रतिकर देने का भार पूंजीपतियों पर पड़ना चाहिये था।

श्री चरण सिंह—मैं जानना चाहूंगा कि जमींदारी एबालिशन कमेटी के सामने जो उनकी शहादत हुई थी उसमें उन्होंने कहा था कि प्रतिकर का भार कैपिटलिस्टों पर पड़ना चाहिये ? और अगर कहा था तो कौन सी तारीख को कहा ?

श्री राम नारायण त्रिपाठी—यह जो उन्होंने बयान दिया था वह जे० सी० कुमारप्पा की भूमि सुधार समिति के सामने दिया था। साथ ही साथ उन्होंने जमींदारी विनाश कमेटी के सामने तो जमीन के बटवारे पर बहुत ज्यादा जोर दिया। अगर आप को एतराज न हो तो मैं जमींदारी विनाश कमेटी के सामने जो उनके बयान हुए हैं उनको मैं हाउस को सुना दूं।

श्री चरण सिंह— जमींदारी विनाश कमेटी के सामने जो उन्होंने बयान दिया था और जिसमें उन्होंने कहा था कि वह रुपया कैपिटलिस्टों पर लगना चाहिये, वही आप मुझे सुना दें।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—मैं तो आचार्य नरेन्द्र देव जी का बयान कोट करना चाहता हूं जो उन्होंने जे० सी० कुमारप्पा के सामने दिया था। जमींदारी विनाश कमेटी के सामने तो उन्होंने जमीन के बटवारे के प्रश्न को उठाया था। चूंकि माननीय राजस्व मंत्री जी ने एक शब्द कह दिया, इससे दिक्कत पैदा होती है इसलिये अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं जमींदारी विनाश कमेटी के सामने जो उन्होंने बयान दिया उसे पूरा का पूरा कोट कर दूं। उससे उनकी राय का पता चल जायगा।

उपाध्यक्ष— मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें।

श्री रामनारायण त्रिपाठी— अब दूसरा सवाल जो मौर्य जी ने उठाया वह यह कि बहुत सी जमीन के बटवारे की बात है इसलिये इसमें किसानों के लिये कोई खतरा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी वाले अपने पक्ष के किसानों का पक्ष लेंगे और सोशलिस्ट पार्टी वाले किसानों को नुकसान पहुंचायेंगे। यह सही है कि जो सीरदार हैं वे सीरदार रहेंगे। किसान इस बात को पसन्द करता है कि हम भूमिधर हो जायं लेकिन वह अपनी गरीबी की वजह से मजबूर है कि १० गुना लगान देकर भूमिधर नहीं बन पाता। यह सत्य बात है कि सोशलिस्ट पार्टी वालों ने किसानों को सलाह दी कि उनके हक में यह ठीक नहीं है कि वे दस गुना लगान पेशगी भी देकर फिर हर साल आधा लगान भी देते रहें। अगर देखा जाय तो जितना रुपया आपका वसूल हुआ है उसमें अगर झगड़े वाले हिस्से को छोड़ दिया जाय तो करीब १०, १५ करोड़ रुपया ही ऐसा रहता है जो कि किसानों ने भूमिधर बनने के लिये दिया है। यह सोशलिस्ट पार्टी का कोई सवाल नहीं है, बल्कि यह सीरदार और भूमिधर का सवाल है। स्वयं यह सरकार ऐसा चाहती है कि वह कानून ऐसा बनावे कि उनको इस बात के लिये मजबूर करें कि वे भूमिधर बनने पर मजबूर हो जायं।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो ख्याल करता था कि शायद इस संशोधन के सम्बन्ध में वैधानिक आपत्ति उठाता किन्तु वह समय निकल गया। यह नियम किसानों के खातों के बटवारे से संबंधित अधिनियम की धारा १७८ से संबंधित है और उसका बहुत सीधा सा सिद्धान्त है खातों के बटवारे के सम्बन्ध में कि यदि किसी किसान की भूमि सारे खाते में सवा छः एकड़ से कम हो तो उस खाते का बटवारा न हो और उसके स्थान पर उसका मूल्यांकन करे और आपस में जो साझीदार हैं उनमें से कोई उसे मोल ले ले। दूसरे यदि बटवारे के पश्चात् किसी भागीदार के हिस्से से सवा छः एकड़ से कम भाग आये तो उस खाते का बटवारा न हो। तो इस सूरत में संशोधन यह उपस्थित किया

जा रहा है कि यह जो १५९ नियम इसका बनेगा जिसमें कि मूल्यांकन का प्रश्न है उसमें भूमिधर और सीरदार की भूमि का एक ही मूल्य रखा जाय। सारा वादविवाद यहां पर है। मैं तो नहीं समझता कि जब सरकार ने भूमिधर के सिद्धान्त को स्वीकार किया और भूमिधर बना कर लोगों से दसगुना वसूल किया उसके मूल्य का एक भाग लिया और उसको प्रतिकर के रूप में दिया तो किस प्रकार से भूमिधर की भूमि और सीरदार की भूमि का एक ही मूल्य हो सकता है ? वैधानिक रूप से यह चीज ग़लत होगी। आप एक बार उसको कुछ अधिकार देते हैं, उसके बाद उसकी भूमि का वही मूल्यांकन करते हैं जितना कि दूसरे आदमी की भूमि का, जिसने उसका मूल्य नहीं दिया।

इन शब्दों को शायद मेरे मित्र समझेंगे और अपने संशोधन को वापस ले लेंगे। इसमें सिद्धान्तों का प्रश्न नहीं है। बार बार आचार्य नरेन्द्रदेव का नाम आता है। बारबार वही समाजवादी सिद्धान्त जिसके सम्बन्ध में जनता ने दृढ़ निश्चय किया, उन्हीं का जिक्र आता है। बारबार दस गुना का जिक्र आता है। मैं तो केवल यही कहूंगा कि सदन का समय बहुत मूल्यवान है, अगर उन्हीं चीजों की रट लगा कर उन्हीं बातों का बार बार जिक्र आये तो समय का मूल्य मेरे माननीय मित्र क्या अंकित करेंगे इसको वही विचारें।

श्री रामसुन्दर पांडेय-- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे संशोधन का विरोध हमारे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी मौर्य जी ने और लक्ष्मी रमण आचार्य जी ने किया है। दोनों व्यक्तियों के भाषणों को ध्यान पूर्वक सुना।

आचार्य जी का विरोध तो ऐसा मालूम होता था कि और उन्होंने स्वयं स्वीकार भी किया कि पहला अवसर वैधानिक आपत्ति करने का खत्म हो गया।

इसी सिलसिले में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं माननीय सदस्य से कि आपकी समझ की यह बात नहीं है कि २५ गुना भूमिधर की जमीन का मूल्यांकन करें और सीरदार की जमीन का दस गुना करें। भूमिधर और सीरदार में अन्तर सही मानी में यही हो सकता है कि जिस आदमी ने अपने खेत का दस गुना लगान देकर यानी अपने खेत का दस साल का लगान एक ही बार दे दिया उसको हक़ २५ गुना मूल्यांकन का प्राप्त हो। लेकिन जिसने नहीं जमा किया उसका हक उसके आधे मूल्य का न हो। यह बात मेरी समझ में नहीं आती। जो भूमिधर नहीं बना है उस खेत का पूरा लगान देता है और जो भूमिधर बन गया है वह आधा देता है यानी सीरदार भूमिधर से दुगना लगान देता है। तो क्या दोनों की जमीन के मूल्यांकन में दूने से भी ज्यादा फर्क हो ? ईमानदारी की बात, समझदारी की बात, सारे किसानों के फायदे के लिए एक ही खाते में ऐसे हकदारों के लिए भी यही बात सच्ची साबित हो सकती है कि भूमिधर और सीरदार में आधे का ही फर्क होना चाहिये। १० के लिये जो नियम बनाया जा रहा है कि १० गुने का अन्तर होना चाहिये यह तो ऐसा है कि जिससे यह साबित होता है कि सरकार सही माने में जो भूमिधर और सीरदार का अन्तर है उसी के रास्ते पर जा रही है और इसीलिये यह १० गुना और २५ गुना का मूल्यांकन लगाया जा रहा है। इसलिये मैं सारी जनता की भलाई के लिये, जो आज सीरदार है और जो छोटे-छोटे खातेदार हैं उनके लिये भी कहना चाहता हूं। खातेदारों का ही सवाल नहीं है। हो सकता है कि दूसरे लोग जो आपस में खातेदार हैं अलग होने के बाद कानूनी तरीक़े से वे अलग नहीं किये जा सकते हैं। अगर उन्होंने रुपया ले लिया है। ऐसा जमाना आ सकता है कि ५ भाइयों में से दो मर जायं और फिर खाते के बटवारे का सवाल आये। उस वक्त भी यह आपत्ति आ सकती है। इसलिये मैं

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

अदब के साथ राजस्व मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि यह कोई बहुत बड़ा संशोधन नहीं है जिससे आपके राज काज के मामले में कोई बहुत बड़ी खराबी होने वाली है। यह तो इसलिये है कि जो सीरदार बड़ी संख्या में हैं और जो गरीबी के कारण सरकार को १० गुना लगान जमा नहीं कर पाये हैं उनको एक थोड़ा सा हक मिल जायगा कि भूमिधर और सीरदार का जो अंतर होगा वह आधे का होगा और वह बहुत ही अच्छा हक होगा। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि हमारे इस संशोधन को स्वीकार करें।

श्री चरण सिंह--उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि जो दलीलें विरोधी पक्ष की ओर सेदी गयी हैं उनकी माकूलियत मेरे जहन में नहीं बैठ पाई। यह जो कहा जाता है कि साहब यह अन्याय होगा उसके साथ अगर उसके हेरेडिटरी रेट्स के १० गुने पर ही उसके मूल्य का अंकन किया गया, तो यह मेरी समझ में नहीं आता कि अन्याय किस तरह से होगा। अन्याय उनको ब मुकाबले भूमिधर के दिखाई देता है कि उसको १० गुने का २५ गुना दे रहे हैं या १० गुने के साथ। १० गुना वह पहले दाखिल कर चुका और १० गुना सीरदार को दे रहा है। २० गुना हो गया। २० गुना अगर उसको दिला देते तो सीरदार और उसमें कोई अन्तर नहीं रहता। २० गुने के बजाय २५ गुना दिला रहे हैं, सवाया दिला रहे हैं। कहा जाता है उनकी जायदाद और हक और कीमत में कोई फर्क नहीं है, या यह कहा जाता है कि होना नहीं चाहिये। तो मोटी सी बात है कि सीरदार को हक इन्तकाल हासिल नहीं है। होना चाहिये था या नहीं होना चाहिये था, उचित था या नहीं था, इस पर बहस नहीं। मान लीजिये कि उसको जो हमने हक दिया वह हमने गलती की, या हाउस ने गलती की, आज वह जेरे बहस नहीं। आज तो देखना यह है कि दोनों के अधिकारों में कोई अन्तर है या नहीं। अन्तर है और जमीन आसमान का अन्तर है। सीरदार अपनी जमीन बेच नहीं सकता, खुदकाश्त कर सकता है वसीयत नहीं कर सकता, हिबैनामा, बैनामा नहीं कर सकता, जबकि भूमिधर कर सकता है। भूमिधर अगर आज अपनी खेती छोड़ना चाहे तो जमीन को बेच सकता है और हेरेडिटरी रेट्स जो लगान के हैं उससे २५० गुना, कहीं पर डेढ़ सौ गुना और कहीं दो सौ गुना, से ज्यादा दाम मिल सकते हैं। लेकिन अगर सीरदार वकालत करना चाहे या असेम्बली का मेम्बर होकर वहस करना चाहे कि नहीं उसको भी हक है तो वह बिलकुल बेकार सी चीज है। अगर वह साइकिल की दूकान करना चाहे खेती छोड़कर तो वह अपनी जमीन बेच नहीं सकता। उसे वह जमीन गांव सभा को सरेंडर (उत्सर्ग) करनी होगी। अगर वह पट्टे पर देना चाहे तो भी खिलाफ कानून। खुद ही खेती करे या जमीन को सरेंडर कर दे। उसको समर्पण करने के अलावा कोई रास्ता और नहीं है। पैसा कुछ नहीं मिल सकता। जबकि भूमिधर को, सारे सूबे का औसत लगान एक एकड़ का ६ रुपया है, उसको बहुत से इलाकों में एक एकड़ जमीन का तीन तीन हजार रुपया मिल सकता है। एक हजार रुपये की मामूली बात है जबकि उसका लगान केवल छै ही रुपये फी एकड़ है। हमने उसका किया है सिर्फ २५ गुना जबकि उसको सौ-सौ गुना, डेढ़ डेढ़ सौ गुना और दो-दो सौ गुना दाम मिल सकता है। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या अन्याय हो रहा है बल्कि यह समझिये कि रिआयत हो रही है सीरदार के साथ। सीरदार खुद जमीन बे नहीं कर सकता था लेकिन जब वह पार्टिशन में आता है तो हम उसकी जमीन का दाम लगाते हैं। अगर वह खुद जमीन को बेचना चाहता तो उसको दो पैसे भी नहीं मिलते, अब हम उसको दस गुना दे रहे हैं। नहीं मालूम कहां से इसमें आइडियालाजी (आदर्शवाद) की बात आ जाती है। मेरा खयाल यह है कि ऐसे चन्द दोस्त हैं जिन को हर चीज में बू और गन्ध यही आती है। कल उपाध्यक्ष ने अपनी उदारता से थोड़ी सी इजाजत इस संबंध में दे दी थी, मैं समझता हूं कि वे मुझे भी आज थोड़ी सी इजाजत देंगे। कहा यह गया कि आचार्य जी ने कमपेंसेशन की बात को टाला। मैंने कल कह दिया था कि उनकी राय कमपेंसेशन देने की थी और सौ करोड़ रुपये देने की थी, फिर उन्होंने कहा कि

कैपिटलिस्टों से देने को कहा था। मैंने कल इस बात को दोहराया था कि खुद उनके शब्द हैं जिन पर उनके दस्तखत हैं। अब मैं फिर उसको दोहराता हूं क्योंकि मेमोरी (स्मरण शक्ति) बड़ी शार्ट है। कहते हैं कि पब्लिक मेमोरी इज प्रोबेबली शार्ट। जनता की स्मरण शक्ति बहुत छोटी होती है, बहुत थोड़े अर्से तक रहती है। मैं समझता हूं कि कुछ व्यक्तियों की स्मरण शक्ति २४ घंटे भी नहीं रह पाती है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अगर माननीय राजस्व मंत्री को यह इजाजत दी जाती है कि वे कोई उद्धरण दे सकें, तो मुझे भी आप कृपा करके इजाजत दें कि मैं आचार्य जी का भाषण सदन के सम्मुख रख सकूं। वर्ना जैसे मैंने पार्सिंग रेफरेंस दे दिया वैसे ही वे भी पार्सिंग रेफरेंस दे दें।

उपाध्यक्ष—उसका मौका नहीं रहा। वे अपनी बहस के समर्थन में जो कुछ कह रहे हैं उसका मौका है।

श्री चरण सिंह—मुझे केवल यही कहना है।

"To a large extent it is to be paid out of the rents realised from the peasantry."

[अधिकतर यह उसी लगान में से दिया जायगा जो किसानों से वसूल किया जायगा] मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं। कल मैंने जो बात कही थी उसी को दोहरा रहा हूं। रिडिस्ट्रिब्यूशन में कुमारप्पा ने क्या कहा इसको छोड़िये। हमें यह स्वीकार करना चाहिये कि आचार्य जी की राय उस वक्त और थी लेकिन बाद में बदल गयी। अब यह जनता के ऊपर है कि वह यह आंके कि जिन लीडरों की राय इस तरह से बदलती रहती है वे मानने लायक हैं या नहीं। खैर, मैं इस बात को यहीं छोड़ देता हूं। मेरे कहने का मतलब केवल यही है कि भूमिधर और सीरदार के जो हुकूक हैं इन टर्म्स आफ प्लानिंग उसमें दस और २५ का जितना अन्तर है उससे कहीं ज्यादा न हो। इसलिये न्याय और अन्याय का इसमें सवाल नहीं उठता है। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि नियम १५९ खंड १ उपखंड (ख) में "दसगुना" शब्द निकाल कर "साढ़े बारह गुना" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि नियम १७१ के उपनियम (ए) में शब्द "अभिरक्षक को देगा" के पश्चात् निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं—

"और अभिरक्षक असामी को भुगतान की रसीद अविलम्ब देगा"

यह रसीद देने के संबंध में है। किसी को इसमें तो विरोध है नहीं।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि नियम १७१ के उपनियम (ए) में शब्द "अभिरक्षक को देगा" के पश्चात् निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं—

"और अभिरक्षक असामी को भुगतान की रसीद अविलम्ब देगा"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अवधेश प्रताप सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से मैं निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं --

"नियम १७४ की दूसरी पंक्ति में शब्द 'किसी भी व्यक्ति को' के स्थान पर शब्द 'उसी ही गांव के किसी भी व्यक्ति को लाट्री द्वारा' रख दिये जायं।"

"उक्त दिनांक को समिति की एक बैठक होगी जिसमें उन व्यक्तियों में से किसी भी व्यक्ति को भूमि उठायी जायगी जो वहां पर उपस्थित हों और यह इच्छा प्रकट करें कि उसे भूमि उठा दी जाय। समिति उसी बैठक में भूमि के लिये अवधारित मालगुजारी या लगान की भी घोषणा करेगी"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय राजस्व मंत्री का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि इससे यह होता है कि गांव समाज में कई गांव शामिल किये जा सकते हैं और यदि ऐसी हालत में यह नियम रखा जाता है और किसी भी व्यक्ति को भूमि उठायी जायगी तो इसके माने यह हो सकते हैं कि दूसरे गांव समाज, दूसरी तहसील या दूसरे सूबे से भी अगर उनको यह मालूम हो जाय कि फलां जगह यह भूमि उठायी जा रही है तो भूमि ले सकते हैं। इसमें कोई कठिनायी भी नहीं है जो कि आपको देने से रोके। मेरे संशोधन का अभिप्राय यह है कि अगर कहीं भी भूमि खाली होती है या दी जाती है तो उसी गांव के किसी व्यक्ति को दी जाय न कि किसी दूसरे गांव समाज के या दूसरी तहसील के व्यक्ति को दी जाय।

मैं समझता हूं कि माननीय माल मंत्री को इसके मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये क्योंकि वह भूमि असल में उन्हीं गांव वालों की है। यह आपके सिद्धान्तों के प्रतिकूल भी नहीं है और ऐसे संशोधन को मानने में माननीय मंत्री को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। "किसी भी व्यक्ति को भूमि उठायी जायगी" यह ऐसा ऐम्बीगुअस (संदिग्ध) है, उपाध्यक्ष महोदय, कि यह पता नहीं चलता कि वह कौन से लोग हैं जिनको नहीं दी जा सकती। इसमें तो केवल यह है कि जिस दिन आपकी कमेटी बैठती है उस वक्त अगर वह व्यक्ति पहुंचता है तो यह लाजिमी होता है कि आप उसकी दरख्वास्त पर समाअत करें। संभव है इसके सिलसिले में, उपाध्यक्ष महोदय, बहुमत दल धारा १७३ कोट करे। मैं धारा १७३ पढ़ता हूं।

"यदि धारा १९५ या १९७ के अधीन भूमि प्रतिबन्धक समिति किसी व्यक्ति को भूमि उठाना चाहे, तो वह गांव समाज के उस मंडल में, जिसमें वह भूमि स्थित हो, गाटों की संख्या उनका क्षेत्रफल और गाटों के उठाये जाने का दिनांक डुग्गी पीटकर घोषित कर देगा।"

महज डुग्गी पीटना या घोषित करना तो ठीक है कि आप उसी गांव समाज में यह करेंगे। पर १७४ में यह कहीं भी स्पष्ट नहीं है कि उस गांव समाज के लोगों को ही दी जायगी। होना यह चाहिये कि उसी मौजे के लोगों को दी जाय जहां पर भूमि स्थित है। अगर एक मौजे में दूसरी जगह के लोग आ कर जमीन लेते हैं तो उनके लिये भी कठिनाई होगी और उस मौजे वालों के लिये भी होगी। और यदि उसी गांव का कोई आदमी लेता है तो उसको भी आसानी होगी और गांव वालों को भी आसानी होगी। और यह उसूल भी है कि घर की चीज घर ही में रखी जाती है। और मैं समझता हूं कि आपका भी यह पुराना उसूल है कि जिस मौजे की चीज हो उसी को दी जानी चाहिये।

इन थोड़े से शब्दों में मैं आपके द्वारा अपने संशोधन को सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं और विशेषकर माननीय राजस्व मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि इसको मानने में उनको कोई आपत्ति न होगी। उसी गांव न सही तो उसी गांव समाज को कर दिया जाय, परन्तु इसमें कुछ प्रतिबन्ध होना चाहिये। इससे यह जाहिर नहीं होता कि किन लोगों को दी जाय।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे जो प्रस्ताव द्वारा एक आशय प्रगट किया गया है या जो भावना प्रगट की गई है उससे कोई विरोध नहीं है।

लेकिन यह जो संशोधन उपस्थित किया गया है वह अनावश्यक है। पहली बात तो यह है कि गांव समाज या भूमि व्यवस्था समिति जो उस गांव की समिति है वह उस भूमि का ऐसा इंतजाम करेगी कि स्वभावतः किसी दूसरे गांव वाले के पास जमीन जाने का प्रश्न पैदा नहीं होता। लेकिन है भी तो मैं अपने माननीय मित्र का ध्यान जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था विधेयक की धारा १९८ की ओर दिलाना चाहता हूं। जहां कि भूमि उठाने की बात कही गई है भूमि व्यवस्था समिति द्वारा जो भूमि उठाई जायगी उसमें (ख), (ग) और (घ) को वह देखें। "क" तो कोआपरेटिव फार्मिंग के लिये है। "ख" यह है कि "ऐसा भूमिधर जिसे धारा १८ की उपधारा (२) या धारा १३७ लागू होती हो और जिसके पास उस मंडल में सवा छै एकड़ से कम क्षेत्रफल की भूमि हो।" इसी प्रकार (ग) और (घ) में भी है। "ग" इस प्रकार है कि "उन भूमिधरों से भिन्न जिन्हें खंड (ख) लागू होता हो ऐसे खातेदार जिनके पास उस मंडल में सवा छै एकड़ से कम क्षेत्रफल की भूमि हो, (घ) इस प्रकार है कि "उस मंडल में रहने वाला मजदूर जिसके पास कोई भूमि न हो।" तो यह बात तो इसमें आ गई है और बंधे हुये तरीकों पर ही वह उठायी जायगी इसलिये मैं समझता हूं कि यह अनावश्यक संशोधन है क्योंकि भूमि व्यवस्था समिति किसी दूसरे गांव वाले को जमीन कभी नहीं देगी। इसलिये मैं समझता हूं कि इस संशोधन को लाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री अवधेश प्रताप सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह आपने जो कहा है उसका मतलब मैं अच्छी तरह से समझ नहीं पाया कि वह क्या कहना चाहते थे। इसमें मेरा ही कसूर हो सकता है। लेकिन जहां तक यह ऐक्ट है यह स्पष्ट है और नियमों को इसी के अनुकूल बनाना चाहिये था और ऐक्ट में स्पष्ट होते हुये आपने इसको नियम में क्यों गोल रखा है। एक जगह वह इसे अनावश्यक समझते हैं। मैं आवश्यक समझता हूं। इसलिये कि रूल्स बहुत ही स्पष्ट होने चाहिये क्योंकि लैंड मैनेजमेंट कमेटी के सामने ऐसे काम्पलीकेटेड (जटिल) चीजें नहीं जानी चाहिये जिसे वह न समझ सकती हों। क्या मैं आपके जरिये उनसे दरियाफ्त कर सकता हूं कि वह किस सैक्शन को कोट कर रहे थे?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—धारा १९८ क्लाज बी०, सी० और डी०।

श्री अवधेश प्रताप सिंह—इसके आखीर में देख सकते हैं। इसके क्या माने हैं। कोई दूसरा व्यक्ति इसके बारे में मैं कहता हूं कि देख लीजिये इससे क्या माने निकलते हैं।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—किसी विशेष परिस्थिति में कोई सोसायटी वगैरह की बात हुई तो आप हाथ क्यों बांधते हैं।

श्री अवधेश प्रताप सिंह—तो उस जगह भी हाथ नहीं बांधते इस जगह भी नहीं बांधते यानी स्वतंत्र रहना चाहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में केवल लैंड मैनेजमेंट कमेटी के भरोसे पर हम छोड़ दिये जाते हैं जो जो चाहे कर सकती है। दूसरे मौजे के किसी व्यक्ति का लैंड मैनेजमेंट कमेटी में प्रभाव हो सकता है तो दूसरे गांव, समाज, दूसरे जिले और गांव के किसी व्यक्ति की अगर लैंड मैनेजमेंट कमेटी के किसी सदस्य से रिश्तेदारी हो तो वह जमीन पा सकता है, खेती कर सकता है। यह जो नियम बनाये गये हैं इनमें आवश्यकता इस बात की है कि ये जो पंचायतें हैं, ये एक नई चीज हैं आप उनको उतना ही अधिकार दीजिये जिसके वे योग्य हों। इतने अधिकार न दे दीजिये जिसकी वह जिम्मेदारी न संभाल सकें, यह लाभप्रद बात सिद्ध न होगी, इसमें हानि होगी। मैं आपकी भावना और ईमानदारी को मानता हूं। इसके यह मानी नहीं कि मैं हर जिले में कहता फिरूं कि आपकी नेकनियती नहीं है, बदनियती है। यह बहुत नीचे दर्जे की और गिरी हुई बात है। मैं केवल यह बतलाना चाहता हूं कि हमारे मंत्री महोदय या डिप्टी मिनिस्टर साहब तो उस लैंड मैनेजमेंट कमेटी में होंगे नहीं, एक देहाती होगा जो गलती कर सकता है। अगर आप होते तो मैं सहर्ष इस संशोधन

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

को वापस ले लेता। लेकिन आप देखिये कि अदालती पंचायतों में कैसा अन्धेर मचा हुआ है और उसी लैंड मैनेजमेंट कमेटी को सरकार यह सब अधिकार भी दे रही है, मैं समझता हूं कि उन पर कुछ प्रतिबन्ध लगाना आवश्यक है। मैं मानता हूं कि गांव समाज वाले अपने गांव वालों को ही देंगे लेकिन परिस्थिति ऐसी हो सकती है जब कि दूसरे गांव वाले लोग उसमें घुस आयें और अनेकानेक आपत्तियों को झेलना पड़े और गांव वालों में वैमनस्य और विरोध फैल सकता है। मैं राजस्व मंत्री और मौर्य जी की भावनाओं के प्रति कुछ नहीं कहता लेकिन यह बतलाना चाहता हूं कि लैंड मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य इतने ऊंचे विचार के नहीं होंगे कि अपने कर्त्तव्य का पालन वह ठीक तरह से कर सकें। ऐसी अवस्था में वह इसे मान लें और इस हठधर्मी से कोई लाभ न होगा। मैं जानता हूं कि यह संशोधन गिर जायगा, लेकिन मैं इसको किसी तरह से वापस लेने को तैयार नहीं हूं।

श्री चरण सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैं समझता हूं शायद मौर्य साहब ने यह पढ़ कर सुना दिया है कि कोआपरेटिव फार्म्स को पहले जमीन मिलेगी। उसके बाद उसको मिलेगी जो उस एरिया में सवा ६ एकड़ से कम जमीन पाये हुये हैं, इसी तरह से टेन्योर होल्डर को जमीन मिलेगी, किसी और किसान को वह भी नहीं और इसके बाद में लैंडलेस लेबरर को जो कि ऐसे एरिया में रहता है उसको जमीन मिलेगी। इसके बाद कहीं है कि 'एनी अदर पर्सन,' किसी नये व्यक्ति को। नियम १७३ को जैसा मैंने पढ़ कर सुनाया उसमें यह है "यदि धारा १९५ या १९७ के अधीन भूमि प्रबन्धक समिति किसी व्यक्ति को भूमि उठाना चाहे तो वह गांव समाज के उस मंडल में जिसमें वह भूमि स्थित है गाटों की संख्या, उनका क्षेत्रफल और गाटों के उठाये जाने के दिनांक डुग्गी पीट कर घोषित कर देगा"। तो जमीन उसी गांव समाज में उठेगी, डुग्गी पीटी जायगी और उसी गांव समाज के रहने वाले उस जमीन के अधिकारी होंगे। पहले कोआपरेटिव फार्म्स को, फिर टेन्योर होल्डर्स को, उसके बाद लैंडलेस लेबरर को जमीन मिलेगी। आखिर में यह है किसी और व्यक्ति को। उसमें यह नहीं लिखा हुआ है कि वह भी उसी गांव समाज का हो। मैं समझता हूं कि सारा जोर इसी आखिरी बात पर है तो वह भी लिख दिया जाय। फिर जमीन इतनी है नहीं। कोआपरेटिव फार्म्स बहुत कम होंगे, अगर हुये तो पहले उनसे ही नहीं बचेगी। फिर उसके बाद तीन वर्ग और हैं। उनको देने के बाद अगर जमीन बच जाय तब और किसी व्यक्ति को मिलेगी। कुछ मित्रों की तरफ से बराबर यह कहा जाता है कि जो बड़ा वर्ग है जिनका नम्बर पीछे आता है उनका भी ख़याल किया जायगा। उनका कहना यह है कि जो भूमिहीन है उनका नम्बर तो आयेगा नहीं इसलिये उनका नम्बर अनइकनामिक होल्डर के पहले रखा जाय। क्योंकि उनका ख़याल यह है कि जमीन तो नहीं पर खत्म हो जायगी फिर इन लोगों का नम्बर नहीं आयेगा। यह उनकी आशंका है और मैं यह समझता हूं कि उनकी यह आशंका निर्मूल नहीं है। अलाभकर जमीन जब बट जायगी तो उसमें बहुत कम बचेगी जो उनको दी जायगी। फिर भूमिहीन वालों का नम्बर बड़ी मुश्किल से आयेगा। भूमिहीन "रिसाइडिंग इन दि एरिया" (क्षेत्रवासी) को रखने से कोई लाभ नहीं होगा। हो सकता है कि ऐसी स्थिति आजाय कि वहां पर किसी बाहर वाले ने कोई परोपकार का काम करना चाहा तो फिर उसके हाथ बांधने की जरूरत नहीं है। वह खुद अपना हित देखकर इसका इन्तजाम कर लेंगे। ऐसी हालत में मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि नियम १७४ की दूसरी पंक्ति में शब्द "किसी भी व्यक्ति को" के स्थान पर शब्द "उसी गांव के किसी भी व्यक्ति को लाट्री द्वारा" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—श्रीमान् जी, मैं यह चाहता हूं कि जिस तरह से इसमें यह छपा हुआ है वह ग़लत है उसके स्थान पर जिस तरह से मैं पढ़ता हूं उस तरह से रख दिया जाय।

नियम १७४ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"उक्त दिनांक की समिति की एक बैठक होगी जिसमें समिति ऐसे समस्त व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी जो वहां पर उपस्थित हों और यह इच्छा प्रकट करें कि इन्हें भूमि उठा दी जाय। उसी बैठक में समिति भूमि के लिये निश्चित की जाने वाली मालगुजारी या लगान और उक्त सूची में दर्ज किये गये व्यक्तियों के नाम घोषित करेगी।"

कुछ इस नियम में और बढ़ा दिया गया है बाकी वही है जो कि उस नियम के अन्दर लिखा हुआ है। केवल शब्दों का हेरफेर है।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि नियम १७४ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय—

"उक्त दिनांक को समिति की एक बैठक होगी जिसमें समिति ऐसे समस्त व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी जो वहां पर उपस्थित हों और यह इच्छा प्रकट करें कि इन्हें भूमि उठा दी जाय। उसी बैठक में समिति भूमि के लिये निश्चित की जाने वाली मालगुजारी या लगान और उक्त सूची में दर्ज किये गये व्यक्तियों के नाम घोषित करेगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सुरेश प्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)—मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि वर्तमान नियम १७५ के स्थान पर निम्नलिखित नया नियम १७५-ख रख दिया जाय—

"१७५-ख यदि धारा १९८ में उल्लिखित एक ही तारतम्य (order of preference) के एक से अधिक व्यक्ति उपस्थित हों और अपनी यह इच्छा प्रकट करें कि समिति द्वारा निश्चित मालगुजारी या लगान पर उन्हें भूमि उठा दी जाय तो ऐसी दशा में समिति इस विषय को लाट्री डालकर तय करेगी।"

श्रीमन्, अधिनियम की धारा १९८ में यह दिया गया है कि किन किन लोगों को और किस तारतम्य से यह अधिकार होगा कि वह कोई खाली भूमि पा सकें। उसमें पहले कोआपरेटिव फार्म और फिर भूमिधर हैं जिनकी सवा ६ एकड़ से कम भूमि है..

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—उपाध्यक्ष महोदय, ८६-ख पर राजस्व मंत्री की ओर से एक संशोधन आगे छपा है उससे मेरे दोस्त की जो मन्शा है..

श्री सुरेश प्रकाश सिंह—श्रीमन्, क्या कोई प्वाइंट आफ आर्डर (वैधानिक प्रश्न) है? मुझे बड़ा अफ़सोस है कि इतनी जल्दी उस तरफ से यह इन्टरपशन हो गया। मैं स्वयं बतलाने जा रहा था कि उनका जो ८६-ख पर संशोधन है उसमें और मेरे संशोधन में क्या अन्तर है। अन्तर यह है कि सरकार ने अपने संशोधन द्वारा यह कहा है कि लाट्री पड़ेगी और वह जिस व्यक्ति के नाम निकलेगी वह केवल रुपया या नजराना देकर ही जमीन पा सकता है। मेरा संशोधन यह है कि लाट्री पड़ेगी और वह जिसके नाम निकले वह बग़ैर कुछ नजराना या रुपया दिये हुये ही जमीन पा जाय। तो जैसा कि मैं निवेदन कर रहा था कि नियम १७५ जैसा पहले था या है उसमें दिया हुआ है कि ऐसे व्यक्तियों को नजराने की ऐसी धनराशि के संबंध में बोली बोलने के लिये कहेगी जो वे भूमि को पट्टे पर लेने के निमित्त देने को तैयार हों। इसके माने हैं कि जमीन नजराने के लिये नीलाम होती। उसमें मैंने संशोधन रखा है कि पहले

[श्री सुरेश प्रकाश सिंह]

जितने लोग उस लिस्ट के हों उनको प्रायरिटी मिले और एक से ज्यादा हों तो लाट्री पड़ जाय और जिसके नाम वह निकले वह उस भूमि को लेने का अधिकारी हो जाय।

मुझे मालूम है कि सरकार का जो आगे संशोधन है वह पुराने नियम पर इम्प्रूवमेंट जरूर है और पहले से अधिक सुन्दर है लेकिन मैंने देखा कि उसमें नजराने की शक्ल में मौरूसी दर पर भूमि के मूल्य का दसगुना मांगा जा रहा है। मुझे यह चीज ग़लत मालूम होती है। अगर गलती से ऐसा हो गया हो तो माननीय मंत्री जी इसे ठीक करने का कष्ट करें क्योंकि मूल्य हेरेडिटेरी रेट का दसगुना होगा। इससे यह मानी निकलते हैं कि मूल्य का दसगुना। यदि रेट का दसगुना हो तो समझा जाय कि हेरेडिटेरी रेट का दसगुना लेकिन अगर दस गुना मूल्य का होता है तब तो वह रेट का सौगुना हो जाता है क्योंकि भूमि का मूल्य रेट का दस गुना होता है। यदि यह गलती है तब तो सरकार ठीक कर लेगी लेकिन अगर मैं ठीक हूं तब तो उसका घोर विरोध करना पड़ेगा। मैं इस विवाद में नहीं जाता कि आगे का संशोधन क्या है लेकिन उसमें नजराने की अवश्यकता है हालांकि वह किसी एक व्यक्ति को न जाकर गांव सभा को जायगा और इसमें यह प्वाइंट है कि उस नजराने में और इसमें फर्क है। अच्छा हो कि नजराने की बदबू बिल्कुल ही निकल जाय और जिसके नाम लाट्री निकले उसको भूमि बग़ैर नजराना लिये ही दे दी जाय और इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि उससे दसगुना या सौगुना लिया जाय।

श्री चरण सिंह—जो ग़लती मेरे लायक़ मित्र ने बतलाई है उसका मंशा यह नहीं था कि हेरेडिटेरी रेट की मौरूसी दर पर भूमि का मूल्य १० गुना होगा। तो यह लफ्जी ग़लती हो गई है जो कि इरादे के ख़िलाफ है। मैं अभी आपके पास जो शब्दों में अन्तर होना चाहिये वह भेज दूंगा। जहां तक यह सवाल है कि १० गुना भी लिया जाय या नहीं, इस बारे में मुझे कुछ अर्ज करना है। जैसा नियम शुरू में बना था वह यह था कि एक ही वर्ग का अगर एक से अधिक व्यक्ति उस भूमि को चाहने वाले हुये तो उनमें बोली बोली जायगी और जिसकी अधिक बोली आ जायगी उसे जमीन दे दी जायगी। इस पर यह आपत्ति उठाई गई कि इस तरह से केवल अमीर ही जमीन ले सकेंगे और ग़रीब नहीं ले सकेंगे। इसमें काफ़ी वजन था हालांकि मैं इससे पूर्णरूप से सहमत नहीं था। बात यह है कि इसमें जो नजराने का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है तो उसके साथ जो विचार जुड़े हुये हैं वे अब तक के नजराने के साथ जुड़े हुये थे, जैसे जमींदार लफ्ज के साथ जो भाव अब तक जुड़े हुये हैं वे आगे के भूमिधर के साथ नहीं होंगे। इसी तरह आगे के नजराने के साथ वे भाव नहीं होंगे जो अब तक के नजराने के साथ रहे हैं। यहां एक व्यक्ति को उसके फायदे के लिये रुपया नहीं दिया जा रहा है, बल्कि गांव सभा को जन हित के लिये वह रुपया दिया जा रहा है। तो इस आशय से हमने यह रखा था कि जितना भी कोई ज्यादा रुपया दे वह गांव के कोष में चला जाय ताकि वह गांव के फायदे में लगाया जा सके। लेकिन जैसा अभी कहा, इस तरह से केवल अमीर आदमी ही ले पाता। जहां तक मेरी स्मरण शक्ति योग देती है मुझे याद है कि सर्व सम्मति से यह पास हुआ था कि अच्छा बोली न बोली जाय बल्कि हेरेडिटेरी रेट (मौरूसी दर) का १० गुना रख दिया जाय और लाट्री से वह जमीन दे दी जाय लेकिन १० गुना उसे भी देना होगा। जमीन की कीमत १० गुना देना एक मामूली सी बात है। २५० के हिसाब से भी १ एकड़ पर ६० रुपये हुये। तो खैर, ये साठ रुपये गांव सभा के काम आवेंगे। जब कमेटी में सर्वसम्मति से यह बात तय हुई तो मुझे आशा नहीं थी कि कुंवर सुरेश प्रकाश सिंह जी इस अमेंडमेंट को प्रेस करेंगे। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वह इसे वापस ले लें।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, प्रेस करने का खास कारण तो यह था कि मैंने इस पर सरकार के संशोधन को ऐन्टीसीपेट (प्रत्याशित) किया था परन्तु उसे ऐंटीसीपेट करते हुये और जो सरकार का सुधार इसमें होने वाला है उसे देखते हुये मैं समझता हूं कि हेरेंडिटेरी रेट का १० गुना कोई इतनी बड़ी रक़म नहीं है जिसके लिये यह अमेंडमेंट प्रेस किया जाय या सरकार पर कोई दोषारोपण किया जाय कि वह बहुत नजराना ले रही है। इसलिये मैं इसे वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि नियम १७५ के उपनियम (१) के स्थान पर निम्नलिखित वाक्य रखा जाय—

"(१) उस दशा में जब धारा १९८ में उल्लिखित एक ही तारतम्य के एक से अधिक व्यक्ति उपस्थित हों और अपनी यह इच्छा प्रकट करें कि समिति द्वारा निश्चित मालगुजारी या लगान पर उन्हें भूमि उठा दी जाय, तो समिति ऐसे व्यक्ति को, जिसको कि भूमि दी जानी चाहिये, निर्धारित करने के सम्बन्ध में लाट्री डालेगी और इस प्रकार निर्धारित व्यक्ति को भूमि उठाने के पहिले उसे भूमि प्रबन्धक समिति को एक ऐसी धनराशि देनी पड़ेगी जो मौरूसी दर का १० गुना होगी।

इसमें से "पर भूमि के मूल्य" अगर उचित समझा जाय तो इसके स्थान पर दूसरे शब्द कर दिये जायं। अभी तो मैं इनको यों ही रख रहा हूं। "ऐसी धनराशि देनी पड़ेगी जो मौरूसी दर का दसगुना होगी।"

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि धारा १९८ की उपधारा (१) के खंड (घ) में उल्लिखित वर्ग के किसी भी व्यक्ति द्वारा इस प्रकार की किसी भी धनराशि का भुगतान नहीं किया जायगा।"

इस सम्बन्ध में माननीय राजस्व मंत्री ने काफी स्पष्ट कर दिया है और इससे पहिले सुरेश प्रकाश जी ने जो संशोधन उपस्थित किया था उसके वादविवाद में बहुत सी बातें स्पष्ट हो चुकी हैं। बस मुझे और कुछ कहने की आवश्यकता मालूम नहीं होती।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मंत्री के प्रस्ताव के विरोध में बोलने के पहिले मैं यह बात बता देना चाहता हूं कि मुझे यह बात जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि सुरेश प्रकाश जी ने अपना संशोधन वापस ले लिया। शायद उसका कारण यह रहा हो कि उन्होंने नजराने के लफ्ज का बहुत विरोध किया और माननीय राजस्व मंत्री ने उसका उत्तर बड़ी खूबी के साथ दिया उसके सिलसिले में उन्होंने पुरानी बातें कही और दोनों नजराने पाने वाले एक मत हो गये और आपस की बातचीत में एक सौदा हो गया।

माननीय राजस्व मंत्री को मेरे बारे में एक ग़लतफहमी हो गई है वह यह कि मैं उनकी नेकनीयती पर संदेह करता हूं। मैं उनको बतला देना चाहता हूं कि जहां तक सरकारी दल के किसी सदस्य का व्यक्तिगत ताल्लुक है मुझे किसी तरह से संदेह नहीं है। उनकी व्यक्तिगत नेकनीयती मे मुझे जरा भी सदेह नहीं है। और न सरकारी मंत्री या उनके पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज़ पर जहां तक उनके व्यक्तित्व का सवाल है मुझे कोई भी अविश्वास है। लेकिन हम यह डंके की चोट पर कहते चले आये हैं कि कांग्रेस सरकार पूंजीपतियों की हिमायत लेने वाली सरकार है और जो ऐसी सरकार के साथ रहते हैं उनकी जिम्मेदारी अगर उनके व्यक्तित्व पर पड़ती है तो मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूं।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—श्रीमान् जी मैं जानना चाहता हूं कि आप किस विषय पर बोल रहे हैं?

उपाध्यक्ष—आप संशोधन के विरुद्ध बोल रहे हैं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—मैं माननीय राजस्व मंत्री की तवज्जह इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि वे इस पर विचार करें कि यह बात कहां तक न्यायसंगत है कि एक ही तारतम्य के कई आदमियों के बीच में झगड़ा खड़ा हो जाता है।

श्री चरण सिंह—तारतम्य का प्रश्न इस संशोधन में नहीं है।

उपाध्यक्ष—आप इसी संशोधन पर बोलें। इस संशोधन के विरोध में जो कुछ कहना चाहते हैं, कहें।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—जब एक ही तारतम्य के व्यक्तियों का सवाल आता है तो उस संबंध में लाट्री को मैं न्यायसंगत समझता हूं। लेकिन लाट्री डाली गई और भाग्य ने किसी का साथ दिया। फिर यह चीज अनावश्यक है कि उसके ऊपर कोई जुर्माना भी किया जाय। यह चीज बिल्कुल ही न्यायसंगत नहीं कही जा सकती। अगर किसी हरिजन के नाम इस तरह से लाट्री निकली और मान लीजिये कि ६ बीघ की लाट्री निकली तो ३० रुपया के हिसाब से १८० रुपया उसको देना पड़ेगा।

श्री चरण सिंह—माननीय सदस्य की जानकारी के लिये मैं यह बता देना चाहता हूं कि हरिजन इसमें से 'ऐक्जेम्पेटेड' हैं। वह इन दो तीन व्यक्तियों में आते हैं जो इसके लिये 'ऐक्जेम्पेटेड' हैं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—यह तो मेरी दलील का एक रुख था। मुझे बड़ी खुशी हुई कि ऐसा है। मैं तो इस प्रकार के किसी भी नजराने को बुरा समझता हूं। जब लाट्री में उसकी किस्मत ने साथ दिया तब यह न्याय के विरुद्ध है कि किसी भी शक्ल में किसी शख्स से कुछ नजराना वसूल किया जाय। मैं तो इसे गवर्नमेंट की ओर से एक जुर्माना ही कहूंगा और यह न्याय के विरुद्ध बात है। इसलिये जैसे कि उन्होंने जल्दी में उस संशोधन को मान लिया जिसमें हिसाब लगाने से बड़ी रकम निकलती थी। इसी तरह से इस अनावश्यक संशोधन के इस वाक्य को उसमें से निकाल दें और जैसा कि माननीय सुरेश प्रकाश सिंह जी ने प्रकाश डाला कि लाट्री पड़े, और जिसके हक में वह लाट्री पड़ जाय, उसी को वह जमीन दे दी जाय।

श्री ऐजाज रसूल (जिला हरदोई)—जनाबवाला, मैंने आज तक इस मसले पर कोई खास दिलचस्पी नहीं ली लेकिन मैंने अपने मेम्बर साहब की तकरीर सुनी। मुझे दुःख होता है कि उसमें आपकी सोशलिस्ट पार्टी के भी ३ मेम्बर थे और उस कमेटी में इस पर काफी बहस मुबाहसा हुआ और उस मुहाबसे के बाद सबकी राय से यह अमेंडमेंट पास हुआ। इसका मतलब यह है कि आपकी पार्टी के तीन मेम्बर, जिनमें आपके लीडर आफ दि पार्टी थे, एक अपर चेम्बर के मेम्बर थे और एक मैं परशनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अध्यक्ष महोदय, मैं परसनल एक्स्प्लेनेशन देना चाहता हूं। यह बात साबित हो गयी है कि उस पर सोशलिस्ट पार्टी के दस्तखत नहीं हैं। फिर कैसे कहा जाता है कि सोशलिस्ट पार्टी के सदस्यों की राय से यह हुआ। यह बात तय हुई थी कि अन्तिम रूप से १० अगस्त को आने पर उसे देख कर तब दस्तखत किया जायगा, लेकिन वह बात नहीं हो सकी। फिर सोशलिस्ट पार्टी के सदस्यों के लिये श्री ऐजाज रसूल साहब ऐसे मेम्बर का इस तरह की बात कहना मैं मुनासिब नहीं समझता। कम से कम वे पिछली बातों का तो ख्याल रखते कि कांग्रेस

ने उनके साथ कैसी ज्यादती की। आज वे भले ही कांग्रेस में आ गये हों, लेकिन पहले तो वे कांग्रेस के विरोधी ही थे।

श्री ऐजाज़ रसूल—मुझे हैरत हुई यह जान कर कि त्रिपाठी जी जो सोशलिस्ट पार्टी के डिप्टी लीडर हैं वे इस मसले के ऊपर इस तरह बातें कहे जब कि उनकी पार्टी के लोगों ने इससे कमेटी में इख्तलाफ नहीं किया।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—कमेटी की रिपोर्ट में जो यह कहा गया है कि सर्वसम्मति से तय हुआ है यह गलत है।

श्री ऐजाज़ रसूल—अगर आप उसको पसन्द नहीं करते हैं तो इस बात को आपके पार्टी के लोग कमेटी के सामने कह सकते थे लेकिन जब एक बार उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट (स्वीकार) कर लिया तो फिर तो इसका मतलब ही यही होता है कि वहां पर जो बातें हुई वे आपकी पार्टी के एग्रीमेंट से हुई। इसलिये इस जगह पर जो आप डिप्टी लीडर की हैसियत से इसको अपोज कर रहे हैं यह मुनासिब नहीं मालूम होता है। ख्याल यह है कि नजराने और प्रीमियम के अल्फाज खराब हैं इसलिये उनको हटा दिया गया है और जैसा कि श्री चरण सिंह जी ने कहा कि अगर इस तरह से जमीन दी जायगी तो वह टुकड़े टुकड़े हो जायगी कोई अमीर हो या गरीब हो हर एक को इससे जो हेरेडिटरी रेंट है उसका दसगुना मिल जायगा। मुझे अफसोस है कि उनके लीडर साहब ने इसको एक्सेप्ट कर लिया तो वे तो डिप्टी लीडर हैं इसकी मुखालिफत करें। यह कोई अच्छा नहीं मालूम होता है। इन अल्फाज के साथ मैं अपने दोस्त के संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी की मीटिंग में इस संबंध में जो चर्चा हुई उसको सदन के समक्ष रखा जा सकता है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरी इत्तिला है कोई ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी नहीं बनी थी।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—गवर्नमेंट कमेटी जो इस संबंध में बैठी थी उसमें जो चर्चा हुई मेरा मंशा उसी से था और मेरे मित्र यदि उसको केवल यह कह कर उस चर्चा के संबंध में यह कहने लगे कि हमें डिसेंटिव नोट (विमति टिप्पणी) लगाने का मौका नहीं मिला तो वह चीज सदन के समक्ष रखी जा सकती है ताकि इस संबंध में यह विषय और अधिक स्पष्ट हो जाय। बहुत सी बातें विचारणीय थीं। उनमें से एक यह कि इस प्रांत में अभी कितनी भूमि हैं जो उठायी जायगी। दूसरे यह भी विचारा जायगा कि धारा १९८, जोकि हमारे जमींदारी विनाश अधिनियम की इस समय है जिस रूप में है उस रूप में कितनी भूमि उन व्यक्तियों को मिल सकेगी जिनके पास आज कल भूमि नहीं है। और इन दोनों विचारों के पश्चात् अन्त में यह सर्वसम्मिति से, निश्चय किया गया मैं इस चीज को जोर के साथ दोहरा सकता हूं कि इसमें माननीय राजनारायण जी तथा अन्य उनके दल के सदस्य भी उपस्थित थे और सम्मत थे, सभी ने निश्चय किया कि यह जो नियम हम बना रहे हैं उसे बना लिया जाय जहां तक भूमिहीन काश्तकारों का संबंध है उनसे इसका कोई संबंध नहीं है। वे धारा १९८ में नम्बर चार पर आते हैं।

पहले कोआपरेटिव फार्म्स उसके पश्चात् भूमिधर, उसके पश्चात् दूसरे काश्तकार जो वहां पर काश्त करते हैं, और फिर चौथे नम्बर पर भूमिहीन काश्तकार आते हैं। यह क्रम सही है या नहीं, जब कभी जमींदारी विनाश अधिनियम में आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी और जैसा कि गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है शायद उसमें भी परिवर्तन किया जायगा

[श्री लक्ष्मी रमण आचार्य]

तो उस सूरत में उसका क्या रूप होगा। उसके पश्चात यह नियम भी बदल दिया जायगा इसकी भी वहां चर्चा हुई लेकिन जब कि धारा १९८ स्टेट्युट बुक पर इसी प्रकार मौजूद है तो उस धारा के अन्तर्गत सबसे पहले कोआपरेटिव फार्म्स को आप उनके पास धन होगा वे धनहीन संस्थायें नहीं होंगी। उसके बाद भूमिधर लेंगे जिन्होंने और भूमि लेने के लिये दस गुना दिया है। उसके बाद उन किसानों का नम्बर है जिनके पास और भूमि है। इन तीनों ही श्रेणियों से अगर गांव समाज को कुछ धन मिल सके तो किस प्रकार से अवैध, अनैतिक, या गलत कहा जा सकता है और उसका विकृत रूप दिखलाया जा सकता है जब कि उसे पहले मंजूर कर चुके हैं। अब कहते हैं कि वही नजराने का रूप दिया जायगा, यह मेरे विचार से बिलकुल गलत है क्योंकि इसमें निश्चित रूप से जो धन ले रहे हैं, तभी भूमि उठाने के लिये है जिसके लिये गांव समाज को कुछ उससे मिलेगा। भूमि प्रबन्धक समितियां गांव समाज के लिये अगर कुछ थोड़ा सा धन गांव समाज की उन्नति के लिये इन तीनों श्रेणियों से ले लें तो मेरे ख्याल से यह सही है। आदर्श की बात इसमें उस समय लायी जा सकती है जबकि हम श्रेणियों को बदल कर यह कहेंगे कि सबसे पहले भूमिहीन व्यक्तियों को देंगे। उस दिन बात दूसरी उपस्थित होगी। वह प्रश्न अभी उठता नहीं है।

अतः मैं अपने मित्र के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और यही कहता हूं कि जैसा कि हमारा नियम अब संशोधन के रूप में रखा गया है उसी रूप में इसको स्वीकार किया जाना चाहिये।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह——उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मुझे अत्यंत दुख के साथ यह निवेदन करना पड़ता है कि माननीय विरोधी दल के उपनेता ने इस संशोधन का विरोध किया। उसमें उन्होंने कहा कि उनको बड़ा ताज्जुब हुआ कि सुरेश प्रकाश ने अपना पहला संशोधन कैसे वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि नजराने की बात आयी तो सरकार ने जमींदारों को मिला लिया। मुझे इससे बड़ा दुख है कि विरोधी दल के उपनेता किसी दलील के खिलाफ प्रजुडिस नहीं, वह व्यक्ति के खिलाफ प्रजुडिस लेकर यहां बैठते है और इसलिये अपने ही काज को वह हरा देते हैं।

मुझे याद है कि इनके नेता जी और सोशलिस्ट सदस्य कमेटी में इस बात पर कितना लड़े थे हमारे साथ कि किसी प्रकार नजराने का यह रुपया न लिया जाय। परन्तु सर्वसम्मति से पास होने पर तो कम से कम जब मेरा संशोधन कि लाट्री पर ही केवल दिया जाय, लाट्री में जिस का नाम निकले उससे रुपया न लिया जाय, आता है तो उस पर नहीं मालूम हमारे विरोधी दल के उपनेता को इतनी प्रेजुडिस क्यों थी या एक जमींदार की बदबू से उनका दिमाग काम करने लायक नहीं रहा कि उन्होंने मेरे संशोधन का समर्थन नहीं किया। फिर कहते हैं कि मैंने वापस क्यों ले लिया। श्रीमान्, सफ़ेद टोपी वाले, लाल टोपी वाले सभी हमारा साथ न दें तो क्या स्वाभाविक नहीं कि कुछ संकोच हो जाय और भयभीत भी हो जाऊं। मैं कहां तक प्रेस करता जाऊं। मैं समझता था कि यह ऐसा संशोधन है जिसका समर्थन इधर से अवश्य होगा। मालूम नहीं कि जमींदारों के भय में उनको दिमाग की खराबी हो गयी कि सुन नहीं पाये, समझ नहीं पाये या क्या हो गया।

श्री अवधेश प्रताप सिंह——उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी इस संशोधन का समधन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इसके पहले यह बताना चाहता हूं कि हमारे सोशलिस्ट पार्टी के उपनेता जो हैं वह फैजाबाद के हैं, सौभाग्यवश या दुर्भाग्यवश मैं भी फैजाबाद का हूं। आचार्य नरेन्द्रदेव जी लड़ते हैं फैजाबाद से तो हम जमींदार लोग उनको वोट देते हैं। सीधे सीधे मैं यह भी आपको बताऊं कि साथी ये हमारे हैं या हम उनके साथी हैं। मगर मजबूरी तो यह हो जाती है कि जहां पर काम होता है वहां कहा जाता है कि जमींदार नजराना, हक, लेते हैं। अगर नजराना लेते हैं और नजराना कांग्रेस पार्टी लेती है पर मैं यह जानना चाहता हूं कि सोशलिस्ट पार्टी की इल्लिगलाइज्ड डकैती तो नहीं है कि छीन लीजिये जो कुछ हो।

मैं तो ऐसी परिस्थिति में अपना जो संशोधन था उसको वापस लेना चाहता हूं जो १७५ पर है और सोशलिस्ट पार्टी से यह अनुरोध करूंगा कि हर चीज को सही नजरिये से देखें। अगर वह यह समझते हैं कि उन्हें वही कहना है जो जमींदार और बहुमत दल के खिलाफ हो तो उन्हें कम से कम ऐसी निस्सार और बेमानी बात नहीं कहनी चाहिये। असेम्बली के मेम्बर के नाते हमारा एक स्तर होना चाहिये और अपने कर्त्तव्य का पालन करना चाहिये। मुखालफत, मुखालफत के लिये नहीं करनी चाहिये और मौके, बे मौके अपने विरोध को इस तरह से नहीं निकालना चाहिये। अगर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कहना था तो इलेक्शन में मौका मिल चुका है। जमींदार नजराना लेता है यह मैं मानता हूं।

मुझे इतना ही कहना है कि अगर माननीय मंत्री चाहें तो सुझाव के रूप में रखता हूं कि अगर १० गुने से कुछ कम कर दें तो बड़ी बात नहीं होगी।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—उपाध्यक्ष महोदय, जो यह संशोधन चल माननीय मौर्य जी ने एक और संशोधन किया है, फिर भी उसमें मुझे थोड़ी सी अशुद्धि मालूम रहा था उसमें पड़ती है और उसे मैं इस प्रकार रखना चाहता हूं। इसकी आठवीं पंक्ति में जो ये शब्द हैं, "मौरूसी दर पर भूमि के मूल्य का" उनके स्थान पर "मौरूसी दर पर लगाये गये लगान का" होना चाहिये।

श्री चरण सिंह—मुझे स्वीकार है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस संशोधन का विरोध किया था मुझे जवाब देने का मौका मिल जाय।

उपाध्यक्ष—आपको मौका मिल चुका।

प्रश्न यह है कि नियम १७५ के उपनियम (१) के स्थान पर निम्नलिखित वाक्य रखा जाय—

"(१) उस दशा में जब धारा १९८ में उल्लिखित एक ही तारतम्य के एक से अधिक व्यक्ति उपस्थित हों और अपनी यह इच्छा प्रकट करें कि समिति द्वारा निश्चित मालगुजारी या लगान पर उन्हें भूमि उठा दी जाय, तो समिति ऐसे व्यक्ति को, जिसको कि भूमि दी जानी चाहिये निर्धारित करने के संबंध में लाट्री डालेगी और इस प्रकार निर्धारित व्यक्ति को भूमि उठाने के पहिले उसे भूमि प्रबन्धक समिति को एक ऐसी धनराशि देनी पड़ेगी जो मौरूसी दर पर लगाये गये लगान का दस गुना होगी।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि धारा १९८ की उपधारा (१) के खंड (घ) में उल्लिखित वर्ग के किसी भी व्यक्ति द्वारा इस प्रकार की किसी भी धनराशि का भुगतान नहीं किया जायगा"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि नियम १७८ निकाल दिया जाय।

इसका अर्थ यह होगा कि जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम में जो धारा २०९ की दी हुई है उसके द्वारा अदालत को यह अधिकार होगा कि वह जिस प्रकार मुनासिब

[श्री द्वारका प्रसाद मौर्य]

समझे जो ट्रेसपासर हो उससे क्षति दिलवावे। धारा २०९ के खंड (ख) के अन्दर यह लिखा हुआ है कि कोर्ट को इस बात का पूरा राइट है कि वह जिस प्रकार मुनासिब समझे डैमेजेज दिलवाये। इसलिये अगर वह नियम निकाल दिया जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि नियम १७८ निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अवधेश प्रताप सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से नियम १७९ की तीसरी पंक्ति में शब्द "एक वर्ष" के स्थान पर शब्द "आठ वर्ष" रखने का प्रस्ताव उपस्थित करता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के समक्ष नियम १७९ उपस्थित कर रहा हूं।

"अधिनियम की धारा २१२ के अधीन बेदखली होने पर देय प्रतिकर भूमि पर की गयी उन्नति के परिव्यय यदि कोई हो, तथा मौरूसी दरों के अनुसार गणना किये गये एक वर्ष के लगान के बराबर होगा।"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो नियम बनाया गया है यह अधिनियम की धारा २१२ के अन्तर्गत है और उसका भी हवाला देना नितान्त आवश्यक है।

"Any person who, on or after the eighth day of August, 1946, has been admitted to a tenure or grove holder of, or being an intermediary has brought under his own cultivation or has planted a grove upon land which was recorded as or was customary common pasture land, cremation or burial ground, tank, pathway or khalian, shall be liable, notwithstanding anything contained in section 199, to ejectment from the land, on payment of such compensation as may be prescribed, on the suit of the Gaon Sabha."

[यदि ८ अगस्त, १९४६ ई०, को या उसके बाद किसी मध्यवर्ती ने कोई ऐसी भूमि जो अभिलिखित या आचारिक सार्वजनिक पशुचर भूमि, श्मशान या कब्रिस्तान, तालाब, रास्ता या खलिहान थी, अपनी जोत में कर लिया हो या यदि कोई भूमि किसी व्यक्ति को या काश्तकारी या बागदारी पर उठा दी गयी हो तो ऐसा मध्यवर्ती या व्यक्ति ऐसा प्रतिकर देने पर जो नियत किया जाय, जो धारा १९९ में किसी बात के रहते हुये भी गांव सभा द्वारा प्रस्तुत वाद पर, उस भूमि से बेदखल किया जा सकता है।]

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जहां पर धारा २१२ का सवाल होता है, हर आदमी देहात में यह नहीं समझ सकता था कि इस पर आप कोई प्रतिबन्ध लगा रहे हैं। इसके अलावा आप यह देख सकते हैं कि बहुत से जिलों में, मसलन् फ़ैज़ाबाद में, कागजात में आप यह पायेंगे ही नहीं कि "चरागाह" दर्ज हो। ऐसी परिस्थिति में यह आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि किसी भी काश्तकार का इसमें क़सूर नहीं हो सकता है। जमींदारों के ऊपर भले ही यह दोषारोपण किया जा सके कि बहुत से जमींदार जानते थे तब भी उन्होंने दे दिया। लेकिन बहुत तादाद में काश्तकार को यह पता नहीं था कि ऐसी चीजों का जो पब्लिक यूटिलिटी की हैं जमींदार पट्टा नहीं दे सकता है और अगर वह पट्टा लेंगे तो उससे आइन्दा चल कर बेदखल हो सकते हैं। ऐसी सूरत में यह तो ठीक है कि जो भूमि पर काबिज रहा उसको तो आप मुआविजा दे रहे हैं लेकिन जहां तक लगान का सवाल है वह आप महज एक साल का दे रहे हैं। मैं यह कहता हूं कि एक साल के स्थान पर ८ वर्ष कर दीजिये। आप यह तो समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति ने एक

भूमि को तोड़ने में कितना सर्फ़ किया है, इसका अन्दाजा लगाना कोई साधारण सी बात न होगी, अदालत या कहीं भी यह मामला जाय तो उसका निर्णय करने में काफी कठिनायी होगी।

दूसरी बात यह है कि ऋण एक साल के बजाय कम से कम ८ साल तो बढ़ा दीजिये। क्योंकि काश्तकार की कोई गलती नहीं है। अगर गलती है तो जमींदार की जिसने यह जानते हुये कि इसके अधिकार में यह नहीं था कि उस भूमि का पट्टा दे परन्तु दे दिया। और अगर जमींदार भी नहीं जानता है तो दोनों निर्दोष हैं, काश्तकार भी और जमींदार भी और बेदखल होगा बिचारा काश्तकार। जहां तक काश्तकार की नीयत का सवाल है उसका कोई कसूर नहीं है और इसका बहुत जबरदस्त प्रभाव काश्तकारों पर पड़ेगा। बहुत से काश्तकार ऐसे हैं जो किसी न किसी प्रकार पट्टा ले चुके हैं और वह पब्लिक यूटीलिटी के स्थान हैं तो उनके हित में यह चीज होगी कि जहां पर आपने एक वर्ष रखा है वहां आठ वर्ष कर दें। इसमें जनता का ही हित होगा। जमींदारों का जहां तक ताल्लुक है उसने गलत किया या सही किया लेकिन उससे किसान मारा जायगा जो बेदखल होगा। उसने जमीन को तोड़ने में और खेती के लायक बनाने में कितनी मेहनत की है और उसको कुल एक साल के लगान के बराबर मुआवजा मिलेगा इसलिये मैं कहता हूं कि इस "एक वर्ष" के स्थान पर "आठ वर्ष" कर दिया जाय।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह नियम जमींदारी उन्मूलन अधिनियम के नियम २१२ से संबंधित है। इसमें यह कहा गया है कि "८ अगस्त सन् १९४६ या उसके बाद के किसी मध्यवर्ती को कोई भूमि जो सार्वजनिक पशुचर भूमि, शमशान या कब्रिस्तान, तालाब रास्ता या खलिहान रहा हो, ऐसी भूमि को अपनी जोत में कर लिया है या किसी दूसरे व्यक्ति को दे दी गयी हो और उसने अपनी जोत में कर ली हो तो गांव सभा द्वारा प्रस्तुत वाद पर वह बेदखल हो जायगा।" नियम में यह और जोड़ दिया गया है कि यदि उस जमीन की कोई उन्नति हुई हो तो एक साल तक के लगान के बराबर उसके बेदखल होने की क्षतिपूर्ति में उस व्यक्ति को रुपया दिया जायगा।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार, की भूमि को अपनी जोत में ले लेने या किसी दूसरे को पट्टे पर उठा देना यह गलत चीज थी और अगर कहीं ऐसा हुआ तो गलत हुआ और इस प्रकार ऐसी सार्वजनिक चीज को जैसे तालाब, कब्रिस्तान तथा पौसचर्स वगैरह हैं, उनको जोतना नामुनासिब बात है और गांव सभायें उनको बेदखल करें। इस प्रकार से अगर कहीं कार्यवाही हुई है तो मैं तो यह समझता था कि गांव वाले डैमेजेज क्लेम करेंगे कि ऐसी भूमि जमींदारों ने खुद क्यों जोत ली या किसी को उठा दी तो उसकी क्षतिपूर्ति गांव सभा वसूल करे लेकिन बजाय इसके एक वर्ष के लगान के बराबर रुपया उसको दिया जा रहा है। चाहे जमींदार ने जोती हो या किसी दूसरे आदमी ने जोती हो, एक गलत चीज करने के लिये भी मुआवजा दिया जाय और उसके बाद भी हमारे विरोधी पक्ष के कुछ जमींदार सज्जनों का इस तरह का संशोधन उपस्थित करना ठीक नहीं है। यह तो वही होगा कि गांव सभायें पहले ऐसी भूमि को लेने से आठ गुनी क्षति न दे सकें तो फिर धन एकत्रित करें तब कहीं जाकर वह इसको प्राप्त करें। यह तो हमने रख दिया है कि यदि उस भूमि की कुछ उन्नति हुई है तो उनके संतोष के लिये उनको एक वर्ष के लगान के बराबर रुपया मिलना चाहिये। एक चीज ऐसी है जो मुनासिब नहीं थी तो मैं नहीं समझता कि इस तरह का संशोधन लाना किस तरह से ठीक हो सकता है। ऐसी जमीनों को तोड़ लेना, उठा देना, जोत लेना यह चीज ऐसी की गई जो गलत है और फिर उस पर ८ गुना मुआविजा मांगना यह मुनासिब नहीं है। जितने दिन वे काबिज रहे उतने दिन रहे, लेकिन अब ऐसे लोगों को खुशी से वे जमीनें वापस कर देना चाहिये सार्वजनिक उपयोग की वे चीजें है उसमें एक साल का भी लगान न मांगना चाहिये बरअक्स इसके ८ साल का मुआविजा मांगा जा रहा है। मैं समझता हूं कि यह न्यायसंगत नहीं है और माननीय सदस्य जिन्होंने इसे उपस्थित किया है वह इसे वापस ले लेंगे क्योंकि यह गांवसभा वालों के साथ जुल्म करना है।

श्री राम नरेश शुक्ल---अध्यक्ष महोदय, यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आज जमींदारों में वह भावना पैदा हो गई है कि वह अपने इस प्रकार के दोस्तों का ख्याल करते हैं।

राजा वीरेन्द्र शाह---आपके द्वारा मैं यह बतलाना चाहता हूं कि जमींदार अब हम नहीं है।

श्री राम नरेश शुक्ल---बहरहाल उपाध्यक्ष महोदय यह जान कर खुशी हुई कि इस शब्द से आज यहां सभी भाग रहे हैं। बहरहाल आप जमींदार हों या न हों लेकिन इस संशोधन में जो बात है वह एक बड़ी छिपी हुई बात है और वह यह है कि जहां तक मुझे सूचना है ये पट्टे दिये गये थे उनसे ८ या १० साल का नजराना शायद वसूल कर लिया गया था। उस हिसाब को साफ करना यह भी एक होशियारी की बात है।

दूसरी बात यह है कि इस प्रकार के पट्टे ऐसे लोगों को दिये गये हैं कि या तो वे जिलेदार थे, या मुसाहब थे या लाठी ले कर उनके पीछे चलने वाले थे। उनका भी ख्याल करना सदन के बाहर और अन्दर जरूरी है। तो ऐसी सूरत में गांव सभाओं से जो एक सार्वजनिक कार्य के लिये ये जमीनें वापस ले रही हैं उनसे पैसा लेना यह तो अनुचित ही नहीं बल्कि अन्यायपूर्ण बात होगी। मान लीजिये, उपाध्यक्ष महोदय, गांव सभायें ये जमीनें स्कूल बनाने के लिये लेती हैं और ८ गुना लगान और नजराना जमींदारों की जेब में गया तो फिर मारा गया सारा का सारा गांव और गांव सभायें। उपाध्यक्ष महोदय, अगर यह संशोधन मान लिया गया तो फिर जमींदारों की पौ बारह है। उनको नजराना मिल गया और उनकी जमीनों का पैसा वापस आ गया और मर गई गांव सभायें। ऐसी सूरत में इस संशोधन का मान लेना अनुचित होगा। जो पैसा चला गया उस पुरानी दास्तान को फिर खोला जाय जिसकी एक लम्बी कहानी है, उस कहानी को फिर दोहराया जाय उससे जमींदारों को, एक्स-जमींदारों को तकलीफ होगी।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह---उपाध्यक्ष महोदय, मुझे हर्ष है कि कम से कम एक संशोधन पर तो मैं माननीय मौर्य जी के साथ हो सका हूं। मुझे दुख है कि मुझे इस संशोधन पर माननीय प्रस्तावक महोदय से विनती करनी पड़ती है कि वह उसको वापस ले लें। बात जहां ठीक है वहां कुछ कटुता लाना ऐसी कायरता दिखाना कि मरे हुये घोड़े के दो लात और लगा दो यह शोभा नहीं देता और बार बार जमींदारों ने क्या किया और क्या न किया यह सब कहना मेरी समझ में नहीं आता कहां तक शोभा देता है। परन्तु जो कुछ उधर से कहा गया है उसमें कुछ बातें ऐसी अवश्य हैं जो किसी तरह से सही नही कही जा सकतीं। मान लीजिये कि कोई ऐसी जमीन थी जो खलिहान था, या कोई ऐसी जमीन थी जहां पर मुर्दे गाड़े जाते थे या जलाये जाते थे, ऐसी जमीन को अगर किसी जमींदार ने काश्तकार को पट्टे पर उठा दिया और कुछ उससे ८ गुना या १० गुना नजराना ले लिया तो मैं मानता हूं कि उसने बुरा किया लेकिन यह नजराना ऐसी चीज है कि जिसका जिक्र यहां पर किसी जिम्मेदार सदस्य को नहीं करना चाहिये। इसका कारण यही है कि उसको कोई किसी तरह से साबित नहीं कर सकता है कि उसने कितना लिया और उसके ऊपर तर्क नहीं किया जा सकता है। मान लीजिये कि जमींदार ने लिया तो अब श्रीमन्, देखना यह है कि देने वाला कौन है।

मैंने तो बराबर जब कभी हाउस में मौका आया तो यह बतलाने की कोशिश की और कहा कि मैं यह मानता हूं कि अगर जमींदार ने नजराना लिया तो उसने गलती की और बुरा किया तो क्या श्रीमन्, देने वाले के ऊपर कोई लान्छन या दोष नहीं लगाया जा सकता है? मान लीजिये किसी काश्तकार के दरवाजे के पास एक पेड़ खड़ा है और किसी वजह से जमींदार उसको काटना चाहता है। अगर कोई काश्तकार जमींदार से यह कहता है कि आप इसके ५०० रुपये मुझसे ले लीजिये और मुझे दे दीजिये। अगर वह जमींदार लालच में आ जाता है और ५०० रुपये ले लेता है और वह पेड़ जिसकी छाया के नीचे किसी के बाल

बच्चे खेलते हैं और उसके बैल, भैंस और गाय बन्धते हैं, कट जाता है तो क्या केवल जमींदार का दोष है। काश्तकार का भी उसमें दोष है जो उसको प्रलोभन देता है। अगर घूस लेना खराब बात है तो क्या घूस देना खराब बात नहीं? अगर नजराना लेना खराब चीज है तो क्या नजराना देना खराब चीज नहीं है जो लालच में फंसा कर अपना काम निकालना चाहता है? जैसा कि मैंने कहा कि नजराना लेना, ऐसी जमीन का जहां पर खलिहान हो, या श्मशान रहा हो या और कोई सार्वजनिक स्थान हो, बुरी बात है लेकिन जो नजराना देने का लालच देता है क्या वह बुरा नहीं है? इसलिये श्रीमन्, यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें जमींदार ही दूषित रहे हों। मैं मौर्य जी को साथ देने के लिये तैयार हूं कि जहां पर इस तरह की जमीन बतलाई जाय कि जमींदारों के द्वारा ऐसा किया गया तो वहां पर मैं समझता हूं कि गांव सभा को यह अख्तयार होना चाहिये कि वह एक सिर्फ जमींदार पर ही नहीं बल्कि दोनों पर जमींदार और काश्तकार पर जुर्माना करे। मैं तो कहता हूं कि जमींदार ही क्यों ले और काश्तकार ही क्यों दे। उन दोनों पर इसका जुर्माना होना चाहिये। मान लीजिये किसी खास जमीन की आवश्यकता गांव सभा को है और वह जानती है कि यह सार्वजनिक काम की जमीन ले ली गई है तो उसके लिये गांव सभा को अख्तयार होना चाहिये कि वह माकूल इन्तजाम उसका कर सके। मैं तो मौर्य जी का साथ देने के लिये तैयार हूं कि ऐसे दोनों आदमियों पर जुर्माना किया जाय इसलिये मैं समझता हूं कि जहां तक इस तरह की सार्वजनिक भूमि का ताल्लुक है वह हर्गिज हर्गिज उस काश्तकार के पास नहीं रहनी चाहिये या किसी जमींदार ने कर दिया हो तो उससे ले लेनी चाहिये और साथ ही उनके ऊपर कुछ जुर्माना भी कर दिया जाय तो सही होगा।

श्री अवधेश प्रताप सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर कुछ छीटाकशी की गई और कहा गया कि जमींदारों ने नजराना लिया। आप यह नहीं देखते कि आप क्या कर रहे हैं। यह एक महज भ्रम है कि अगर जमींदार लेता है तो उसको आप नजराना कहने लगते हैं और जब आप लेते हैं तब उसका दूसरा रूप हो गया। लगान हो गया मालगुजारी हो गया, बस आप शब्द बदल देते हैं। अगर लेते हैं तो हम और आप दोनों लेते हैं नजराना देने वाला भी गुनहगार है जैसा कि माननीय सुरेश प्रकाश सिंह ने कहा दोष उन जमींदारों का है जो समझते थे लेकिन बहुत से ऐसे अनपढ़ जमींदार भी हैं जो धारा २१२ को नहीं समझते थे और जो जमींदार लखनऊ में घूमते हैं वह भी नहीं जानते हैं।

मंत्री जी ने इसी २१२ दफा का हवाला दिया था और उसी के बाद विरोधी दल को मालूम हुआ, बहस का सिलसिला तो इस वक्त नहीं बतला सकता कि क्या था लेकिन यह दफा २१२ ऐसी है जिससे सर्वसाधारण अपरिचित है। तो क्या यह जिम्मेदारी सरकार की नहीं थी। क्या मैं पूछ सकता हूं कि २१ मई से पहले जब से आप ने पट्टों को अवैध घोषित किया है क्या उससे पहले पट्टे नहीं हो रहे थे उस वक्त आप जमींदार तबके को नहीं रोक सकते थे? या आप की यही मंशा थी कि काश्तकारों को आगे चलकर कुचला जायगा? तो आप समझें कि आप को किस तरह से किसानों का नुमाइन्दा बनने का अधिकार है? बहुत सी ऐसी जगह है जहां पर लोगों को जमीन नहीं लेनी चाहिये थी जैसे मैं दफा २१२ में से ही हवाला देता हूं "Which was recorded as or was customarily common pasture land." [जो अभिलिखित या आचारित सार्वजनिक पशुचर भूमि.....थी] मैं फ़ैजाबाद जिले की ही बतलाता हूं कि वहां पर बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पर लोग मवेशी चराते थे लेकिन चरागाह दर्ज नहीं है। आप के पास भी अगर पुलिस का पहरा न हो तो विधान सभा के आगे भी लोग मवेशी चराने लगें और फिर आप उसको भी पास्चरलैंड कह दें।

जब सरकार का ग्रो मोर फूड केम्पेन चलता था तो हमें बाध्य किया जाता था और कलक्टर साहब कहते थे कि जमीन का इंतजाम करो वर्ना १५ दिन के अन्दर सरकार उठा देगी। बहुत सी ऐसी बातें अपने को निर्दोष करने के लिये कहनी पड़ती हैं और मैं कह सकता

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

हूं कि गुनाहगार आप भी हैं। एक तरह तो आप ने जमींदारों का रुपया जेब में कर लिया और साथ ही काश्तकारों का भी गला काटने को आप तैयार हैं। उसकी क्या गलती है आप हम से वसूल कीजिये काश्तकार बेचारे ने क्या किया। आप ही सोचें कि यह कहां तक न्यायसंगत है। वह तो निर्दोष है। कहते हैं कि जमींदारों ने यह किया और वह किया। अरे साहब, हमने बहुत कुछ खराबियां कीं। उसका फल हम भुगत चुके हैं। हमने बुराइयां की तो जमींदारी टूट गई। लेकिन भाई साहब, ऐसी कटुता से क्या लाभ? माननीय माल मंत्री जी कल कहते थे कि कटुता नहीं आनी चाहिये। मैं उनसे सविनय अनुरोध करूंगा कि अपने गोल के लोगों को यह कह दें कि कटुता....

श्री चरण सिंह--मैं अभी अपने दोस्त से पूछ रहा था, जब मैंने यह देखा, कि भाई, क्या किसी ने किसी को छेड़ दिया।

श्री अवधेश प्रताप सिंह--मैं धन्यवाद देता हूं। अब मुझे कोई शिकायत नहीं है।

उपाध्यक्ष--माननीय सदस्य अपने प्रस्ताव के संबंध में बहुत कुछ अधिक नहीं कह रहे हैं।

श्री अवधेश प्रताप सिंह--मैं यह कहता हूं कि सरकार ऐसा न करे कि किया कसूर किसी दूसरे न और सजा मिले किसी और को। यह कहां तक न्याय है? मैं तो कहता हूं कि अगर सरकार इस संशोधन को नहीं मानेगी तो उसे फिर कभी ऐसा संशोधन इसमें लाना होगा। भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है। मैं आपके द्वारा माननीय माल मंत्री जी से पूछूंगा कि टैंक से उनका क्या मतलब है, क्या झील से है या महासागर से है या किसी छोटे से गड्ढे से है। तो क्या ऐसे शब्दों से सरकार यह समझती है कि केवल एक ही 'पोर्शन आफ दी पाप्यूलेशन अफेक्ट' होगा? इन दोनों के साथ मैं आशा करता हूं कि यह संशोधन स्वीकार होगा।

श्री चरण सिंह--श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, इस पर मुझे कुछ विशेष कहना नहीं है। स संशोधन का विरोध करते हुये माननीय मौर्य साहब ने सरकार का दृष्टिकोण भवन के सामने रख दिया है। मोटी सी बात यह है कि इस प्रकार की भूमि को ही गांव सभा को वापस लेने का अधिकार दिया गया है जो कि सार्वजनिक कार्य के लिये या सार्वजनिक फ़ायदे के इस्तेमाल में सार्वजनिक रूप से इस्तेमाल में आ रही हो और वह ५ किस्म की जमीन है, पास्चोर, क़ब्रिस्तान वा श्मशान, आम रास्ता, खलिहान या तालाब। तो ऐसी जमीन अगर किसी किसान ने खुद ले ली है या जमींदार ने खुदकाश्त में कर ली है तो उसमें हमने गांव सभा को अधिकार दिया है कि अगर वह चाहे और जरूरी समझे कि ऐसी जमीन को वापस लेना जरूरी है गांव सभा के फायदे के लिये, तो वह उसे वापस कर सकती है। यह कोई अनिवार्य नहीं है कि गांव सभा जमीन को जरूर वापस करे। लेकिन अगर वह समझती है कि ऐसी जमीन के टूट जाने से या नयी तोड़ हो जाने से उनको तकलीफ हो गई है तो इस जमीन को वह वापस ले सकती है। तो ऐसी जमीन को किसान को या जमींदार को काश्त के अन्दर लाना नहीं चाहिये था। क्योंकि सार्वजनिक उपयोग में ऐसी भूमि आ रही थी। लेकिन जैसा मैंने अर्ज किया, दूसरी बात यह है कि बराबर गवर्नमेंट की तरफ से इस बात का ऐलान होता रहा कि इस जमीन को जो लेगा वह वापस कर ली जायगी। तो बावजूद इस तरह की घोषणा के जिन किसानों ने ऐसी जमीन जमींदारों से नजराना या बिना नजराने ली या जमींदार ने उसको अपने जेरेकाश्त कर लिया तो कोई तर्क या युक्ति ऐसा करने के हक़ में नहीं है।

खासतौर से यह कि गांव सभा स्वयं उस जमीन को सार्वजनिक उपयोग के लिये लेना उचित समझे। यह जरूरी नहीं है कि हर केस में ऐसा हो ही और ऐसे पट्टों को वह मंसूख ही करदे फिर हमने उसके लिये जो तारीख रखी है वह ८ अगस्त सन् ४६ रखी है जब कि जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव इस हाउस से पास हो चुका था। खासतौर से पूर्वी जिलों में, जब कि मैं माननीय उद्योग मंत्री के पास था और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी की हैसियत

से काम कर रहा था, कितनी ही दरख्वास्तें गांव वालों की तरफ से आई कि जमीन तोड़ ली गई है और बहुत सी जगहों पर पशुओं के बैठने के लिये जगह नहीं रह गई है। श्मशान और कब्रिस्तान तक तोड़ डाले गये, खलिहान तक के लिये जमीन नहीं रही। फिर भी हमने यह गांव सभा के डिस्क्रीशन (स्वविवेक) पर रखा है कि अगर वह जरूरत समझे तो ऐसी जमीनों को वापस ले ले। हाउस की इत्तिला के लिये मैं यह बता देना चाहता हूं कि गांव सभायें बहुत सी जगहों में इतनी कमजोर हैं कि वे इन अख्तियारात को काम में भी नहीं ला सकतीं। ऐसी सूरत में हम कलेक्टर को यह अख्तियार देने जा रहे हैं कि वह ऐसी जमीनों को वापिस लेकर गांव सभाओं को दे दें। केवल उन्हीं जमीनों को जिनको गांव सभा वापिस लेना मुनासिब समझे।

सुझाव यह दिया गया है कि बतौर हरजाने के गांव सभा से कुछ रुपया दिलाया जाय लेकिन यह गांव सभाओं के ऊपर भार होगा। गांव सभायें अपना ही खर्चा नहीं चला पा रही है, टैक्सेज वसूल नहीं कर पाती है। गवर्नमेंट को काफी रुपया उनके लिये देना पड़ रहा है और गवर्नमेंट मशीनरी के जरिये से उनके टैक्सेज (कर) वसूल किये जा रहे हैं। अगर हर्जाने के तौर पर कुछ रखा जायगा तो इस चीज को प्राहीबिट ही करना होगा। यह जानते हुये कि उसने अधिनियम की पालिसी के खिलाफ कार्यवाही की है हम जो कुछ दिला रहे हैं वह बहुत काफी है। इसलिये मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं करता।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि नियम १७९ की तीसरी पंक्ति में शब्द "एक वर्ष" के स्थान पर शब्द "आठ वर्ष" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि नियम १८२ के बाद निम्नलिखित नये नियम, नियम १८२-क और १८२-ख के रूप में बढ़ा दिये जायं—

"१८२-क आसामी द्वारा गांव सभा या क्षेत्रपति को दी गयी लगान की प्रत्येक किस्त के लिये वह तुरन्त रसीद पाने का अधिकारी होगा।

१८२-ख किसी डिगरी के निष्पादन या बेदखली की आज्ञा के पालन के सिलसिले में कब्जा पहली अप्रैल के पूर्व या ३० जून के बाद न दिया जायगा।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा किसी स्थानीय क्षेत्र के संबंध के वर्ष की ऐसी अन्य तारीख निर्दिष्ट कर सकती है जिसमें कब्जा दिया जायगा।"

जो कुछ कहा गया है इसमें बहुत ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। आशा है यह प्रस्ताव सबको मान्य होगा।

श्री रामलखन मिश्र—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा १८२ (ख) में एक सुझाव उपस्थित करना चाहता हूं। इसमें जो पहली अप्रैल निश्चित की गई है वह भ्रम से की गई मालूम होती है क्योंकि पहिले जो तिथि पुराने कानूनों में रखी गई थी वह १ मई रखी गयी थी। और वह तारीख के हिसाब से रखी गयी थी। किसानों के खेतों में फसल खड़ी रहती है और मई में कट जाती है। लेकिन पहली अप्रैल के समय में फसल खेतों में खड़ी रहती है। पहली अप्रैल की अपेक्षा यदि १५ अप्रैल कर दिया जाय तो ज्यादा श्रेयकर होगा। पहले भी सब विधानों में ऐसा किया गया है। पता नहीं कि पहली अप्रैल किस छाया में किया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि भ्रम से ही ऐसा हो गया है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—मुझे यह संशोधन स्वीकार है।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि नियम १८२ के बाद निम्नलिखित नये नियम, नियम १८२-क और १८२-ख के रूप में बढ़ाये जायं--

"१८२--क आसामी द्वारा गांव सभा या क्षेत्रपति को दी गयी लगान की प्रत्येक किस्त के लिये वह तुरन्त रसीद पाने का अधिकारी होगा।

१८२--ख किसी डिगरी के निष्पादन या बेदखली की आज्ञा के पालन के सिलसिले में कब्जा १५ अप्रैल के पूर्व या तीस जून के बाद न दिया जायगा।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा किसी स्थानीय क्षेत्र के संबंध में वर्ष की ऐसी अन्य तारीख निर्दिष्ट कर सकती है जिनमें कब्जा दिया जायगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वर्तमान नियम १८३ के उपनियम (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"(२) प्रार्थना पत्र के साथ ऐसी आज्ञा की, यदि कोई हो, प्रमाणित प्रतिलिपि भी रहेगी, जिसके अनुसार प्रार्थी को भूमि से हटा दिया गया था।"

जहां प्रार्थना पत्र के साथ और भी बहुत सी बातें नियमों की रखी गयी हैं उसके साथ इसकी भी आवश्यकता है कि उस आज्ञा की प्रमाणित प्रतिलिपि भी हो तो अच्छा है। इसलिये यह बात संशोधन में जोड़ दी गयी है। आशा है कि भवन इसे स्वीकार करेगा।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि वर्तमान नियम १८३ के उपनियम (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"(२) प्रार्थनापत्र के साथ ऐसी आज्ञा की, यदि कोई हो, प्रमाणित प्रतिलिपि भी रहेगी, जिसके अनुसार प्रार्थी को भूमि से हटा दिया गया था।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वर्तमान नियम १८५ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायगा--

"१८५--धारा २३२ अथवा धारा २३७ की उपधारा (२) के अधीन प्रार्थना पत्र पाने पर असिस्टेंट कलेक्टर संबंधित खतौनी तथा अन्य अभिलेख मंगायेगा और ऐसी अन्य जांच करेगा जो इस संबंध में आवश्यक होगी।"

इस संशोधन के द्वारा असिस्टेंट कलेक्टर द्वारा संबंधित खतौनी तथा अन्य कागजात मंगाने की बात कही गयी है। स्वयं प्रार्थी को दाखिल नहीं करना पड़ेगा। मुझे आशा है कि यह संशोधन स्वीकार किया जायगा।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि वर्तमान नियम १८५ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायगा--

"१८५--धारा २३२ अथवा धारा २३७ की उपधारा (२) के अधीन प्रार्थनापत्र पाने पर असिस्टेंट कलेक्टर संबंधित खतौनी तथा अन्य अभिलेख मंगायेगा और ऐसी अन्य जांच करेगा जो इस संबंध में आवश्यक होगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि नियम १९३ के पश्चात् निम्नलिखित नया नियम, १९३-क के रूप में बढ़ा दिया जाय।

"१९३-क--कोई व्यक्ति जो किसी अधिवासी से लगान लेगा इस धनराशि के लिये तुरन्त रसीद देगा।"

इसमें तो कोई विरोध नहीं होगा।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि नियम १९३ के पश्चात् निम्नलिखित नया नियम, १९३-क के रूप में बढ़ा दिया जाय।

"१९३-क—कोई व्यक्ति जो किसी अधिवासी से लगान लेगा इस धनराशि के लिये तुरन्त रसीद देगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

राजा वीरेंद्र शाह (जिला जालौन)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से नियम १९४ में यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि नियम १९४ के बाद निम्नलिखित प्रतिबन्ध बढ़ा दिया जाय—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि भूमिधर की निजी जोत या सीर या खुदकाश्त या बाग की मालगुजारी की धनराशि, ऐसी दशा को छोड़कर जिसमें अधिनियम की धारा २५१ लागू होती हो, निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर देय धनराशि से अधिक न होगी।"

श्रीमान्, मेरा अभिप्राय इस संशोधन को पेश करने से यह है कि मैं यह समझता हूं कि नियम १९४ के रहते हुये जो जमींदारी अबालीशन ऐक्ट की धारा २९१ है वह आपकी आज्ञा से मैं पढ़ना चाहता हूं।]

"Notwithstanding anything contained.....will not be valid within 40 years next after the commencement of this Act."

[किसी बात के रहते हुये भी .....इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के बाद ४० वर्ष के भीतर वैध नहीं होगा।]

मतलब यह है कि आपने ऐक्ट में यह तय किया है कि चालीस साल तक कोई लगान जमींदारों की खुदकाश्त या सीर पर नहीं बढ़ाया जायगा। लेकिन जब मैं यह नियम देखता हूं तो मुझे उससे यह भय होता है कि शायद जिस वक्त लगान का सवाल आये और वहां के अफसर लगान लगायेंगे तो उनके ऊपर अवश्य बढ़ जायगा। मैंने जो नोट आफ डिसेंट दिया है उसमें इसका जिक्र किया है जिसको मैं आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं।

"We wish to bring to the notice of the Government that land revenue is being increased by the method employed by Government in valuing the sir and khudkasht and groves of the zamindars under Rule 194. Sir, khudasht and groves are to be valued at exproprietary rates that is, two annas in the rupee less than the rates for occupancy tenants. The revenue on these plots will be calculated in this way: Suppose a zamindar's gross assets are Rs.250 and his land revenue at 36 per cent. is Rs.90 and suppose the valuation of his sir, khudkasht and groves at occupancy rates comes to Rs.200, then according to Rule 194, the revenue on his sir, khudkasht and groves will be calculated thus:

[राजा वीरेन्द्र शाह]

From the valuation of sir, khudkasht and groves at occupancy rates a deduction of 2 annas in the rupee will be made so as to bring the rates to the level of ex-proprietary tenants. The gross assets of sir, khudkasht and groves will thus be valued at Rs.175. The land revenue on this will be Rs.175 multiplied by the total land revenue (Rs.90) and divided by the gross assets, namely Rs.250, that is, it will be Rs.63. This sum of Rs.63 will be more than what the zamindar is paying at present. The reason for this is that under section 63-I of the U. P. Land Revenue Act, instead of a deduction of 12½ per cent. from the valuation at occupancy rates the minimum deduction is 15 per cent. and the maximum comes to 30 per cent. It is further laid down that where the number of proprietors is large and the circumstances are poor the deduction must not be less than 25 per cent. The Zamindari Abolition Committee had also noted on this point on page 529 of Volume I of their report. A zamindar whose gross assets come to only Rs.250 will usually be placed in the class of proprietors whose numbers are large and whose circumstances are poor. The rates for valuation will be 25 per cent. below occupancy rates and not 12 per cent. as laid down by Government. On this basis the revenue on sir, khudkasht and groves will be Rs.54 and not Rs.63, that is the Government will have increased the revenue by over 16½ per cent. The U. P. Zamindari Abolition Committee have estimated at page 490 of Volume I of their report that the gross assets of zamindars paying a land revenue of Rs.250 and less are rupees 795 lakhs. As most of these gross assets will arise from their sir, khudkasht and groves, it would not be an over-estimate if we were to take the valuation of their sir, khudkasht and groves at occupancy rates to be about rupees 700 lakhs. On this basis we estimate the land revenue assessed on zamindars paying a land revenue of Rs.250 and less will be increased by about rupees 35 lakhs a year."

[हम सरकार के ध्यान में लाना चाहते हैं कि सरकार नियम १९४ के अन्तर्गत जमींदारों की सीर, खुदकाश्त और बाग का मूल्यांकन करने की रीति से भूराजस्व बढ़ा रही है। श्रीमान् जी, खुदकाश्त तथा बाग भूमि का मूल्य साकितुलमिल्कियत की दर से लगाना चाहिये अर्थात् दखीलकार काश्तकार के लिये जो दर है उससे रुपये में दो आने कम होना चाहिये। इन भू-भागों पर राजस्व इस प्रकार निकाला जायगा--मान लीजिये कि किसी जमींदार को कच्ची निकासी २५० रुपये है और उसका भूराजस्व ३६ प्रतिशत के हिसाब से ९० रुपये है और मान लीजिये कि उसकी सीर, खुदकाश्त और बाग का मूल्यांकन दखीलकार की दर से २०० रुपये होता है, तब नियम १९४ के अन्तर्गत उसकी सीर, खुदकाश्त और बाग का राजस्व इस प्रकार निकलेगा दखीलकार की दर से सीर खुदकाश्त और बाग भूमि के मूल्य से एक रुपये में दो आने कम कर दिया जायगा जिससे कि दर साकितुलमिल्कियत के काश्तकारों की दर के स्तर पर आजाय। इस प्रकार सीर, खुदकाश्त और बाग भूमि की कच्ची निकासी का मूल्य १७५ रुपया होगा। इस पर भूराजस्व इस प्रकार निकलेगा कि १७५ रुपये कुल राजस्व (९० रु० से गुणित होगा और कच्ची निकासी यानी २५० रुपये से विभक्त होगा, यानी यह ६३ रुपये होगा। यह ६३

रुपये की धनराशि उस धनराशि से अधिक है जिसे जमींदार इस समय दे रहा है। इसका कारण यह है कि यू० पी० लैंड रेवेन्यू ऐक्ट के सेक्शन ६३–I के अन्तर्गत दखीलकार के मूल्य की दर से १२ प्रतिशत कम होने के स्थान पर न्यूनतम अपकर्ष १५ प्रतिशत है और अधिकतम ३० प्रतिशत है। यह भी उल्लिखित है कि जहां जहां स्वामियों की संख्या अधिक है और परिस्थितियां अच्छी नहीं है तो वहां अपकर्ष २५ प्रतिशत से कम न होना चाहिये। जमींदारी विनाश समिति ने अपनी प्रसूचना के इस विषय में प्रथम खंड के पृष्ठ ५२९ पर नोट किया है।कोई जमींदार जिसकी कच्ची निकासी २५० रुपये अ.तो है, प्रायः उन स्वामियों की श्रेणी में रखा जायगा जिनकी संख्या बड़ी है और परिस्थितियां अच्छी नहीं है। मूल्यांकन की दरें दखीलकार की दरों से २५ प्रतिशत कम होंगे न कि १२ प्रतिशत जैसा कि सरकार ने लिखा है। इस आधार पर सीर, खुदकाश्त और बागों पर राजस्व ५४ रुपये होगा न कि ६३ रुपये यानी सरकार १६, १/२ प्रतिशत से अधिक राजस्व बढ़ायेगी। यू० पी० जमींदारी विनाश समिति ने अपनी प्रसूचना के प्रथम खंड के पृष्ठ ४९० पर प्राक्कलित किया है कि उन जमींदारों की कच्ची निकासी, जो २५० रुपये या इससे कम राजस्व देते हैं, ७९५ लाख रुपये हैं। क्योंकि ये अधिकांश कच्ची निकासियों उनकी सीर, खुदकाश्त और बागों से होंगी यह अधिक प्राक्कलन न होगा यदि हम उनकी सीर खुदकाश्त और बागों का मूल्यांकन दखीलकार की दर से लगभग ७०० लाख रुपये निकालें। इस आधार पर हम प्राक्कलित करते हैं कि भूराजस्व जो उन जमींदारों पर निर्धारित होगा जो २५० रुपये या इससे कम देते हैं, ३५ लाख प्रति वर्ष बढ़ जायगा।]

मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान यह दिलाना चाहता हूं कि अगर वह हमको यह विश्वास दिला दें कि यह जो लगान सीर और खुदकाश्त का जमींदार दे रहे हैं उस पर नहीं बढ़ेगा और धारा के जरिये से ऐसा नहीं होगा तब तो मैं इस संशोधन के पेश करने की जरूरत नहीं समझता। लेकिन मैंने जो उद्धरण पढ़कर सुनाया उससे २५० रुपया जो मालगुजारी देते हैं उन पर ३३ लाख बढ़ा है और जो और और देते हैं उनपर भी बढ़ेगा। इसलिये मैं आपके जरिये से बतलाना चाहता हूं कि जब एक बिल में तय हो गया कि ४० साल के अन्दर कोई लगान किसी प्रकार का नहीं बढ़ेगा तब इन जमींदारों के ऊपर जिनकी सीर और खुदकाश्त ही एक रह गयी है जिसपर उनकी बसर होगी, उनके ऊपर लगान नहीं बढ़ना चाहिये। मैं इस संशोधन को आपके द्वारा इस वजह से सरकार के सामने रखना चाहता हूं कि वह इसको स्वीकार कर ले या हमको यह इतमिनान दिलाये कि वह लगान नहीं बढ़ायेगी तो मैं अपने संशोधन को वापस लेने के लिये तैयार हो जाऊंगा।

श्री द्वारका प्रसादमौर्य—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा अपने मित्र श्री वीरेन्द्रशाह जी को यह बतलाना चाहता हूं कि जमींदारी उन्मूलन के बाद कोई अन्तर अब जमींदार और किसान के बीच बाकी नहीं रहा कि जो किसान थे और जो जमींदार थे उनमें इस प्रकार का कोई भेद भाव बाकी रहना भी नहीं चाहिये। जमींदार लोग पहले अपनी सीर की जमीन को कहीं मार्गेज कर देते थे या उनकी जमींदारी निकल जाती थी बय हो जाती थी या रहेन हो जाती थी तो अपनी सीर के वे साकितुल मिल्कियत काश्तकार हो जाते थे, और एक्स प्रोप्राइटरी टेनेंट्स के लगान की दर दखीलकार काश्तकार के लगान की दर से दो आना कम निर्धारित की जाती थी। अब मौजूदा अधिनियम द्वारा भी जो सीर और खुदकाश्त जमींदारों की है उस पर मालजुजारी निर्धारित होगी और वह एक्स प्रोप्राइटरी टेनेंट्स यानी जो साकितुल वाली दर है उसके अनुसार मालगुजारी निर्धारित की जा रही है। गांव में आकूपेंसी टेनेंट्स थे, साकितुल टेनेंट्स थे और दूसरे मौरूसी वगैरह के टेनेंट्स थे, उनके लगान की जो दर है वह अपनी जगह पर है। जमींदार साहबान को सीर और खुदकाश्त का कोई लगान देना नहीं पड़ता।

[श्री द्वारका प्रसाद मौर्य]

गांव भर की जो मालगुजारी होती थी उसी के अन्दर उनकी सीर और खुदकाश्त की जो मालगुजारी थी वह भी शामिल थी। लेकिन चूंकि जो लगान वसूल होता था उससे वे मालगुजारी देते थे और उसमें उनको मुनाफा भी होता था, इसलिये वे समझा करते थे कि उनको सीर और खुदकाश्त पर कोई मालगुजारी देना नहीं पड़ती। सीर और खुद काश्त जिस में बिला किसी लगान के वे काश्त किया करते थे, उसपर अब मालगुजारी देना पड़ेगी, तो मैं समझता हूं कि उनको यह बोझा जरूर मालूम पड़ता होगा और इससे उनको थोड़ा कष्ट भी हो रहा होगा। यदि किसी आदमी को कुछ न देना पड़ रहा हो और बाद में देना पड़े तो यह स्वाभाविक है कि उसे थोड़ा कष्ट हो। इसके साथ साथ राजा वीरेंद्रशाह जी इस बात को देखें कि जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् जितनी भी जमीन हैं उन सब पर निर्धारित रेट के अनुसार मालगुजारी ली जाने वाली है लेकिन जमींदार साहबान की सीर और खुदकाश्त के लिये खास रिआयत की गयी है। दखीलकार काश्तकार के मुकाबले में उनकी सीर और खुदकाश्त पर दो आने कम रेट रखा गया है। इसलिये कोई वजह नहीं मालूम पड़ती कि इस तरह का कोई संशोधन उपस्थित किया जाय और सीर और खुदकाश्त के संबंध में जो मालगुजारी की दर है उसके लिये यह कहा जाय कि जमींदारी उन्मूलन के पहले जो देय लगान था वह रखा गया। सीर और खुदकाश्त पर जमींदारी उन्मूलन के पहले वास्तव में कोई दे लगान नहीं था। पहले जो उनकी मालजुजारी होती थी वह सम्मिलित मालगुजारी होती थी।

संशोधन के द्वारा यह कहा गया है कि प्रतिबन्ध यह है कि कि भूमिधर की निजी जोत या सीर या खुदकाश्त या बाग की मालगुजारी की धनराशि, ऐसी दशा को छोड़ कर जिसमें अधिनियम की धारा २५१ लागू होती हो, निहित होने के दिनांक से ठीक पहिले के दिनांक पर देय धनराशि से अधिक न होगी? तो सीर या खुदकाश्त जो जमींदारान की होती थी उस पर निहित होने के दिनांक से पहिले जो देय धनराशि था वह पूरे गांव की देय धनराशि में सम्मिलित होती थी। संभव है कि उनका मतलब यह हो कि पूरे गांव की धनराशि थी उसके हिसाब से उनकी सीर और खुदकाश्त की धनराशि काटी जाय लेकिन उन्होंने इसको अपने भाषण में स्पष्ट नहीं किया है। अब जो होने वाली चीज है वह यही है कि जमींदारान की सीर, खुदकाश्त और बाग पर एक्सप्रोप्राइटरी रेट से मालगुजारी लगाई जायगी। बाग के लिये तो यहां तक सुविधा दे दी गयी है कि वेस्टिंग की डेट के बाद कोई व्यक्ति अपनी जमीन में बाग लगावे और वह बाग तैयार हो जाय, तो उस भूमि की मालगुजारी माफ तक की जायगी।

बाग के संबंध में सरकार का दृष्टिकोण यह है कि लोग बाग अधिक से अधिक लगावें और लगाने के बाद बाग की मालगुजारी माफ की जाय, लेकिन जो पहले के बाग हैं या जमींदारान की सीर या खुदकाश्त की भूमि है उस पर मालगुजारी काफी कम है बनिस्बत और काश्तकारों के। इसलिये इस प्रकार का संशोधन अपनी जगह पर ठीक नहीं है। मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री ज्वाला प्रसाद सिन्हा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री वीरेन्द्रशाह जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मुझे मौर्य जी का ध्यान नियम १९७ की ओर आकृष्ट करना है। "निहित होने के दिनांक पर ऐसी बाग वाली भूमि, जो उक्त दिनांक के ठीक पूर्व बागदार के कब्जे में रही हो और जिसके लिये उक्त दिनांक पर कोई लगान देय न रहा हो, मालगुजारी देने से उस समय तक सप्रतिबन्ध मुक्त रहेगी जब तक उस भूमि पर इतनी संख्या में वृक्ष लगे रहें कि उनके कारण भूमि को काश्तकारी के लिये प्रयोग में न लाया जा सके।"

तो मैं यह कहूंगा कि यह सिर्फ मध्यर्त्ती के लिये ऐसा कहा जाता है कि उसके बाग पर तो मालगुजारी बांध दी जाय परन्तु जो अन्य बागदार हैं उनके बाग पर मालगुजारी नहीं बांधी जायगी। तो ऐसी हालत में मैं कहूंगा कि यह तो दो-आंखी हो जायगी। यह बड़ा अन्याय होगा। जमींदारी तो पहली जुलाई को खत्म हो गयी। उसके खत्म होने के बाद उनको दूसरे तरीके से देखना कहां तक न्यायपूर्वक होगा? आप कहते हैं जो रिआया के बाग हैं उन पर कोई मालगुजारी न बंधेगी लेकिन जो मध्यर्त्ती के बाग हैं उन पर मालगुजारी बंधनी चाहिये। बल्कि यहां तक है, जैसा कि मौर्य जी ने स्वयं कहा कि जिस जमीन पर भूमिधर बाद को बाग लगा लेगा उस पर कलेक्टर मालगुजारी भी माफ़ कर सकता है, लेकिन अगर किसी मध्यर्त्ती के कब्जे में कोई बाग है तो उस पर मालगुजारी बंध जायगी, तो मैं यह कहूंगा कि यह बहुत अनुचित बात है। इस तरह की बात हर्गिज न होनी चाहिये। जहां तक सीर व खुदकाश्त का ताल्लुक़ है, उस पर तो किसी हद तक मालगुजारी बंध सकती है लेकिन बाग का जहां तक सवाल है, उस पर किसी तरह मालगुजारी बांधना उचित न होगा।

उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि नियमों पर वादाविवाद स्थगित किया जाय, क्योंकि आज के कार्यक्रम में मद नम्बर २ और ३ लेने आवश्यक हैं। माननीय राजस्व मंत्री और गृह मंत्री चाहें तो उनको उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश कर सकते हैं।

उत्तर प्रदेश अभ्यस्त अपराधी प्रतिबन्ध विधेयक, १९५२

कारागार उपमंत्री (श्री मुजफ्फर हुसेन)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश अभ्यस्त अपराधी प्रतिबन्ध विधेयक, १९५२ पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २७९ पर)

उत्तर प्रदेश सम्पत्ति के हस्तगत करने का (बाढ़ सहायक) (संशोधन) विधेयक, १९५२

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—मैं उत्तर प्रदेश सम्पत्ति के हस्तगत करने का (बाढ़ सहायक) (संशोधन) विधेयक, १९५२, पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये 'घ' आगे पृष्ठ २८८ पर)

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ
२० अगस्त, १९५२।

कैलास चन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये २० अगस्त, १९५२ क अल्प सूचित तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ २१४ पर)

(१) आयुर्वेदिक एवं युनानी चिकित्सा प्रणालियों के उत्तरोत्तर बिकास की तथा उनके द्वारा जनता को अधिक से अधिक चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने की नीति को अपना लिया है तथा आयुर्वेद विभाग पर किया जाने वाला सरकारी व्यय जो १९४७, १९४८ ई० में १२, १६, ९०० रू० था अब बढ़ाकर २९, १५, ३०० रू० कर दिया गया है।

(२) आयुर्वेदिक एवं युनानी चिकित्सा प्रणालियों के संगठन तथा संस्थाओं के समुचित प्रशासन के लिये उपसंचालक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (आयुर्वेद) उत्तर प्रदेश के अधीन एक पृथक आयुर्वेद विभाग का सृजन कर दिया है तथा उक्त उपसंचालक को एक विभागीय अध्यक्ष के सभी अधिकार सौंप दिये हैं।

(३) आयुर्वेदिक निरीक्षकों की संख्या बढ़ाकर ८ से १० कर दी है तथा युनानी निरीक्षकों की संख्या बढ़ाकर २ से ३ कर दी है। निरीक्षकों की संख्या में भविष्य में आवश्यकतानुसार और भी अधिक बृद्धि करने की योजना है।

(४) आयुर्वेदिक एवं युनानी चिकित्सा प्रणालियों के विभिन्न संगठनों की कार्यविधि का नियमित रूप से संचालन करने के लिये एक विस्तृत नियम समुच्चय (आयुर्वेदिक मैनुअल) का निर्माण करने के लिये एक विशेष कार्याधिकारी की नियुक्ति कर दी है।

(५) राजकीय आयुर्वेदिक एवं युनानी चिकित्सालयों की संख्या जो १९४७ ई० में २५० थी बढ़ाकर ५२१ कर दी गई है तथा इस संख्या में भविष्य में और भी अधिक बृद्धि करने की योजना है।

(६) राजकीय आयुर्वेदिक एवं युनानी चिकित्सालयों में योग्यतम चिकित्साकों की नियुक्ति की दृष्टि से निर्धारित योग्यताओं की सूची में ठोस संशोधन कर दिया गया है तथा अब केवल अधिकार प्राप्त विश्वविद्यालयों एवं गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी के आयुर्वेदिक एवं तिब्बी स्नातक तथा भारतीय चिकित्सा बोर्ड, उत्तर प्रदेश के स्नातक ही सरकारी नौकरी में नियुक्त के अधिकारी रह गये हैं।

(७) राजकीय आयुर्वेदिक एवं युनानी चिकित्सालयों के लिये साज सज्जा, शस्त्र यंत्र एवं अन्य उपकरणों की व्यवस्था आदि अधिक उन्नति परिमाण में कर दी गई है।

(८) इन चिकित्सालयों तथा इनके कर्मचारियों के लिये समुचित भवन एवं आवास गृह उपलब्ध करने की आदि दृष्टि से भवनों के किराये पर व्यय किये जाने वाले धनराशि को २,४७५ रू० से बढ़ाकर ५१, ५६० रू० कर दिया गया है।

(९) इन चिकित्सालयों के लिये शुद्ध एवं प्रमाणिक औषधियों की व्यवस्था करने की दृष्टि से लखनऊ में आयुर्वेदिक एवं युनानी औषधियों की एक निर्माणशाला की स्थापना कर दी है।

(१०) आयुर्वेदिक एवं युनानी औषधि द्रव्यों का मान स्तर निर्धारित करने तथा मान्य भारतीय औषधि द्रव्यों तथा औषधियों व अन्य उपयोगी विदेशी औषधियों का वैद्य हकीमों के उपयोग के लिये एक प्रमाणिक भेषज्य संग्रह तैयार करने के उद्देश्य से विशेषज्ञों की एक भेषज्य निर्माण समिति की नियुक्ति कर दी है।

(११) आयुर्वेदिक तथा तिब्बी शिक्षणक्रमों के लिये हिन्दी में शीघ्रातिशीघ्र उपयुक्त पाठ्य पुस्तकों के निर्माण के लिये आयुर्वेद तथा यूनानी तिब्ब के आर्षग्रन्थों के हिन्दी में प्रमाणिक अनुवाद प्रस्तुत करने के लिये, चिकित्सा शास्त्र के प्राचीन ग्रन्थों के सम्पादन, संकलन

तथा प्रकाशन के लिये तथा हिन्दी में चिकित्सा शास्त्र के मौलिक साहित्य के सृजन को प्रोत्साहन देने के लिये प्रदेश में एक आयुर्वेदिक एवं यूनानी तिब्बी ऐकेडेमी की स्थापना कर दी है। इस समय यह समस्त देश में अपने ढंग की अकेली ही संस्था है।

(१२) लखनऊ विश्वविद्यालय के अन्तर्गत एक वैज्ञानिक आधार पर तथा आधुनिक एवं नवीनतम उपादानों से सुसज्जित आयुर्वेद महाविद्यालय की स्थापना कर दी है जिसका समस्त व्यय भार प्रादेशिक सरकार बहन करती है।

(१३) भारतीय चिकित्सा बोर्ड, उत्तर प्रदेश, से संबंधित आयुर्वेदिक एवं युनानी महाविद्यालय के पुनस्संगठन करने तथा उन्हें इच्छित स्तर तक लाने के लियें आवश्यक सरकारी सहायता की सीमा निश्चित करने कीं दृष्टि से प्रत्येक महाविद्यालय की स्थिति की बिस्तृत जांच के लिये तथा आयुर्वेद एवं युनानी तिब्ब के विभिन्न शिक्षण-क्रमों की योजनाओं के समुचित स्तरीकरण के लिये उपसंचालक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (आवुर्वेद) की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्त अक्टूबर, १९४९ ई० में की थी। उक्त समिति की रिपोर्ट भी सरकार के पास आ गई है तथा उस पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

(१४) भारतीय चिकित्सा बोर्ड, उत्तर प्रदेश की शिक्षा एवं परीक्षा संबंधी नीतियों में दृढ़ता लाने की दृष्टि से बोर्ड की सहमति उपसंचालक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश, को बोर्ड की शिक्षा समिति का संयोजक स्वीकार कर लिया है।

शेष सिफारिशें जो जिला अस्पतालों में तथा मानसिक रोगों के अस्पतालों में आयुर्वेदिक विभाग स्थापित करने, कुष्ठ आदि चर्म रोगों की चिकित्सा को आयुर्वेदिक प्रणाली के अनुसार व्यवस्था करने, आयुर्वेद एवं युनानी तिब्ब के केन्द्रीय एवं क्षेत्रीय आतुरालय स्थापित करने, आयुर्वेद प्रणाली के अनुसार सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं रोग प्रतिरोध के कार्य की व्यवस्था करने, आयुर्वेद एवं युनानी तिब्ब विज्ञान में अनुसंधान की व्यवस्था करने, आदि के संबंध में है, अभी सरकार के बिचाराधीन है। इनमें से कुछ तो धनाभाव के कारण अभी कार्यान्वित नहीं की जा सकी तथा कुछ के कार्यान्वित करने में कुछ प्रशासकीय कठिनाइयां है।

नत्थी 'ख'

(देखिये २० अगस्त, १९५२ के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ २१४ पर)

(१) विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को मानकर सरकार की स्वीकृति से भारतीय चिकित्सा बोर्ड, उत्तर प्रदेश ने निम्न कोटि के निम्नलिखित आयुर्वेदिक एवं युनानी महाविद्यालयों का संबंधीकरण विच्छेद कर दिया :

(१) स्टेट एडेड युनानी मेडिकल कालेज, लखनऊ	सभी शिक्षण क्रमों के लिये
(२) मुम्बा–उल–तिब कालिज, लखनऊ	पूर्ववत
(३) लेखराम आयुर्वेदिक कालिज, गुरुकुल डीरेली, मेरठ	पूर्ववत
(४) तिबिया कालिज, सहारनपुर	बी० आई० एम० एस० उपाधि शिक्षण क्रम के लिये
(५) आयुर्वेदिक कालिज पंचपुखरा, फर्रुखाबाद	पूर्ववत
(६) द्विवेदी आयुर्वेदिक विद्यालय, कानपुर	सहायक वैद्य
(७) श्री ब्रजभूषण सरस्वती आयुर्वेद विद्यालय, कानपुर	पूर्ववत
(८) श्री गांधी आयुर्वेदिक विद्यालय, हरदोई	पूर्ववत
(९) श्री नरेन्द्र विद्यामंदिर किरावली, जिला आगरा	पूर्ववत
(१०) जगदम्बा आयुर्वेद विद्यालय, बनारस	गृह स्वास्थ्य विशारद

(२) निम्नलिखित अन्य महाविद्यालयों को नोटिस दे दिया है यदि वे एक वर्ष के भीतर अपनी स्थिति को सुधार कर इच्छिक स्तर तक नहीं आ जावेंगे तो उनका संबंधीकरण विच्छेद कर दिया जावेगा :

(१) बल्देव आयुर्वेद महाविद्यालय, बड़ागांव, बनारस ।
(२) दर्शनानन्द आयुर्वेदक कालिज, बनारस ।
(३) अर्जुन आयुर्वेदिक महाविद्यालय, बनारस ।
(४) आयुर्वेदिक कालिज, देहरादून ।
(५) रामसहाय वैद्यक संस्कृत महाविद्यालय, मेरठ ।
(६) उत्तराखंड विद्यापीठ आयुर्वेद महाविद्यालय, गुप्त काशी, गढ़वाल ।
(७) कान्यकुब्ज आयुर्वेदिक कालिज, लखनऊ ।

(३) समिति द्वारा संशोधित जी० आई० एम० एस० पाठ्क्रम एवं नियमावली, सहायक वैद्य व सहायक हकीम पाठ्यक्रम एवं नियमावली तथा गृहस्वास्थ्य बिशारद पाठ्य क्रम एवं नियमावली को स्वीकार करके इस शिक्षासत्र से चालू कर दिये हैं ।

(४) परीक्षा संबंधी नियमों में तथा परीक्षा संचालन विधि में उत्तरोत्तर सुधार करना प्रारम्भ कर दिया है ।

(५) समिति ने जिन महाविद्यालयों को स्थायी रूप से इच्छित स्तर पर चलाने की सिफारिश की थी, उनके पुनस्संगठन के लिये एक लाख रुपये के एक अतिरिक्त अनुदान की व्यवस्था इस वर्ष के बजट में की है ।

नत्थी 'ग'

(देखिये पीछे पृष्ठ २७५ पर)

उत्तर प्रदेश अभ्यस्त अपराधी प्रतिबन्ध विधेयक, १९५२

उत्तर प्रदेश में अभ्यस्त अपराधियों पर कुछ प्रतिबन्ध लगाने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में अभ्यस्त अपराधियों पर कुछ प्रतिबन्ध लगाये जायं ;

इसलिये निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

१—(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश अभ्यस्त अपराधी प्रतिबन्ध अधिनियम, १९५२ होगा । संक्षिप्त शीर्षनाम, विस्तार और प्रारम्भ ।

(२) यह सारे उत्तर प्रदेश में प्रचलित होगा ।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा ।

२—(१) विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में : परिभाषायें ।

(क) "कोड" का तात्पर्य कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर १८९८ से है। १९९८ का ऐक्ट, संख्या ।

(ख) "जिला मैजिस्ट्रेट" के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट (एडीशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट) अथवा राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से इस अधिनियम के अधीन जिला मैजिस्ट्रेट के कार्यों का सम्पादन करने के लिये अधिकृत किया गया प्रथम श्रेणी का कोई अन्य मैजिस्ट्रेट भी है।

(ग) "अभ्यस्त अपराधी" (habitual offender) का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे इस अधिनियम के प्रचलित होने के पूर्व या पश्चात् अनुसूची में उल्लिखित (lcet-forth) किसी अपराध के लिये कम से कम तीन पृथक् पृथक् अवसरों पर मौलिक अवधि के कारावास (Substantive term of imprisonment) का दंड दिया गया हो, और ऐसा कारावास का दंड अपील अथवा पुनरीक्षण (revision) में निरस्त (set-aside) न कर दिया गया हो ।

स्पष्टीकरण:—कोड की धारा ११० के अधीन किसी व्यक्ति को सदाचार (good behaviour) से रहने के लिये जमानत (security) देने की आज्ञा के संबंध में यह समझा जायगा कि वह एक ऐसी आज्ञा है जिसके अधीन ऐसे व्यक्ति को मौलिक अवधि के कारावास का दंड दिया गया है।

(घ) "प्रतिबंध आज्ञा" (order of restriction) का तात्पर्य धारा ३ में उल्लिखित प्रकार की आज्ञा से है।

(ङ) "नियत" (prescribed) का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा नियत से है।

(च) "बस्ती" (settlement) का तात्पर्य धारा ११ के अधीन स्थापित अथवा प्रमाणित (established or certified) बस्ती से है।

(छ) "राज्य सरकार"का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है।

(ज) इस अधिनियम में प्रयुक्त ऐसे शब्दों और पदों के, जिनकी परिभाषा इस अधिनियम में नहीं दी गई है, वही अर्थ होंगे जो कि कोड में उनके किये गये हैं।

(२) यदि कोई व्यक्ति साधारणतः किसी स्थान पर रहता हो या वहां पर रहने के लिये अपने अधिकार में कोई मकान रखता हो तो वह साधारणतः उस स्थान का निवासी समझा जायगा।

प्रतिबन्धन आज्ञा।

३—(१) प्रतिबन्ध आज्ञा लिखित रूप में होगी और उसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को निम्नलिखित में से एक या अधिक कार्य करने के लिये कहा जा सकता है, अर्थात्

(क) किसी जिले में निर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर ही अपनी गतिविधि (movements) को सीमित रखना,

(ख) ऐसे प्राधिकारी (authority) को और ऐसी रीति से, जो नियत की जाय, अपने निवासस्थान और उसमें किये गये तथा किये जाने वाले प्रत्येक परिवर्तन की या वहां से प्रत्येक अनुपस्थिति या अभिप्रेत (intended) अनुपस्थिति की सूचना देना,

(ग) आज्ञा में निर्दिष्ट समय तथा स्थान पर और रीति से अपने आपको उपस्थित (to report himself) करना।

(२) आज्ञा में अन्य ऐसे विवरण भी होंगे जो नियत किये जायं।

(३) कोई भी प्रतिबंध आज्ञा उसके जारी होने के दिनांक हो तीन वर्ष के पश्चात् सप्रभाव न रहेगी।

निरोध आज्ञा प्राप्त करने की सूचना।

४—(१) यदि सूचना मिलने पर जिला मैजिस्ट्रेट को संतोष हो जाय की कोई व्यक्ति, जो उस जिले में साधारणतः रहता हो, अभ्यस्त अपराधी है और उसके विरुद्ध प्रतिबंध आज्ञा दी जानी चाहिये तो वह नोटिस द्वारा ऐसे व्यक्ति को ऐसे समय और स्थान पर, जो कि नोटिस में निर्दिष्ट किया जाय, उपस्थित होकर आज्ञा प्राप्त करने का आदेश दे सकता है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम में इससे पूर्व लिखी हुई किसी भी बात से जिला मैजिस्ट्रेट के लिये यह अपेक्षित नहीं होगा कि वह लगाये जाने वाले प्रतिबंधों को नोटिस में निर्दिष्ट कर दे।

(२) उपधारा (१) के अन्तर्गत जिस व्यक्ति के विरुद्ध नोटिस जारी किया गया हो वह केवल निम्नलिखित आधारों पर ही, और किसी अन्य आधार पर नहीं, नोटिस का प्रतिवाद (contest) कर सकता है अर्थात्:

(१) कि वह नोटिस के दिनांक पर १८ वर्ष से कम उम्र का था,

(२) कि उसे दिये गये कारावास के अंतिम दंड की अवधि की समाप्ति के दिनांक और नोटिस के दिनांक के बीच तीन वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका है, अथवा

(३) कि वह अभ्यस्त अपराधी (habitual offender) नहीं है।

उपस्थित के लिये बाध्य करने की प्रक्रिया।

५—उस स्थित में जब किसी ऐसे अभ्यस्त अपराधी का, जिसके विरुद्ध धारा ४ की उपधारा (१) के अधीन नोटिस जारी किया जा चुका हो, पता न चल रहा हो अथवा वह नोटिस न लेता हो अथवा नोटिस उचित रीति से तामील हो जाने के पश्चात् वह संबद्ध जिला मैजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित न होता हो तो जिला मैजिस्ट्रेट कोड के अध्याय ६ (Chapter VI) के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही करेगा मानो उक्त-नोटिस उक्त कोड के अधीन जारी किया गया वारन्ट था।

सूचना (नोटिस) को सुनवाई और आज्ञा की तामील।

६—(१) यदि संबद्ध व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की गई आपत्तियों पर, यदि कोई हों, और ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह उचित समझे जिला मैजिस्ट्रेट को यह ज्ञात हो कि वह नोटिस के दिनांक पर १८ वर्ष से अधिक उम्र का नहीं था अथवा जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है तीन वर्ष से अधिक की अवधि व्यतीत हो चुकी है अथवा वह अभ्यस्त अपराधी (habitual offender) नहीं है तो वह उक्त नोटिस को उत्सर्जित (discharge) कर देगा, और यदि ऐसा व्यक्ति धारा ५ के अधीन की गई किसी भी कार्यवाही के अनुसार अभिरक्षा (custody) में हो तो उसे तुरन्त मुक्त कर देने का निदेश करेगा।

(२) यदि उपधारा (१) के अधीन नोटिस निरस्त न किया जाय तो जिला मैजिस्ट्रेट उसके विरुद्ध प्रतिबन्ध आज्ञा दे देगा।

निरोध आज्ञा देते समय विचारणीय तथ्य।

७—प्रतिबन्ध आज्ञा देते समय जिला मैजिस्ट्रेट निम्नलिखित बातों पर विचार करेगा :

(१) उन अपराधों का प्रकार जिनके लिये अभ्यस्त अपराधी अभिशस्त (convict) हुआ था और वे परिस्थितियां जिनमें वे अपराध किये गये हों,

(२) उस क्षेत्र की उपयुक्तता जिसमें उसकी गतिविधि सीमित की जाने वाली हो, और

(३) वह रीति जिसके अनुसार अभ्यस्त अपराधी (habitual offender) के लिये उस क्षेत्र में अपनी जीविका चलाने की सम्भावना हो और उसके लिये प्रबंध की पर्याप्तता।

निरोध आज्ञा का संशोधन।

८—(१) जिला मैजिस्ट्रेट समय-समय पर दी गई अपनी प्रतिबन्ध आज्ञा को परिवर्तित कर सकता है या उसमें संशोधन कर सकता है और स्वेच्छा से या इसके लिये प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर, किसी अन्य जिले के जिला मैजिस्ट्रेट के सहमति से ऐसे अभ्यस्त अपराधी को जिस के विरुद्ध प्रतिबंध आज्ञा दी गयी हो, ऐसे अन्य जिले में अपना निवासस्थान परिवर्तित कर लेने की अनुज्ञा दे सकता है।

(२) उस स्थिति में जब किसी अभ्यस्त अपराधी को उपधारा (१) के अधीन किसी अन्य जिले में अपना निवासस्थान परिवर्तित करने की अनुज्ञा दी गयी हो तो, ऐसे अन्य जिले का जिला मैजिस्ट्रेट प्रतिबंध आज्ञा को परिवर्तित या संशोधित, जैसा भी वह आवश्यक समझे, कर सकता है, किन्तु ऐसे सभी परिवर्तन या संशोधन निवासस्थान में परिवर्तन किये जाने के समय से ही सप्रभाव होंगे न कि उससे पूर्व।

अभ्यस्त अपराधी का प्रव्रजन (migration)।

९—यदि कोई अभ्यस्त अपराधी, जिसके विरुद्ध धारा ६ के अधीन प्रतिबन्ध आज्ञा दी गई हो, धारा ८ की उपधारा (१) के अधीन दी गयी किसी आज्ञा के अनुसार अपना निवासस्थान किसी अन्य जिले में परिवर्तन करे तो ऐसे अभ्यस्त अपराधी के संबंध में अन्य जिले के जिला मैजिस्ट्रेट को वही अधिकार प्राप्त होंगे जो उस जिला मैजिस्ट्रेट को थे जिसने आरंभिक आज्ञा दी थी।

पुनर्विलोकन (review)

१०—जिला मैजिस्ट्रेट नियत रीति और नियत विरामों (intervals) पर ऐसे सभी अभ्यस्त अपराधियों के मामलों का पुनर्विलोकन (review) कर सकता है जिन पर धारा ६ के अधीन प्रतिबन्ध आज्ञा तामील की गई हो, इस बात के निश्चय करने के लिये कि उन पर लगाये गये प्रतिबन्धों का हटाया जाना वांछनीय है या नहीं।

सुधारक बस्तियों (reformatory settlements)- आदि की स्थापना।

११—(१) राज्य सरकार अभ्यस्त अपराधियों (habitual offenders) को सुधारने के लिये औद्योगिक, कृषिक या अन्य बस्तियां (Industrial. agricultural or other settlements) स्थापित कर सकती है और उन्हें बनाये रख सकती है।

(२) राज्य सरकार किसी भी ऐसी बस्ती को जिसका प्रबंध निजी व्यक्तियों के हाथ में हो, अभ्यस्त अपराधियों की भर्ती के लिये उपयुक्त (fit) प्रमाणित कर सकती है।

निरोध आज्ञा आदि या बस्ती में ठहरने की अवधि का बढ़ाया जाना।

१२—यदि ऐसी अवधि की समाप्ति के पूर्व, जिसके लिये धारा ६ के अधीन प्रतिबन्ध आज्ञा दी गई हो, किसी भी समय जिला मैजिस्ट्रेट का यह मत हो कि उक्त अवधि का बढ़ाया जाना आवश्यक है, तो वह सम्बद्ध व्यक्ति को इसके विरुद्ध कारण बताने का अवसर देने के बाद, उसे समय समय पर इतना बढ़ा सकता है कि कुल अवधि का योग तीन वर्ष से अधिक न हो।

निरोधाज्ञा या नियमों के भंग किये जाने पर दण्ड।

१३—(१) यदि कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध कोई प्रतिबन्ध आज्ञा जारी की गई हो, और ऐसी आज्ञा सप्रभाव हो, ऐसी आज्ञा या नियमों के उपबंधों का उल्लंघन करेगा तो धारा १४ के अन्तर्गत उसके विरुद्ध की जाने वाली अन्य किसी कार्यवाही के अतिरिक्त उसे निम्नलिखित दण्ड मिल सकता है:

(क) पहली बार अभिशस्त (canvict) होने पर कारावास दण्ड जो ६ मास तक हो सकता है, और

(ख) दूसरी बार अथवा बाद को अभिशस्त होने पर बस्ती में १२ महीने के लिये या इससे अधिक अवधि के लिये जो तीन वर्ष से अधिक की न होगी और जिसे मैजिस्ट्रेट निश्चित् करे, आसेध (confinement)।

(२) कोड में किसी भी बात के होते हुये, कोई भी प्रथम श्रेणी का मैजिस्ट्रेट उपधारा (१) के अधीन बस्ती में आसेध का दंड दे सकता है जिसकी अवधि तीन वर्ष से अधिक की न होगी।

उन अभ्यासी अपराधियों का गिरफ्तार किया जाना जो नियत सीमाओं या बस्तियों के बाहर पाये जायं।

१४—यदि कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध प्रतिबन्ध आज्ञा या धारा १३ के अधीन किसी बस्ती में आसेध की आज्ञा दी गई हो,

(क) बिना आज्ञा या प्रवेश पत्र (पास) के, जिसे नियत किया गया हो, ऐसी बस्ती या ऐसे क्षेत्र की सीमाओं के, जिसके भीतर उसकी गति विधि सीमित की गयी हो, बाहर या ऐसे स्थान में या

ऐसे समय पर जिस के लिये उसके प्रवेशपत्र (पास) की शर्तों के अनुसार अनुमति न हो, पाया जाय, या

(ख) किसी बस्ती से निकल भागे या छोड़ दे तो वह बिना किसी वारन्ट के किसी पुलिस अधिकारी या बस्ती के किसी ऐसे कर्मचारी द्वारा जो राज्य सरकार की किसी सामान्य या विशेष आज्ञा द्वारा इस बात के लिये अधिकृत किया गया हो, गिरफ्तार किया जा सकता है और किसी प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट के सम्मुख उपस्थिति किया जा सकता है, जो इस अधिनियम के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही करने के उद्देश्य से उसे ऐसे क्षेत्र या बस्ती में, जैसी भी स्थिति हो, हटाये जाने की आज्ञा देगा।

अभ्यस्त अपराधी का स्थानान्तरण।

१५—कोई जिला मैजिस्ट्रेट अपने जिले में स्थित किसी बस्ती से किसी अभ्यस्त अपराधी को हटाकर किसी दूसरी बस्ती में भेज सकता है किन्तु धारा ८ की उपधारा (१) में दी हुई किसी बात के अधीन उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट की सहमति अपेक्षित न होगी जिसमें वह दूसरी बस्ती स्थिति हो।

अनुसूची में निर्दिष्ट अपराधों के लिए दंड।

१६—(१) यदि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध कोई प्रतिबन्ध आज्ञा जारी की गयी हो, अनुसूची में निर्दिष्ट किसी अपराध के लिये अपराधी ठहराया जाय, तो अभिशस्त (convict) होने पर उसे आजीवन निर्वासन (transportation for life) या दस वर्ष तक का कारावास का दण्ड दिया जाता सकता है।

(२) इस धारा में दी हुई किसी भी बात का, किसी अतिरिक्त या अन्य दंड पर जो ऐसे व्यक्ति को समय विशेष पर प्रचलित विधि के अधीन दिया जा सकता हो, कोई प्रभाव न पड़ेगा।

अंगुली छाप (finger impression)

१७—जिला मैजिस्ट्रेट या इस निमित्त उस के द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति की, जिस के विरुद्ध प्रतिबन्ध आज्ञा दी गयी हो, अंगुलियों की छाप लेने की आज्ञा दे सकता है और तब ऐसे व्यक्ति को अपनी अंगुलियों की छाप देनी होगी।

प्रकिया

१८—कोड के अध्याय २० के उपबन्ध जहां तक हो सके, इस अधिनियम की धारा ४, ६ और १२ के अधीन व्यवहारों (proceedings) पर उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि वे किसी सम्मन के व्यवहारों (Summons case) की स्थिति में लागू होते हैं।

न्यायालयों के अधिकार क्षेत्रों का बाधित किया जाना।

१९—उस स्थिति को छोड़कर जबकि इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन कोई अन्य व्यवस्था की गयी हो;

(क) धारा ६, या

(ख) धारा ८ की उपधारा (१) या (२), या

(ग) धारा ९, १० और १२, या

(घ) अभ्यस्त अपराधी को उस क्षेत्र में जिसके भीतर उसकी गत विधि सीमित की गयी हो या उस बस्ती में जहां कि उसे रखे जाने की आज्ञा दी गई हो, पहुंचाने के संबंध में धारा १४, के अधीन किसी व्यवहार (proceeding) में दी गई आज्ञा अन्तिम और निश्चायक (final and conclusive) होगी और उसके संबंध में किसी न्यायालय में आपत्ति न की जा सकेगी।

नियम ।

२०—(१) राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा और पूर्व प्रशासन के शर्त के अधीन इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

(२) विशेष कर और पूर्वगत अधिकार की व्यापकता को बाधित न करते हुये ऐसे नियमों में निम्नांकित के लिये व्यवस्था की जा सकती है :—

(१) धारा ४ के अधीन नोटिस का आकार (फार्म);

(२) ऐसे क्षेत्र जिनमें किसी अभ्यस्त अपराधी की गति विधि सीमित की जाय और उन प्रतिबन्धों का प्रकार जिनका पालन करना ऐसे व्यक्तियों के लिये आवश्यक होगा;

(३) प्रवेश पत्रों (passes) का रूप, और शत जिनके अधीन अभ्यस्त अपराधियों को ऐसे क्षेत्र, जिनके भीतर उनकी गति विधि सीमित कर दी गयी हो या ऐसी बस्ती, जिसमें वे रक्खे गये हों, छोड़ने की अनुमति दी जा सकती हो;

(४) ऐसे अभ्यस्त अपराधियों को, जिन के विरुद्ध प्रतिबन्ध आज्ञा दी गयी हो, शनाख्त का प्रमाणपत्र (certificate of identity) देना, और परिस्थितियां जिनमें उन्हें इस प्रकार के प्रमाण पत्रों को जांच के लिये प्रस्तुत करना पड़ेगा ;

(५) बस्तियों का कार्य संचालन, प्रबंध, नियंत्रण तथा उनकी देखरेख;

(६) ऐसे बस्तियों के प्रमाणित करने की रीति और शर्तें जिनका प्रबन्ध निजी रूप से किया जाता हो;

(७) अभ्यस्त अपराधियों को बस्ती में भरती करना, वहां से उन्हें मुक्त करना तथा इस संबंध में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(८) शर्तें और परिस्थितियां जिनके अधीन अभ्यस्त अपराधी के कुटुम्ब के सदस्यों को बस्ती में उसके साथ ठहरने की अनुज्ञा दी जाय ;

(९) अनुशासन (discipline) संबंधी कार्यवाही जो किसी बस्ती से निकल भागने का प्रयत्न करने वाले अथवा किसी अन्य प्रकार से समय विशेष पर प्रचलित नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर लागू होंगी ;

(१०) प्रतिबन्ध आज्ञाओं का अभिलेख रखने के लिये रजिस्टर;

(११) अंगुली छाप लेने की रीति, और

(१२) ऐसे विषय जो नियत किये जायं या नियत किये जाने वाले हों।

अपवाद ।

२१—समय विशेष पर प्रचलित किसी विधि के अधीन प्रतिबन्ध (restriction) या अवरोध (detention) की आज्ञा देने के संबंध में किसी समर्थ प्राधिकारी के अधिकारों पर इस अधिनियम में दी हुई किसी भी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और इस अधिनियम के अधीन दी गयी प्रतिबन्ध आज्ञा या बस्ती में रखने की कोई आज्ञा जहाँ तक कि वह ऐसी अन्य विधि के अधीन समर्थ प्राधिकारी द्वारा दी गई किसी आज्ञा से असंगत हो तब तक, अप्रवृत्त (inoperative) समझी जायेगी जब तक कि ऐसी दूसरी विधि के अधीन दी गई आज्ञा सप्रभाव रहे।

अनुसूची

(धारा २ ग देखिये)

१—इंडियन पीनल कोड के अन्तर्गत अपराध

अध्याय १२

धारायें

२३१ जाली सिक्के बनाना (counterfeiting coins)

२३२ जाली भारतीय सिक्के बनाना (counterfeiting Indian coins)

२३३ जाली सिक्के बनाने के लिये उपकरण का निर्माण या बिक्रय।

२३४ जाली भारतीय सिक्के बनाने के लिये उपकरण (instruments) का निर्माण या विक्रय।

२३५ जाली सिक्के बनाने के काम मे लाने के लिये उपकरण या सामग्री को अपने क़ब्ज़े में रखना।

२३९ ऐसे सिक्के का अर्पण (delivery) जो इस जानकारी के साथ क़ब्ज़े में हो कि वह जाली है।

२४० ऐसे भारतीय सिक्के का अर्पण जो इस जानकारी के साथ क़ब्ज़े में हो कि वह जाली है।

२४२ किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किसी जाली सिक्के का अपने क़ब्ज़े में रखा जाना जिसे प्राप्त सिक्का होने पर यह मालूम हो गया हो कि वह जाली है।

२४३ किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा भारतीय सिक्का अपने क़ब्ज़े में रखा जाना जिसे सिक्का प्राप्त कर लेने पर यह मालूम हो गया हो कि वह जाली है।

अध्याय १६

२९९ दंडनीय नर हत्या (culpable homicide)

३०७ हत्या करने का प्रयत्न (attempt to murder)

३०८ दंडनीय नर हत्या (culpable homicide) करने के लिये प्रयत्न।

३१० ठग बनना (being a *thug*)।

३२२ स्वेच्छा से दुस्सह आघात (grievous hurt) पहुचाना।

३२६ भयावह अस्त्रों या साधनों (dangerous weapons means) द्वारा स्वेच्छा से दुस्सह आघात (grievous hurt) पहुंचाना।

३२७ सम्पत्ति के निकर्षण (extortion) के लिये या अवैध कार्य के लिये विवश करने के प्रयोजन से स्वेच्छा से आघात पहुंचाना।

३२८ कोई अपराध करने के अभिप्राय से विष इत्यादि द्वारा आघात पहुंचाना।

३२९ सम्पत्ति के निष्कर्षण (extort) के लिये या अवैध कार्य (illegal acts) के हेतु विवश करने के लिये स्वेच्छा से दुस्सह आघात पहुंचाना।

३३२ राज्य कर्मचारी को डरा धमका कर अपने कर्त्तव्यों का पालन करने से रोकने के लिये स्वेच्छा से आघात पहुंचाना ।

३३३ राज्य कर्मचारी को डरा धमका कर अपने कर्त्तव्यों का पालन करने से रोकने के लिये से स्वेच्छा से दुस्सह आघात (grievous) पहुंचाना ।

३६९ दस वर्ष से कम बयस वाले शिशु (child) के शरीर से कोई बस्तु चुराने के अभिप्राय से उसका अपहरण (kidnapping) ।

३७६ बलात्कार (rape)

३७७ अप्राकृतिक अपराध (unnatural offence) ।

अध्याय १७

३८२ चोरी के प्रयोजन से मृत्यु करने आघात पहुंचाने, या निरोध (restraint) रखने के लिये तैयारी करने के पश्चात् चोरी ।

३८३ निष्कर्षण (extortion)।

३८५ निष्कर्षण (extoration) के प्रयोजन से व्यक्ति विशेष को चोट (injury) का भय दिखाना ।

३८६ निष्कर्षण (extortion) के प्रयोजन से व्यक्ति विशेष की मृत्यु या दुस्सह आघात (grievous hurt) का भय दिखाकर निष्कर्षण (extortion) ।

३९० लूटमार (Robbery) ।

३९१ डकैती (Dacoity) ।

३९३ लूट मार करने का प्रयत्न करना ।

३९४—लूटमार में स्वेच्छा से आघात पहुंचाना ।

३९७ लूटमार या डकैती, जिसमें मृत्यु या दुस्सह आघात करने का प्रयत्न किया जाय ।

३९८ घातक अस्त्र से सशस्त्र होकर लूटमार करने या डकैती का प्रयत्न ।

३९९ डकैती की तैयारी करना (preparation for committing dacoity) ।

४०२ डकैती के प्रयोजन से एकत्रित होना ।

४११ चुराई हुई सम्पत्ति को बेइमानी से ग्रहण करना ।

४३६ गृह आदि को नष्ट करने के अभिप्राय से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा अपकृत्य (mischief) ।

४५७ किसी ऐसे अपराध को करने के प्रयोजन से जिस से के लिये कारावास का दंड दिया जा सकता हो रात्रि में चौर्य गृहतिक्रमण (lurking house-trespass) या सेंध लगाना (house breaking) ।

४५८ चोट पहुंचाने, प्रहार करने या अनाधिकार रोक लगाने (wrongful restraint) के लिये तैयारी करने के पश्चात् रात्रि में मौर्य गृहातिक्रमण या सेंध लगाना ।

४५९ चौर्य गृहातिक्रमण (lurking house-trespass) या सेंध लगाते (house breaking) समय किया गया दुस्सह आघात ।

४६० रात्रि में चौर्य गृहातिक्रमण (lurking house-trespass) या सेंध लगाने के कार्य के सयुक्त रूप से सम्बद्ध सभी व्यक्ति दंडनीय हैं, यदि उसमें से किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी की मृत्यु हो गयी हो या दुस्सह चोट पहुंचायी गयी हो ।

४८९-ए जाली करेंसी नोट या बैंक नोट बनाना ।

उद्देश्य तथा कारण

सार्वजनिक हित की दृष्टि से यह आवश्यक समझा गया है कि सभी अभ्यस्त अपराधियों की गतिविधि का विनियमन किया जाय और उन्हें नये अपराध करने से रोका जाय। वर्तमान विधेयक में उनकी गतिविधि पर प्रतिबन्ध लगाने की व्यवस्था की गयी है। "अभ्यस्त अपराधी" की परिभाषा इस प्रकार की गयी है कि अभ्यस्त अपराधी वह व्यक्ति है जिसे इस अधिनियम की अनुसूची में उल्लिखित एक या एक से अधिक अपराधों के लिये कम से कम तीन पृथक पृथक अवसरों पर मौलिक (सबस्टेनटिव) अवधि के कारावास का दंड दिया गया हो और उक्त कारावास का दंड अपील अथवा पुनरीक्षण (रिवीजन) में मंसूख न कर दिया गया हो। इस अधिनियम के अधीन दी गई प्रतिबन्धाज्ञा के अनुसार अभ्यस्त अपराधी अपनी गति विधि की सूचना अधिकारियों को देते रहेंगे। अभ्यस्त अपराधी के विरुद्ध दिये गये अंतिम दंड की समाप्ति से तीन वर्ष के भीतर उक्त आज्ञा दी जा सकती है। किन्तु उक्त अपराधी की आयु १८ वर्ष से अधिक की होनी आवश्यक है।

अभ्यस्त अपराधियों को सुधारने और उन्हें उपयुक्त काम के लिये अवसर देने की दृष्टि से राज्य सरकार का यह प्रस्ताव है कि उन्हें जीविका के निमित्त प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से बस्तियां स्थापित की जायं। इस अधिनियम अथवा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन दी गई किसी प्रतिबन्धाज्ञा का यदि कोई अभ्यस्त अपराधी बार बार उल्लंघन करे तो न्यायालय उसे कारावास का दंड देने के स्थान पर किसी बस्ती में आसेध (कनफाइनमेंट) की आज्ञा देगा जिससे उसका अन्त में सुधार हो सके।

सम्पूर्णानन्द,

गृह मंत्री।

संसदीय प्रलेख सेवा

नत्थी 'घ'

(देखिये पीछे पृष्ठ २७५ पर)

उत्तर प्रदेश सम्पत्ति के हस्तगत करने का (बाढ़ सहायक) (संशोधन) विधेयक, १९५२

यू० पी० ऐक्ट ३९, १९४८।

कुछ प्रयोजनों के निमित्त १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्तीय सम्पत्ति के हस्तगत करने का (बाढ़ सहायक) (अस्थायी अधिकार) ऐक्ट में संशोधन करने का

विधेयक

यू० पी० ऐक्ट ३९, १९४८।

कुछ प्रयोजनों के निमित्त, जो यहां पर आगे चल कर प्रतीत होंगे, यह आवश्यक है कि १९४८ का संयुक्त प्रान्तीय सम्पत्ति के हस्तगत करने का (बाढ़ सहायक) (अस्थायी अधिकार) ऐक्ट में संशोधन किया जाय;

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

१—(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश सम्पत्ति के हस्तगत करने का (बाढ़ सहायक) (संशोधन) अधिनियम, १९५२ होगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

यू० पी० ऐक्ट, ३९, १९४८ की प्रस्तावना में संशोधन।

२—१९४८ ई० का संयुक्त प्रान्तीय सम्पत्ति के हस्तगत करने का (बाढ़ सहायक) (अस्थायी अधिकार) ऐक्ट (जिसे यहां पर आगे चल कर मूल अधिनियम कहा गया है) की प्रस्तावना में—

(क) शब्द "संयुक्त प्रान्त के कुछ क्षेत्रों में हाल की बाढ़ों से विस्तृत हानि पहुंचने के कारण" निकाल दिये जायं ;

(ख) शब्द "हो गया है कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के सहायतार्थ इमारत के लिये स्थान तथा इमारती सामान को तुरन्त अधिकृत और हस्तगत किया जाय और उस संबंध में अधिकारों की व्यवस्था की जाय" के स्थान पर शब्द "है कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में क्षति प्राप्त लोगों की सहायतार्थ इमारती स्थान तथा इमारती सामान को तुरन्त अधिकृत और हस्तगत करने के लिये अधिकारों की व्यवस्था की जाय" रख दिये जायं।

उद्देश्य और कारण

१९४८ में ऐसी बाढ़ आई जो पहले कभी नहीं आई थी। इसके कारण उत्तर प्रदेश में घरों और गांव के स्थलों को बड़ी हानि पहुंची। परिणाम यह हुआ कि बहुत से लोग निराश्रय हो गये और अपने घर-द्वार से भी वंचित हो गये। अतएव सरकार ने इस अवसर पर यह निश्चय किया कि जहां तक संभव हो ऐसे क्षेत्रों में जहां ग्राम के स्थल बाढ़ से पूर्णतः या अंशतः बह गये हों अविचार पूर्वक घर न बनाये जायं किन्तु उक्त क्षेत्रों में ग्राम आधुनिक योजना के अनुसार पुनः संघटित किये जायं।

इस उद्देश्य से तथा ग्राम स्थल के लिये भूमि को अधिकृत और हस्तगत करने एवं बाढ़ पीड़ितों को पुनर्वासित करने के उद्देश्य से १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्तीय सम्पत्ति को हस्तगत करने का (बाढ़ सहायक) (अस्थायी अधिकार) ऐक्ट प्रचारित किया गया था। धारा १(३) के अनुसार उक्त अधिनियम ३१ दिसम्बर, १९५२ को समाप्त हो जायगा और यह संभव है कि इस वर्ष या भविष्य में भी बड़ी बाढ़ आवे । अतएव यह प्रस्ताव है कि उक्त अधिनियम को स्थायी रूप दिया जाय। इसी उद्देश्य से यह विधेयक प्रस्तुत किया जाता है।

चरण सिंह,
माल मंत्री।

पी० एस० यू० पी० ए० पी० ७२ एल० ए०—१९५२—८५० ।

विधान सभा
सचिवालय, पटना